

तीसरी THIRD

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर) (Excluding Railways)

2013-2014

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पिठत अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

फरवरी February, 2014

परिचायक टिप्पणी

विषय :

अनुदानों की पूरक मांगों का तीसरी और अंतिम बैच 2013-14.

वर्ष 2013-14 की अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच में 69 अनुदानें और 3 विनियोजन शामिल हैं। ₹46,227.57करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद सहित प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹25,567.97करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/उगाहियों के समतुल्य कुल अतिरिक्त व्यय ₹20,658.37करोड़ बनता है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या सेवा के नए उपकरण वाले मामलों में बचत के पुनर्विनियोजन के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए सहित, 123 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

- 2. निवल नगद खर्च वाले प्रस्ताव के परिणामस्वरुप संशोधित अनुमान आयोजना-आयोजना-भिन्न 2013-14 में कुल बजट अनुमान 2013-14 में प्रक्षेपित घाटे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि इसके अधिकांश भाग को पहले ही 2013-14 के संशोधित अनुमान में शामिल कर लिया गया है और शेष के लिए अन्य अनुदानों में समतुल्य समग्र बचतें करनी होगी।
- 3. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं :-

INTRODUCTORY NOTE

Subject: Third and Final Batch of Supplementary Demands for Grants, 2013-2014.

The third and final batch of Supplementary Demands for Grants for 2013-2014 includes 69 Grants and 3 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹46,227.57 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹25,567.97 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹20,658.37 crore. Besides, token provision of ₹123 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

- 2. Proposal involving net cash outgo of ₹ 25,567.97 crore will not result in any significant variation in total estimated expenditure in Revised Estimates (Plan and Non-Plan) 2013-2014, as major portion of this has already been included in Revised Estimates for 2013-2014 and for the remaining there would be equivalent overall savings in other Grants.
- 3. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

	are as rono ws.	(करें	ोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	आयोजना Grant No. & title and description of items	आयोजना-भिन्न Plan	जोड़ Non Plan	Total
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9 नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
(क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) सामान्य	(a) For meeting additional expenditur	e		
सहायता अनुदान (1) विमान-पत्तन आर्थिक	towards (i) Grants-in-aid General to (1	.)		
विनियामक प्राधिकरण ₹ 1 करोड़, (2)इन्दिरा	Airports Economic Regulator	y		
गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (₹ 5.10 करोड़),	Authority (₹ 1 crore), (2) Indira Gandl	ni		
(ii) हज सब्सिडी के लिए अनुदान (₹101.26	Rashtriya Uran Academy (₹5.10 crore),		
करोड़), (iii) नागर विमानन महा निदेशालय	(ii) Grants for Haj Subsidy (₹ 101.2	6		
के वेतन (₹ 0.88 करोड़)।	crore), (iii) Salary for Directorat	e		
	General of Civil Aviation (₹0.88 crore)	103.12	103.12
(ख) नागर विमानन संबंधी पूंजीगत परिव्यय के	(b) For additional expenditure toward	S		
अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) एअर इंडिया	Capital Outlay on Civil Aviation to (i)		
(₹ 1,000 करोड़) तथा (ii) होटल कारपोरेशन	Air India (₹ 1,000 crore), and (ii) Hote	el		
ऑफ इंडिया लि. (₹ 7 करोड़)।	Corporation of India Limited (₹7 crore). 1,000.00	- 1	1,000.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS	5,		
मंत्रालय	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	17 Department of Food and Publi	c		
	Distribution			
सब्सिडी विषयक व्यय को पूरा करना (क) राष्ट्रीय	For meeting expenditure on subsidy (a) t	o		
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय खाद्य	Food Corporation of India (₹ 2,000.02 crore	e)		
निगम को (2,000.02 करोड़) (ख) चीनी के बफर	under National Food Security Act, (b) fo	or		
स्टाक के अनुरक्षण हेतु (₹ 2.50 करोड़)।	maintenance of Buffer Stocks of Suga	ır		

रक्षा मंत्रालय

21 रक्षा पेंशन

पंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

MINISTRY OF DEFENCE

21 Defence Pensions

(₹ 2.50 crore).

For meeting additional expenditure towards pensions and other retirement benefits.

- 1,000.00 1,000.00

1,877.52 1,877.52

			रोड़ रुपए Rupee.	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	न जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
35 विनियोग-व्याज अदायगी बाजार ऋण पर ब्याज के लिए अतिरिक्त व्यय (र 19,987.90 करोड़) उपलब्ध कराना, 14 दिवसीय हुंडी बिल, लघु बचतों की तुलना में जारी प्रतिभृतियां, राज्य भविष्य निधि, के गैर-सरकारी भविष्य निधि के विशेष जमा, आदि।	35 Appropriation-Interest Payments For providing additional expenditure (₹ 19,987.90 crore) towards interest on market loans, 14 days Treasury Bills, securities issued against small savings, state provident funds, special deposits of Non-		0.201.02	0.201.02
40 पेंशन इनके अन्तर्गत अतिरिक्त काम मुहैया कराने हेतु (क) अधिवर्षिता पेंशन (₹ 687 करोड़) (ख) फैमिली पेंशन (₹ 779 करोड़) तथा (ग) परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम-एनपीएस (₹ 300 करोड़)।	Government provident funds, etc. 40 Pensions For providing additional expenditure under (a) Superannuation Pension (₹ 687 crore), (b) Family Pension (₹ 779 crore), and (c) Defined Contribution Pension Scheme-NPS (₹ 300 crore).	-		9,381.83 1,766.00
41 भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग अधिष्ठापना संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना	41 Indian Audit and Accounts Department For meeting additional establishment		1,700.00	1,700.00
(₹ 146.05 करोड़)।	related expenditure (₹ 146.05 crore).	-	133.47	133.47
भारी उद्योग एवं सरकारी उद्यम मंत्रालय 51 भारी उद्योग विभाग हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि. को क्रय (₹ 182 करोड़) उपलब्ध कराना।	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES 51 Department of Heavy Industry For providing loan (₹ 182 crore) to Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited.	-	44.16	44.16
विधि एवं न्याय मंत्रालय 64. विधि एवं न्याय आगामी आम चुनाव 2014 के लिए इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन तथा वोटर वेरीफाएविल पेपर आडिट ट्रायल की प्राप्ति हेतु अतिरिक्त व्यय के लिए (₹ 324.92 करोड़)।	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 64 Law and Justice For additional expenditure (₹ 324.92 crore) towards procurement of Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trial for the ensuing General			
65. विनियोग भारतीय का उच्चतम न्यायालय अधिष्ठापन संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु (₹11.46	Elections, 2014. 65 Appropriation-Supreme Court of India For meeting establishment related	-	157.68	157.68
करोड़)।	expenditure (₹ 11.46 crore).	-	6.43	6.43
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 74 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (क) पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के कारण न्यून- वसूली (₹ 10,000 करोड़) और (ख) परियोजना प्रबंधन खर्च (₹ 109 करोड़) के लिए तेल विपणन कंपनियों को इमदाद हेतु खर्च प्रदान करने हेतु।	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 74 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing expenditure towards subsidy to Oil Marketing Companies towards (a) Under-recoveries (₹ 10,000 crore) on account of sale of petroleum products, and (b) Project Management expenditure (₹ 109 crore).	-	10,041.72 1	0,041.72
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप राष्ट्रपति सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT			
80 विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग	80 Appropriation-Union Public Service Commission			
परीक्षाओं और चयन करने पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure on examinations and making selections.	-	8.72	8.72

	अनुदाना का पूर्वर मान, 2	2013	-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOI	CORANT		(111)
					रोड़ रुपए Rup	ees in Crore)
अनुद	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भि Non Pla	•
	हन मंत्रालय नौवहन मंत्रालय सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को एमएटी दायित्व के परिसमापन के लिए सामान्य अनुदान सहायता के रूप में खर्च को पूरा करने हेतु (₹146.33 करोड़)।		NISTRY OF SHIPPING Ministry of Shipping For meeting expenditure (₹ 146.33 crore) as Grants-in-aid General to liquidate MAT liability to Central Inland Water Transport Corporation Limited.	-	41.35	41.35
सांरि	ब्रेकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	Ml	NISTRY OF STATISTICS AND			
91	मंत्रालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (क) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता को वेतन सहायता अनुदान (₹ 23.97 करोड़), और नेशनल सैंपल सर्वे आर्गनाइजेशन के लिए वेतन (₹ 45.04 करोड़) हेतु खर्च पूरा करने हेतु।	91	PROGRAMME IMPLEMENTATION Ministry of Statistics and Programme Implementation For meeting expenditure towards (a) Grants- in-aid Salary (₹ 23.97 crore) to Indian Statistical Institute, Kolkata, and (b) salary (₹ 45.04 crore) for National Sample Survey Organisation.	-	5.97	5.97
कुल	नकद व्यय	To	tal Cash Outgo	1,000.00	24,567.97	25,567.97
4	पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में तकनीकी पूरक अनुदानों/₹ 20,658.37 करोड़ के विनियोग के प्रस्ताव शामिल हैं जिसे मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या सदृश्य बचतों द्वारा मिलान किया गया। मद निम्नलिखित हैः	4.	This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹ 20,658.37 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/ Departments. The items are as follows:			
अनुद	झनों को तकनीकी पूरक मांग	Tec	chnical Supplementary Demands for grants			
परम 4 5	ाणु ऊर्जा विभाग परमाणु ऊर्जा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा अधिगृहीत भूमि के लिए संवर्धित क्षतिपूर्ति का खर्च पूरा करने हेतु। नाभिकीय विद्युत योजना (क) संवर्धित देशी आपूर्ति और विदेशी देशों से ईंधन की खरीद पर अतिरिक्त खर्च हेतु (₹ 267.85 करोड़)। (ख) मैसर्स भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड में निवेश के लिए अतिरिक्त खर्च हेतु।	DE 4 5	PARTMENT OF ATOMIC ENERGY Atomic Energy For meeting expenditure on enhanced compensation for land acquired by Bhabha Atomic Research Centre. Nuclear Power Schemes (a) For additional expenditure (₹ 267.85 crore) on increased indigenous supply and procurement of fuel from overseas Countries. (b) For additional expenditure towards Investment in M/s Bharatiya Nabhikiya Vidhyut Nigam Limited.	10.00	111.72	10.00 111.72 12.40
वाणि	ाज्य एवं उद्योग	Ml	INISTRY OF COMMERCE AND			
11	मंत्रालय वाणिज्य विभाग क) न्यायालय के आदेशों के कारण अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु। (ख) (i) काजू निर्यात संवर्धन परिषद (₹1.90 करोड़), और (ii) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (₹3 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	11	 INDUSTRY Department of Commerce (a) For meeting additional expenditure due to court decree. (b) For Grants-in-aid General to (i) Cashew Export Promotion Council (₹ 1.90 crore), and (ii) Indian Institute of Packaging (₹ 3 crore). 	4.07	0.62	0.62

				रोड़ रुपए Rupees		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grai	nt No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	ा जोड़ Total	
12 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन	12 I	Department of Industrial Policy and				
विभाग	I	Promotion				
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कारिडोर के तहत एसपी	ग्री F	For meeting additional expenditure towards				
परियोजना के लिए अतिरिक्त खर्च के पूरा क	ने S	SPV project under Delhi-Mumbai Industrial				
हेतु।	(Corridor.	96.00	-	96.00	
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी	MIN	ISTRY OF COMMUNICATIONS AND				
मंत्रालय		NFORMATION TECHNOLOGY				
13 डाक विभाग		Department of Posts				
न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले अतिरि		For meeting additional expenditure arising				
खर्च को पूरा करने हेतु।		out of court judgement.	-	0.10	0.10	
14 दूर संचार विभाग		Department of Telecommunications				
भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)		For meeting additional expenditure (₹ 442				
संबंध में पेशन और सेवानिवृत्ति लाभों पर अतिरि	त c	rore) towards Pension and Retirement				
खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 442 करोड़)।	E	Benefits in respect of Bharat Sanchar Nigam				
	I	Limited (BSNL).	-	436.27	436.27	
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक	MIN	ISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,				
वितरण मंत्रालय		FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION				
17 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण		Department of Food and Public				
विभाग		Distribution				
(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत		For meeting expenditure on subsidy (a) to				
खाद्य निगम को (₹ 2,000.02 करोड़), (र		Food Corporation of India (₹ 2,000.02 crore)				
चीनी के सुरक्षित भंडार के अनुरक्षण के हि		inder National Food Security Act, (b) for				
(₹ 2.50 करोड़) इमदाद पर अतिरिक्त खर्च व		naintenance of Buffer Stocks of Sugar				
पूरा करने हेतु।		₹ 2.50 crore).	-	39.56	39.56	
रक्षा मंत्रालय	MIN	ISTRY OF DEFENCE				
20 रक्षा मंत्रालय		Ministry of Defence				
अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (क) न्यायाद		For meeting additional expenditure (a)				
की डिक्री के कारण (₹ 0.0218 लाख), (ख) ज		rising out of court decree (₹ 0.0218 lakh),				
व कश्मीर लाइट इन्फेन्टरी के वेतन पर (₹ 0.1		b) on Salary (₹ 0.20 crore) to Jammu and				
करोड़)। (ग) आपूर्ति और सामग्री के अन्तर	त k	Kashmir Light Infantry, (c) under Supplies				
(₹ 432 करोड़।	a	nd Materials (₹ 432 crore).	-	241.70	241.70	
22 रक्षा सेवाएं-थल सेना	22 I	Defence Services - Army				
न्यायालयों के आदेशों के कारण होने वाले अतिरि	त F	For meeting additional expenditure arising				
खर्चों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए।	C	out of court orders and other expenditure.	-	4,821.37	4,821.37	
23 रक्षा सेवाएं-नौ सेना		Defence Services - Navy				
न्यायालय के आदेशों के कारण होने वाले अतिरि		For meeting additional expenditure arising				
खर्चों और वेतन, स्टोर्स, निर्माण कार्य और संयुव		out of court orders and under salaries, stores,				
स्टाफ पर आने वाले खर्चों को पूरा करने के लि		vorks, and joint staff.	-	969.51	969.51	
24 रक्षा सेवाएं-वायु सेना		Defence Services - Air Force				
न्यायालय के आदेशों के कारण होने वाले अतिरि		For meeting additional expenditure arising				
खर्चों पर और वेतन भंडारण और निर्माण कार्यों		out of court orders and under salaries, stores				
आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए		nd works.	-	1,082.91	1,082.91	
25 रक्षा आयुध कारखाने		Defence Ordnance Factories				
न्यायालय के आदेशों के कारण होने वाले त		For meeting additional expenditure arising				
विनिर्माण और नवीकरण एवं प्रतिस्थापन के अंतर		out of court orders and under manufacture				
होने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए		nd renewable & replacements.	-	1,366.76	1,366.76	
26 रक्षा सेवाएं- अनुसंधान एवं		Defence Services - Research and				
विकास		Development				
विभाग के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए		for meeting additional expenditure of the				
	Γ	Department.	_	125.15	125.15	

	जानुवाना वर्ग यूर्वर नान, 2	.013	-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR			(V)
				<i>(क</i> र आयोजना	रोड़ रुपए Rupee आयोजना-भिन	
अनुद	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	न जोड़ Total
33	मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग निम्न के खर्चों को पूरा करने के लिए (क) मुद्रा सिक्के तथा टकसाल के अन्तर्गत बकाया के परिसमापन में (₹ 0.50 करोड़), (ख) अन्य राजकोषीय सेवाओं के अन्तर्गत किया जाने वाला भुगतान (₹ 0.04 करोड़), (ग) वित्त क्षेत्रीय, विधायी सुधार आयोग के कार्यालय (₹ 0.005 करोड़) और; (घ) लाभांश राहत के लिए रेलवे को सब्सिडी का भुगतान (₹ 764 करोड़)।		Department of Economic Affairs For meeting expenditure towards (a) liquidation of outstanding balances (₹ 0.50 crore) under 'Currency, Coinage and Mint', (b) payment (₹ 0.04 crore) under 'Other Fiscal Services', (c) the office of Financial Sector Legislative Reforms Commission (₹ 0.05 crore), and (d) payment of subsidy (₹ 764 crore) to Railways for Dividend relief.	_	360.42	360.42
34	वित्तीय सेवाओं का विभाग मेधावी एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को केनरा बैंक के माध्यम से दिये जाने वाले शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी दिये जाने पर आने वाले खर्च को पूरा	34	Department of Financial Services For meeting expenditure towards 'Interest Subsidy' on education loans to bright and needy students through Canara Bank.	_	2,600.00	2,600.00
35	करने के लिए। विनियोग-व्याज भुगतान बाजार ऋण पर ब्याज, 14 दिवसीय ट्रेजरी बिल, लघु बचत की एवज में जारी प्रतिभूति, राजकीय भविष्य निधि कोष, गैर सरकारी भविष्य निधि कोष में विशेष जमा आदि पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए (₹ 19,987.90 करोड़)।	35	For providing additional expenditure (₹ 19,987.90 crore) towards interest on market loans, 14 days Treasury Bills, securities issued against small savings, state provident funds, special deposits of Non-		¢ 110.27	C 110 27
41	भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग व्यय से संबंधित अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए (₹ 146.05 करोड़)।	41	Government provident funds, etc. Indian Audit and Accounts Department For meeting additional establishment related expenditure (₹ 146.05 crore).	-	6,118.37	6,118.37
स्वार	ाथ्य एवं परिवार कल्याण	MI	NISTRY OF HEALTH AND FAMILY			
	मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग माननीय दिल्ली उच्च-न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में विवाचन आदेश को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत मैसर्स इन्टरनेशनल फार्मास्युटिकल्स लि. अहमदाबाद को अतिरिक्त भुगतान किये जाने किये जाने के लिए।		WELFARE Department of Health and Family Welfare For making additional payment to M/s International Pharmaceutical Limited, Ahmedabad under National Leprosy Eradication Programme towards Arbitration Award in pursuance of directions of Hon'ble High Court of Delhi.	_	18.47	18.47
50	एड्स नियंत्रण विभाग ड्रग्स, किटस और उपभोग्य सामग्री की खरीद पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए।	50	Department of AIDS Control For meeting additional expenditure on procurement of Drugs, Kits and Consumables.	12.00	_	12.00
	उद्योग एवं सरकारी उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग विभाग (क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफेक्वरिंग कम्पनी लि. को ऋण देने के लिए (₹ 182 करोड़)।		NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES Department of Heavy Industry (a) For providing loan (₹ 182 crore) to Hindustan Photo Films Manufacturing			12.00
	(ख) (i) एंड्रयू यूले एवं कम्पनी लि. की प्रतिभूति शुल्क की माफी के लिए (₹ 0.64 करोड़)। (ii) स्कूटर्स इंडिया लि. के ब्याज की माफी के लिए (₹ 26.37 करोड़)।		Company Limited. (b) For (i) Waiver of Guarantee Fee (₹ 0.64 crore) of Andrew Yule and Company Limited, (ii) Waiver of Interest (₹ 26.37 crore) of Scooters India Limited.	-	47.43 27.01	47.43 27.01
	मंत्रालय पुलिस भारतीय रिजर्व बटालियन के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से प्राप्त दावों की प्रतिपूर्ति पर आने वाले अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए (₹ 5.34 करोड़)।		NISTRY OF HOME AFFAIRS Police For meeting expenditure (₹ 5.34 crore) on reimbursement of claims received from various States in respect of India Reserve Battalion.	-	4.59	4.59

		आयोजना	रोड़ रुपए Rupee आयोजना-भिन्न	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
विधि एवं न्याय मंत्रालय 64 विधि एवं न्याय मंत्रालय आगामी आम चुनाव 2014 के लिए वोटर वोरिफिएबल पेपर ऑडिट तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त खर्च (₹ 324.92 करोड़)	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 64 Law and Justice For additional expenditure (₹ 324.92 crore) towards procurement of Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trial for the ensuing General Elections, 2014.	-	8.00	8.00
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE			
69 नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (क) नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए (₹ 1,130.75 करोड़) जिसे कि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष से पूरा किया जाएगा। (ख) भारतीय सौर ऊर्जा निगम के पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि करने के लिए (₹ 15 करोड़)।	ENERGY 69 Ministry of New and Renewable Energy For (a) meeting expenditure (₹ 1,130.75 crore) under New and Renewable Energy to be met from National Clean Energy Fund, and (b) enhancing Capital Outlay (₹ 15 crore) of Solar Energy Corporation of India.	1,130.75	-	1,130.75
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURALGAS			
74 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल विपणन कम्पनियों को दी जाने वाली सब्सिडी पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए (क) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण हुई कम वसूली (₹ 10,000 करोड़) के मामलें में (ख) परियोजना प्रबंधन व्यय (₹ 109 करोड़) के मामलें में।	74 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing expenditure towards subsidy to Oil Marketing Companies towards (a) Under-recoveries (₹ 10,000 crore) on account of sale of petroleum products, and (b) Project Management expenditure (₹ 109 crore).	-	1.00	1.00
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
76 विद्युत मंत्रालय त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए।	76 Ministry of Power For meeting expenditure under Accelerated Power Development Reform Programme.	15.00	-	15.00
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (क) निम्न में सड़कों के लिए पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन के लिए केन्द्रीय सड़क कोष से अनुदान (i) राज्य (₹ 300 करोड़), (ii) दिल्ली (₹ 300 करोड़), (iii) पुडुचेरी (₹ 11.50 करोड़)। (ख) न्यायालय के आदेशों के अनुसार गैर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरों के बकाया का भुगतान करने के 	 82 Ministry of Road Transport and Highways (a) For Grants for creation of capital assets from Central Road Fund for Roads in (i) States (₹ 300 crore), (ii) Delhi (₹ 300 crore), and (iii) Puducherry (₹ 11.50 crore). (b) For meeting additional expenditure on Major Works by Border Roads 	611.50	-	611.50
लिए सीमा सड़क विकास द्वारा किये गए बड़े निर्माण कार्यों पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए।	Development Board towards payment of arrears to Non-Diploma Civil Engineers as per Court Order.	-	20.00	20.00
पोत परिवहन मंत्रालय 88 पोत परिवहन मंत्रालय (क) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड के दायित्व के परिसमापन हेतु सामान्य सहायता अनुदान के रूप में खर्च को पूरा करने के लिए (₹ 146.33 करोड़)।(ख) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंडिनियर्स लिमिटेड को सामान्य सहायता अनुदान के लिए (₹ 251.63 करोड़)।	MINISTRY OF SHIPPING 88 Ministry of Shipping For (a) meeting expenditure (₹ 146.33 crore) as Grants-in-aid General to liquidate MAT liability to Central Inland Water Transport Corporation Limited, (b) Grants-in-aid General (₹ 251.63 crore) to Hooghly Dock and Port Engineers Limited .	-	258.01	258.01

			ररोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सांख्यिकी एवम् कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 91 सांख्यिकी एवम् कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (क) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता व सहायता अनुदान वेतन (₹ 23.97 करोड़) अाने वाले खर्च के लिए और; (ख) राष्ट्रीय नमृ सर्वेक्षण संगठन को वेतन के लिए (₹ 45.0 करोड़)।	in-aid Salary (₹ 23.97 crore) to Indian Statistical Institute, Kolkata, and (b) salary	-	7.80	7.80
वस्त्र मंत्रालय 93 वस्त्र मंत्रालय ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन को ऋण देने के लि जिससे कि वे उच्चतम न्यायालय के आदेशों अनुपालन में अपने कर्मचारियों के वेतन तथा मजव	Corporation towards payment of salary and	-	55.00	55.00
संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT			
96 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (क) विद्युत ग्रहों को हाई स्पीड डीजल ऑयल व खरीद के लिए आने वाले खर्च को पूरा करने लिए (₹ 72.78 करोड़) (ख) पोत परिवहन क्षेत्र को हाई स्पीड डीज ऑयल की खरीद पर आने वाले खर्च को प् करने के लिए (₹ 77.22 करोड़)	চ crore) for procurement of HSD oil for Power Houses. ☑ (b) For meeting the expenditure (₹ 77.22)	5.09	26.21	26.21
शहरी विकास मंत्रालय 101 शहरी विकास विभाग बड़े निर्माण कार्यों पर आने वाले खर्च को पूरा क के लिए, ताकि विवाचन निर्णय/न्यायालय माम के लिए भुगतान किया जा सके।		1.00	-	1.00
कुल तकनीकी	Total Technical	1,897.81	18,760.56 20	,658.37
5. प्रत्येक एक लाख रुपये की अनुपूरक मांगे भ नीचे सूचीबद्ध मदों के सम्बन्ध में ली जानी प्रस्ताित हैं तथा इसके बारे में व्यय, संगत अनुदान सम्बन्ध में जैसा भी मामला हो, राजस्व अथ पूंजीगत खण्ड के भीतर बचत के पुनः विनियोज द्वारा पूरा किया जाएगा।	also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by			
अनुदानों हेतु सांकेतिक पूरक मांगें	Token Supplementary Demands for grants			
कृषि मंत्रालय 1 कृषि एवं सहकारिता विभाग (क) फसलों की खेती के अन्तर्गत सहाय अनुदान सम्बन्धित व्यय (₹ 70.06 करोः (ii) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाओं कार्यान्वयन के अन्तर्गत अतिरिक्त योगद (₹ 335 करोड़)	expenditure (₹ 70.06 crore) under Crop Husbandry', (ii) additional	405.06	_	405.06

				रोड़ रुपए Rupees	
नुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	G	rant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) अन्य कृषि कार्यक्रमों में सहायता अनुदान		(b) For Grants-in-aid related expenditure			
सम्बन्धी व्यय। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	2	in other Agricultural Programmes. Department of Agricultural Research and Education	37.60	-	37.60
(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को सहायता अनुदान सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय प्रदान करना तथा इसमें ख्याति प्राप्त संस्थान के लिए पूंजीगत परिसम्पतियों का सृजन (₹ 1 करोड़) शामिल है।		(a) For providing additional Grants-in-aid related expenditure to Indian Council of Agricultural Research including Grants for creation of Capital Assets (₹ 1 crore) for Institute of Eminence.	108.55	11.62	120.17
(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सहायता अनुदान सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय मुहैया करवाना।		(b) For providing additional Grants-in-aid related expenditure in North Eastern Areas to Indian Council of Agricultural Research.	37.09	-	37.09
पशुपालन डेयरी और मात्स्यिकी विभाग	3	Department of Animal Husbandry,	57.09		27.03
(क) मुर्गी पालन वेन्चर पूंजीगत निधि की योजनाओं के लिए सहायता अनुदान सामान्य।		Dairying and Fisheries (a) For Grants-in-aid General in the schemes of Poultry Venture Capital			
(ख) डेयरी विकास के अन्तर्गत सहायता अनुदान		Fund. (b) For meeting Grants-in-aid related	27.00	-	27.00
सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए। (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सामान्य सहायता अनुदान		expenditure under Dairy Development. (c) For meeting Grants-in-aid General in	26.03	-	26.03
को पूरा करने के लिए। (घ) मुख्य कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने		North Eastern Areas.	14.00	-	14.00
(a) मुख्य काया के आतास्पत व्यय का पूरा करन के लिए।		(d) For meeting additional expenditure towards Major Works.	1.40	-	1.40
माणु ऊर्जा विभाग		CPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
परमाणु ऊर्जा (क) परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (ख) परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	4	 (a) For meeting additional expenditure under Atomic Energy Research. (b) For meeting additional expenditure towards Capital Outlay on Atomic 	24.13	32.14	56.27
" (ग) परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय		Energy Industries. (c) For meeting additional expenditure	22.77	0.35	23.12
के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने लिए।		towards Capital Outlay on Atomic Energy Research.	101.55	0.30	101.85
ायला मंत्रालय		NISTRY OF COAL			
कोयला मंत्रालय कोयला खानों के संरक्षण और सुरक्षा की योजना के अन्तर्गत कोयले और कोक के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता व्यय।	10	Ministry of Coal For additional subsidy expenditure under the scheme of Conservation and Safety of Coal Mines towards Coal and Coke.	25.00	-	25.00
णिज्य और उद्योग मंत्रालय	M	INISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
। वाणिज्य विभाग (क) काफी बोर्ड (₹ 16.20 करोड़) और खड़ बोर्ड (₹ 6 करोड़) की सहायता अनुदान वेतन।	11	Department of Commerce For Grants-in-aid Salary to (a) Coffee Board (₹ 16.20 crore), and (b) Rubber Board (₹ 6 crore).	-	22.20	22.20
2 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (क) पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश नीवि 2007 गोजना	12	Department of Industrial Policy and Promotion (a) For meeting additional expenditure			
(क) पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश नीति, 2007 योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय का वहन करने के लिए। (ख) परिवहन आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत		(a) For meeting additional expenditure under the scheme North East Industrial Investment Policy, 2007.(b) For meeting additional expenditure for	33.29	-	33.29
दावों का निपटान करने के लिए अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिए		settlement of claims under the Transport Subsidy scheme.	44.20	-	44.20

		<u></u> (क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore,
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 14 दूर संचार विभाग ब्रांडबैन्ड वायरलैस एक्सस स्पैक्ट्रम के लिए अदा किए गए अपफ्रन्ट प्रभार की वापसी के साथ ऐसे स्पैक्ट्रम के लौटाए जाने पर बी.एस.एन.एल. को वित्तीय सहायता देने के लिए होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY 14 Department of Telecommunications For meeting additional expenditure towards providing financial support to BSNL on surrender of Broadband Wireless Access spectrum with refund of upfront charges paid for such spectrum.	-	1,102.68	1102.68
संस्कृति मंत्रालय (क) निम्नलिखित हेतु सामान्य सहायता-अनुदान (1) 'राष्ट्रीय अनुस्मारकों का अनुस्क्षण' स्कीम के अंतर्गत इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट हेतु कार्पस निधि प्रदान करना (₹ 10 करोड़), (2) जनजाति उप योजना के तहत लित कला अकादमी (₹ 0.65 करोड़), (3) अध्येतावृत्ति और पुरस्कार प्रदान करने के लिए संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली (₹ 2 करोड़), (4) नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के पोर्टल, चुनींदा कार्यों और उन्नयन के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति (₹ 15 करोड़), राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति, स्मृति संबंधी क्रियाकलापों इत्यादि के लिए (₹ 5 करोड़), और उत्कृष्टता संस्थान की पूंजीगत आस्तियों (₹ 1 करोड़) के लिए अनुदान। (ख) कला और संस्कृति के तहत संबद्ध और अन्य व्यय के लिए अनुदान	MINISTRY OF CULTURE 19 Ministry of Culture (a) For (i) Grants-in-aid General to (1) provide Corpus Fund for Indira Gandhi Memorial Trust under the scheme 'Maintenance of National Memorials' (₹ 10 crore), (2) Lalit Kala Akademi, New Delhi under Tribal Sub Plan (₹ 0.65 crore), (3) Sangeet Natak Akademi, New Delhi for conferment of fellowship and awards (₹ 2 crore), (4) meet the additional requirement for Portal, Selected Works and Upgradation of Nehru Memorial Museum and Library (₹ 15 crore), Supporting staff for National Implementation Committee, Commemoration activities, etc (₹ 5 crore), and (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 1 crore) to Institute of Eminence. (b) For Grants related and other expenditure under Art and Culture.	33.65	8.18	33.65 8.18
 रक्षा मंत्रालय (क) छावनी बोर्डों की सामान्य सहायता अनुदानों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) रक्षा संपदा संगठन के आवसीय भवन के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ग) रक्षा संपदा संगठन के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। रक्षा संपदा संगठन के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। 	MINISTRY OF DEFENCE 20 Ministry of Defence (a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General to Cantonment Boards. (b) For meeting additional expenditure towards construction of office buildings of Defence Estates Organisation. (c) For meeting additional expenditure towards construction of residential buildings of Defence Estates Organisation. 27 Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure.	-	51.64 2.00 1.75 0.01	51.64 2.00 1.75 0.01
पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय 30 पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय (क) 'अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच' की स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु	MINISTRY OF EARTH SCIENCES 30 Ministry of Earth Sciences (a) For Grants-in-aid General under the scheme of 'Research Education and Training Outreach'.	12.00	-	12.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) आयोजना आयोजना-भिन्न जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Plan Non Plan **Total** (ख) 'वायुमंडलीय प्रक्रिया और मॉडलिंग सेवा' की (b) For Grants-in-aid General under the स्कीम के तहत सामान्य सहायता-अनुदान scheme of 'Atmospheric Process and Modeling Service'. 3.00 3.00 (ग) समुद्री जीव संसाधन और परिस्थितियों केंद्र (c) For additional expenditure under के प्रमुख कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय। Major Works of Centre for Marine 3.00 3.00 Living Resources and Ecology. (घ) 'भूकंप-विज्ञान अनुसंधान' कार्यक्रम के तहत (d) For additional expenditure towards मशीनरी और उपस्करों के लिए अतिरिक्त Machinery and Equipments under the व्यय हेतू। Programme 'Seismological Research'. 6.25 6.25 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT AND **FORESTS** 31. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 31 Ministry of Environment and Forests (क) भारतीय वन्य जीव संस्थान की सामान्य अनुदान (a) For meeting expenditure towards मांगों के खर्च को पुरा करने के लिए। Grants-in-aid General to Wildlife Institute of India. 1.30 1.30 (ख) निम्नलिखित के व्यय को पूरा करने हेत् (i) (b) For meeting expenditure towards (i) सामान्य सहायता अनुदान (1) जैव विविधता Grants-in-Aid General to (1) संरक्षण और ग्रामीण जीवनयापन सुधान (ईएपी) Biodiversity Conservation and Rural (₹ 5.50 करोड़), (2) उत्कृष्टता केंद्र (Livelihood Improvement (EAP) (₹5.50 ₹ 2.91 करोड़), और (3) पर्यावरण प्राधिकरण crore), (2) Centres of Excellence (₹2.91 और पर्यावरणीय आयोग और अधिकरण की crore), and (3) Establishment of संस्थापना (₹ 0.18 करोड़), (ii) सामान्य Environment Authorities निस्सारी अभिक्रिया संयंत्र के संवर्द्धन के Environmental Commission & लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान Tribunal (₹ 0.18 crore), (ii) Grants for (₹ 1 करोड़), और (iii) निम्नलिखित के creation of Capital Assets to वेतनों हेतु सहायता अनुदान (1) गोविंद बल्लभ 'Promotion of Common Effluent पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान Treatment Plants' (₹ 1 crore), and (iii) (₹ 0.60 करोड़), (2) उत्कृष्टता केंद्र Grants-in-Aid Salary to (1) Gobind (₹ 0.20 करोड़) और पर्यावरण प्राधिकरण Ballabh Pant Himalayan Institute of और पर्यावरणीय आयोग और अधिकरण की Environment and Development (₹0.60 संस्थापना (₹ 0.18 करोड़) crore), (2) Centres of Excellence (₹0.20 crore), and (3) Establishment of Environment Authorities and Environmental Commission & 10.57 Tribunal (₹ 0.18 crore). 10.57 (ग) मै. अंडमान और निकोबार द्वीप समृह वन (c) For providing additional loan to M/s और पौधारोपण विकास निगम लिमिटेड को Andaman and Nicobar Islands Forest वेतन और पारिश्रमिक संबंधी खर्चों को पूरा Plantation Development करने के लिए अतिरिक्त ऋण प्रदान करने Corporation Limited for meeting salary हेत्। 16.00 and wages expenses. 16.00 विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 32 विदेश मंत्रालय 32 Ministry of External Affairs निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने For meeting additional expenditure (a) हेत् (क) दूतावासों और मिशनों के तहत संस्थापना towards establishment related expenditure संबंधी व्यय (₹ 50.36 करोड़), (ख) (i) मैसन (₹ 50.36 crore) under Embassies and डीएलइंडे (₹ 7.90 करोड़), (ii) आब्जर्वर रिसर्च Missions, (b) on Grants-in-aid General (i) फाऊंडेशन (₹ 0.25 करोड़) के लिए सामान्य for Maison de l'inde (₹ 7.90 crore), (ii) to सहायता अनुदान और (ग) विशेष कृटनीतिक व्यय Observer Research Foundation (₹ 0.25 हेत् (₹ 100 करोड़) crore), and (c) towards Special Diplomatic expenditure (₹ 100 crore). 158.51 158.51

ार्या । यम यूर्यम् ।।	, 2013-2014 SULL ELMENTANT DEMANDS FOR		रोड़ रुपए Rupees	in Crora)
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़ जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33 आर्थिक कार्य विभाग	33 Department of Economic Affairs			
(क) बजट प्रेस के लिए मशीन की खरीद पर व्य	(a) For expenditure towards purchase of			
	machine for Budget Press.	-	6.00	6.00
(ख) उधार लेने की नई व्यवस्था के अंतर	त (b) For meeting additional expenditure			
अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण के वि	ए towards loans to International			
अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	Monetary Fund under New			
	Arrangements to Borrow.	_	100.00	100.00
42. राजस्व विभाग	42 Department of Revenue			
(क) (i) व्यापार कर विभाग उत्तर प्रदेश को व्र				
कर और उन पर ब्याज (11.30 करोड़ रुपए	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
(ii) कोडाइन फॉस्फेट के आयात के ति				
मैसर्स टीमाड, ईरान को भुगतान (34.	,			
करोड़ रुपए), (iii) कोडाइन फॉस्फेट				
आयात हेत् विनिमय दर में अंतर (8.5				
करोड़ रुपए), (iv) नीमच अफीम फैक्टरी	, .			
संबंध में नकद-भिन्न मदों (8.66 करोड़ रुप	1 1			
आदि पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को ए				
करने के लिए।	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
प्रस्त के लिए।	items (₹ 8.66 crore) in respect of		(2.00	(2.00
(ख) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वाणिज्यि	Neemuch Opium Factory, etc.	-	62.88	62.88
	· / 1			
करों के लिए मिशन मोड परियोजनाओं				
क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त सहायता भुगत	_		• 00	• • •
उफलब्ध कराना।	Project for Commercial Taxes.	-	3.00	3.00
43. प्रत्यक्ष कर	43 Direct Taxes			
प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा अनुसिचवी	•			
कर्मचारी प्रशिक्षण एकक, अहमदाबाद के लिए र				
परिसर के निर्माण हेतु भूमि की खरीद पर होने व				
व्यय के लिए।	Ministerial Staff Training Unit,			
	Ahmedabad.	-	9.67	9.67
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING			
	INDUSTRIES			
46 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	46 Ministry of Food Processing Industries			
(क) खाद्य भंडारण तथा भंडारगार के लिए व	य (a) For providing additional Grants-in-aid			
संबंधी अतिरिक्त अनुदान सहायता प्रदान क	ने related expenditure under Food Storage			
के लिए।	and Warehousing.	11.92	3.00	14.92
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभार्थ व्यय संबंधी अतिरि	ন (b) For providing additional Grants-in-aid			
अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए।	related expenditure for the benefit of			
	North Eastern Areas.	4.20	-	4.20
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	MINICEDY OF HEALTH AND FAMILY			
स्वास्थ्य तथा पारवार कल्याण मत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
47 स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग	47 Department of Health and Family Welfare			
(क) चिकित्सीय उपकरण की खरीद पर अतिरि	` '			
व्यय को पूरा करने के लिए कस्तुरबा हे	ध to Kasturba Health Society for meeting			
सोसायटी को पूंजीगत आस्तियां सृजित क				
के लिए अनुदान हेतु।	procurement of medical equipment.	4.58	-	4.58
(ख) एससीएसपी संगठक (27.95 करोड़ रुप				
और टीएसपी संघटक (28.78 करोड़ रुप				
हेतु मिशन फ्लेक्सिबल पूल के अंतर्गत स्व				
हेल्थ सोसायटियों को पूंजीगत आस्तियां सृष्टि				
करने के लिए अनुदान हेतु।	(₹ 28.78 crore).	56.73	_	56.73
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

					ोड़ रुपए Rupees	
अनुदान सं	ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग)	पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभार्थ मिशन फ्लेक्सिबल पूल के अंतर्गत स्टेट हेल्थ सोसायटियों को सामान्य अनुदान सहायता हेतु।		(c) For Grants-in-aid General to State Health Societies under Mission Flexible Pool for the benefit of North Eastern Region.	39.32	-	39.32
(ਬ)	(i) अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा तथा पुनर्वास संस्थान, मुंबई (1 करोड़ रुपए) के उपकरणों की खरीद हेतु तथा (ii) सेंट्रल इंस्टियूट ऑफ साइकाइट्री, रांची (0.10 करोड़ रुपए) के व्यय हेतु।		(d) For meeting expenditure of (i) All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai (₹ 1 crore) for purchase of equipment, (ii) Central Institute of Psychiatry, Ranchi (₹ 0.10 crore).	1.10	_	1.10
	र्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा तथा होम्योपेथी विभाग (आयुष) केत्सीय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत	48	Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
सहा 50 एड्र पूर्वो	यता अनुदान से संबंधित व्यय के लिए। स नियंत्रण विभाग त्तर क्षेत्र में राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों	50	For Grants-in-aid related expenditure under Medical and Public Health. Department of AIDS Control For Grants-in-Aid General to State AIDS Control Societies in North Eastern	15.92	22.90	38.82
का	सामान्य सहायता अनुदान के लिए।		Region.	6.00	-	6.00
51 भारी	ोग एवं सरकारी उपक्रम मंत्रालय ो उद्योग विभाग काचर पेपर मिल्स, हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन		NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES Department of Heavy Industry (a) For Grants-in-aid General to Cachar			
(ਹਰ)	लि. को सामान्य सहायता अनुदान हेतु। स्कूटर्स इण्डिया लि. के संबंध में ऋण के		Paper Mills, a unit of Hindustan Paper Corporation Limited. (b) For conversion of Loan into Equity in	47.23	-	47.23
(4)	इक्विटी में अंतरण हेतु।		respect of Scooters India Limited.	1.93	83.28	85.21
गृह मंत्राल 53 गृह			NISTRY OF HOME AFFAIRS Ministry of Home Affairs (a) For meeting additional expenditure			
	व्यय को पूरा करने हेतु। अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त		under Professional Services. (b) For meeting additional expenditure	-	1.70	1.70
(ग)	व्य को पूरा करना। फायर एवं आपात सेवाओं के सुदृढ़ीकरण व्यय को पूरा करने हेतु।		under 'Other Administrative Services'. (c) For meeting expenditure towards Strengthening of Fire and Emergency	-	0.39	0.39
55 पुलि	ਹ	55	Services. Police	2.50	-	2.50
	र इण्डो-तिब्बत बार्डर पुलिस और विशेष सुरक्षा समूह के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।		(a) For meeting additional expenditure in respect of Indo-Tibetan Border Police and Special Protection Group.	-	0.54	0.54
	पुलिस ते तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।		(b) For meeting additional expenditure under Police.	26.21	364.66	390.87
	पुलिस के तहत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को पूरा करने हेतु। मंत्रालय के अन्य व्यय	56	(c) For meeting additional Capital expenditure under Police.Other Expenditure of the Ministry of	16.52	147.45	163.97
	निम्न के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (i) विज्ञापन व प्रचार (₹0.33 करोड़) (ii) व्यावसायिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय भूकंप मीटिगेशन परियोजना (₹1.65 करोड़) और (ii) आपदा प्रबंधन संयुक्त नेटवर्क हेतु व्यावसायिक सेवाएं (₹0.20 करोड़)।		Home Affairs (a) For meeting additional expenditure under (i) National Earthquake Mitigation Project for (1) Advertisement and Publicity (₹ 0.33 crore), (2) Professional Services (₹ 1.65 crore), and (ii) Professional Services (₹ 0.20 crore) for Disaster Management Communication Network.	2.18	_	2.18

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure of National Disaster Management Authority.	-	0.90	0.90
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION			
58 आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	58 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation			
राष्ट्रीय बिल्डिंग संगठन को सामान्य सहायता अनुदान।	For Grants-in-aid General to National Building Organisation.	8.00	-	8.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
59. विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	59 Department of School Education and Literacy			
(क) सामान्य शिक्षा के तहत सहायता अनुदान संबंधी व्यय हेतु। (ख) पूर्वोत्तर राज्यों के सामार्थ अनुदान संबंधी व्यय	(a) For Grants-in-Aid related expenditure under General Education.(b) For Grants-in-Aid related expenditure	18.01	21.44	39.45
हेतु। 60 उच्चतर शिक्षा विभाग	for the benefit of North Eastern Areas. 60 Department of Higher Education	50.12	-	50.12
(क) (i) गारंटी निधि हेतु ब्याज सब्सिडी और अंशदान (₹528.87 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान, और (ii) इंस्टिटयूट ऑफ एमिनेन्स को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1 करोड़)।	(a) For (i) Grants-in-aid General under the scheme of 'Interest Subsidy and Contribution for Guarantee Fund' (₹ 528.87 crore), and (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 1 crore) to			
(ख) सामान्य शिक्षा के तहत सहायता अनुदान संबंधी व्यय।	Institute of Eminence. (b) For Grants-in-aid related expenditure	529.87	100.00	529.87
संबंधा व्यय। (ग) तकनीकी शिक्षा के तहत सहायता अनुदान संबंधी व्यय।	under General Education. (c) For Grant-in-aid related expenditure	-	122.88	122.88
संबंधा व्यय। (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में संस्थान को सहायता अनुदान संबंधी व्यय।	under Technical Education. (d) For Grants-in-Aid related expenditure to institutes in North Eastern Areas.	215.54	18.74	18.74 215.54
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND			
61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	BROADCASTING 61 Ministry of Information and Broadcasting			
निम्न को वेतन सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (क) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (₹1.34 करोड़) और (ख) भारतीय जनसंचार संस्थान (₹0.40 करोड़)।	For meeting additional Grants-in-aid Salary expenditure to (a) Film and Television Institute of India (₹ 1.34 crore), and (b) Indian Institute of Mass Communication (₹ 0.40 crore).	-	1.74	1.74
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
(क) निम्न के "कौशल विकास" की स्कीम के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़) (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान (₹60 करोड़)। (ख) निम्न के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (i) माइका माइनस लेबर वेलफेयर फण्ड (₹20.63 करोड़); (ii) आइरन आर माइन्स	62 Ministry of Labour and Employment (a) For meeting additional expenditure under the Scheme of 'Skill Development' towards (i) Grants-in-aid General (₹ 5 crore), (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 60 crore). (b) For meeting additional expenditure towards (i) Mica Mines Labour Welfare Fund (₹ 20.63 crore), (ii) Iron Ore Mines	65.00	-	65.00

		<u>(क</u>	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(₹20.04 करोड़); (iii) लाइमस्टोन एण्ड डोलोमाइट लेबर वेलफेयर फण्ड (₹50.85 करोड़); (iv) सिने वर्कर्स वेलफेयर फण्ड (₹5.03 करोड़)। (ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए "कौशल विकास" स्कीम के तहत अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के लिए विशेष घटक आयोजना के तहत राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान।	Fund (₹ 20.04 crore), (iii) Limestone and Dolomite Labour Welfare Fund (₹ 50.85 crore), (iv) Cine Workers Welfare Fund (₹ 5.03 crore). (c) For Grants-in-aid General to State Governments under the Special Component Plan for Scheduled Castes and Tribal Area Sub Plan under the Scheme of 'Skill Development' towards Externally aided Project.	107.57	96.55	96.55 107.57
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
66 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	66 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभार्थ की बढ़ोत्तरी अथवा उसके प्रावधानार्थ। (ख) ग्राम और लघु उद्योग के तहत सहायता	(a) For augmentation or provisions for the benefit of North Eastern Areas.(b) For meeting Grants-in-aid related	11.13	-	11.13
अनुदान संबंधी व्यय के लिए।	expenditure under Village and Small Industries.	103.67	0.50	104.17
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 68 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राज्य वर्क्फ बोर्ड स्कीम के सुदृढ़ीकरण के तहत सामान्य सहायता अनुदानार्थ व्यय पूरा करने हेतु।	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS 68 Ministry of Minority Affairs For meeting expenditure towards Grants-in- aid General under the strengthening of the State Wakf Board Scheme.	1.10	-	1.10
कार्मिक लोकशिकायत व पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73 कार्मिक लोकशिकायत व पेंशन मंत्रालय लोकपाल संबंधी व्यय पूरा करने हेतु।	73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions For meeting expenditure on Lokpal.	-	0.50	0.50
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
 75 योजना मंत्रालय (क) अतिरिक्त सहायता अनुदान संबंधी व्यय पूरा करने हेतु। (ख) जिलों के लिए क्षमता विकास हेतु यूएनडीपी सहायता के व्यय को पूरा करने हेतु। 	 75 Ministry of Planning (a) For meeting additional Grants-in-aid related expenditure. (b) For meeting expenditure for UNDP assistance for Capacity Development 	2.42	-	2.42
u. O	for Districts.	3.12	-	3.12
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय 79 राज्य सभा	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT 79 Rajya Sabha			
सचिवालय का व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure of the Secretariat.	-	5.00	5.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
82 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	82 Ministry of Road Transport and Highways			
भूटान में सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा सड़कों के अनुरक्षण हेतु सामान्य सहायता अनुदानार्थ।	For Grants-in-aid General for maintenance of roads by Border Roads Development Board in Bhutan.	-	8.19	8.19

	013-2014 SULL ELMENTANT DEMANDSTOR		रोड़ रुपए Rupees	in Crore
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	<i>जोड़</i>
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
ग्रामीण विकास मंत्रालय 83 ग्रामीण विकास विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ताओं व अन्य को सहायता हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के तौर पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 83 Department of Rural Development For meeting additional expenditure as Grants for creation of Capital Assets towards Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Coordinators and Others under National Rural Employment Guarantee Scheme.	280.00	-	280.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	86 Department of Scientific and Industrial Research For additional expenditure towards Grants- in-aid General to Council of Scientific and Industrial Research.	-	0.50	0.50
87 जैव तकनीक विभाग अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	87 Department of Biotechnology For additional Grants-in-aid related expenditure under 'Other Scientific Research'.	46.35	-	46.35
पोत परिवहन मंत्रालय 88 पोत परिवहन मंत्रालय (क) महानिदेशक (लाइटहाउसेस व लाइटशिप) द्वारा जहाजों की खरीद व बदली हेतु प्रमुख कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु। (ख) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के अर्थोपाय ऋण के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	MINISTRY OF SHIPPING 88 Ministry of Shipping (a) For meeting additional expenditure towards Major Works for purchase and replacement of vessels by Directorate General (Lighthouses and Lightships). (b) For meeting expenditure towards ways and means loan to Hooghly Dock and Port Engineers Limited.	3.91	0.95	3.91 0.95
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
(क) निम्न का व्यय पूरा करने हेतु (i) निम्न को पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ (1) अनु. जाति के लिए छात्राओं के लिए हॉस्टल स्कीम में विभिन्न केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालय (₹ 7 करोड़); (2) अनु. जाति के लिए छात्रों के लिए हॉस्टल (₹ 4.50 करोड़); (ii) निम्न को सामान्य सहायता (1) अनु. जाति के लिए मेंद्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम में चंडीगढ़ संघ क्षेत्र (₹ 0.27 करोड़), (2) अनु. जाति के लिए टॉप क्लास शिक्षण स्कीम में विभिन्न संस्थान (₹ 2 करोड़)।	89 Ministry of Social Justice and Empowerment (a) For meeting expenditure towards (i) Grants for creation of Capital Assets to (1) various Central and State Universities in the scheme of Girls Hostel for Scheduled Castes (₹7 crore), (2) Boys Hostel for Scheduled Castes (₹ 4.50 crore), (ii) Grants-in-aid General to (1) Union Territory of Chandigarh in the scheme of pre-matric scholarship for Scheduled Castes (₹ 0.27 crore), (2) various Institutions in the Scheme of Top Class Education for Scheduled	12.77		12 77
(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सामान्य वेतन सहायता। (ग) विभिन्न राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों को सामान्य	Castes (₹2 crore). (b) For Grants-in-aid Salary to National Commission for Backward Classes.	13.77	0.30	0.30
(ग) विभिन्न राष्ट्रीय विकलाग संस्थाना का सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु।	(c) For releasing Grants-in-aid General to various National Institutes for Disabled Persons.	21.70	-	21.70

				(करोड़ रुपए Rupees in		
अनुव	रान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gra	nt No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अंत		DEP	ARTMENT OF SPACE			
90	अंतरिक्ष विभाग	90 I	Department of Space			
	(क) नार्थ ईस्टर्न स्पेश एपलीकेशन सेंटर (एनई-	(a) For Grants for creation of Capital Assets			
	एसएसी) के रिहायशी कांप्लेंक्स को पूरा		for completion of residential complex			
	करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ		of North Eastern Space Application			
	अनुदान के लिए।		Centre (NE-SAC).	6.52	-	6.52
	(ख) निम्न को वेतन सहायता अनुदान हेतु। (i)	(b) For Grants-in-aid Salary to (i) NE-SAC			
	एनई-एसएसी (₹0.71 करोड़), (ii) नेशनल		(₹ 0.71 crore), (ii) National Atmospheric			
	एटमोस्फीरिक रिसर्च लेबोरेटी (₹0.48 करोड़)।		Research Laboratory (₹ 0.48 crore).	-	1.19	1.19
	(ग) राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विस्तारक	(c) For meeting expenditure towards			
	कार्यकलापों के लिए कर्नाटक सरकार से		acquisition of land from Government			
	भूमि के अधिग्रहण हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।		of Karnataka, for expansion activities of Indian Space Research Organisation.	45.32	-	45.32
सांबि	ख्येकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MIN	ISTRY OF STATISTICS AND			
	•		PROGRAMME IMPLEMENTATION			
91	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		Ministry of Statistics and Programme mplementation			
	(क) स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने हेत्।		a) For meeting establishment related			
	(1)	(expenditure.	_	5.40	5.40
	(ख) जनगणना सर्वेक्षणों व सांख्यिकी के लिए	(b) For Grants-in-aid towards Census			
	सहायता अनुदान के लिए।	`	Surveys and Statistics.	0.05	-	0.05
	(ग) जनगणना सर्वेक्षणों व सांख्यिकी के लिए राज्यों	(c) For Grants-in-aid to States towards			
	को सहायता अनुदानार्थ।		Census Surveys and Statistics.	18.00	-	18.00
	जातीय कार्य मंत्रालय		ISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
95	जनजातीय कार्य मंत्रालय		Ministry of Tribal Affairs			
	(क) मंत्रालयों द्वारा विवेकाधीन अन्य प्रभारों के तहत	(a) For additional expenditure under			
	अतिरिक्त व्यय हेतु।		'Other Charges' under Discretionary		0.05	0.05
	(ख) निव के निया (i) ज्ञानना गार्थन गुरु	(Grant by Ministers. b) For (i) Grants for creation of Capital	-	0.05	0.05
	(ख) निम्न के लिए (i) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एमएफपी के लिए श्रृंखला	(Assets (₹ 0.50 crore), (ii) Grants-in-aid			
	विकास के माध्यम से "मेकेनिजम फोर मार्केटिंग		Salary (₹ 2.45 crore) under the scheme			
	ऑफ माइनर फोरेस्ट प्रोडयूस" स्कीम के		'Mechanism for Marketing of Minor			
	तहत (i) पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान		Forest Produce' (MFP) through			
	(₹ 0.50 करोड़); (ii) वेतन सहायता अनुदान		Minimum Support Price (MSP) and			
	(₹ 2.45 करोड़)।		development of value Chain for MFP.	2.95	-	2.95
संघ	राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	UNI	ON TERRITORIES (WITHOUT			
			LEGISLATURE)			
96	अंडमान और निकोबार द्वीप		Andaman and Nicobar Islands			
	(क) अंडमान और निकोबार द्वीप और समूह वन	(a) For providing loan to Andaman and			
	और पौधारोपण विकास निगम लि. को ऋण		Nicobar Islands Forest and Plantation			
	मुहैया कराने हेतु		Development Corporation Limited.	-	0.01	0.01
	(ख) पुलिस नौकाओं हेतु मशीनरी की खरीद के	(b) For meeting additional expenditure on			
	लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।		procurement of machinery for Police	0.10		0.10
	(m) 2000 micro de moles de salta de sision	(Boats.	0.19	-	0.19
	(ग) आपदा प्रबंधन हेतु मशीन की खरीद के संबंध में अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional expenditure on procurement of machinery for Disaster			
	न आतारक्त व्यय पूरा करन हतु।			0.15		0.15
	(घ) ग्रामीण सड़कों के निर्माण संबंधी अतिरिक्त	(Management. d) For meeting additional expenditure on	0.13	-	0.13
	व्यय पूरा करने हेतु।	(construction of Rural roads.	2.45	_	2.45
		(e) For meeting additional expenditure on	2.73	-	2.73
	(ङ) विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में जेटिज के जारी निर्माण फार्मों के संबंध में अतिरिक्त व्यय पूरा	(ongoing construction works of Jetties			
	ानमाण फामा क संबंध में आतारक्त व्यय पूरा करने हेत्।		at various tribal areas.	2.45	-	2.45
	पररा ह्या					

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) आयोजना आयोजना-भिन्न जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Plan Non Plan **Total** (च) सिविल पब्लिक निर्माण संबंधी अतिरिक्त व्यय For meeting additional expenditure on को पुरा करने हेत्। 2.28 civil public works. 2.28 (छ) सरकारी क्वार्टरों के निर्माण संबंधी अतिरिक्त For meeting additional expenditure on व्यय को पूरा करने हेत्। construction of Government Quarters. 2.45 2.45 (ज) शहरी विकास के सिविल कार्यों संबंधी व्यय For meeting additional expenditure on को पुरा करने हेत्। civil works of Urban Development. 0.73 0.73 (झ) जनजातीय क्षेत्रों के विकासात्मक कार्यों संबंधी For meeting additional expenditure on अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। developmental works at Tribal Areas. 0.94 0.94 (ञ) ग्रामीण इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम के तहत जारी For meeting additional expenditure on कार्यों संबंधी अतिरिक्त व्यय को पुरा करने ongoing works under the scheme Rural Electrification. 1.48 1.48 97 चंडीगढ 97 Chandigarh (क) पशुपालन के कार्यों को पूरा करने हेतु अतिरिक्त (a) For meeting additional expenditure to व्यय को पूरा करने हेतू। complete the works of Animal Husbandry. 0.05 0.05 (ख) (i) सरकारी कला महाविद्यालय (₹0.05 (b) For meeting additional expenditure to करोड़) और (ii) सरकारी म्यूजियम और complete on-going works of (i) कलादीर्घा (₹0.04 करोड़) के जारी कार्यों Government College of Arts (₹ 0.05 को पूरा करने संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा crore), and (ii) Government Museum करने हेत। and Art Gallery (₹ 0.04 crore). 0.09 0.09 (ग) प्राथमिक शिक्षा संबंधी जारी कार्यों को पूरा (c) For meeting additional expenditure to करने संबंधी अतिरिक्त व्यय को परा करने complete on-going works of relating हेत्। to Elementary Education. 0.18 0.18 (घ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंडीगढ़ को जारी (d) For meeting additional expenditure to निर्माण कार्यों को पूरा करने संबंधी अतिरिक्त complete on-going construction works व्यय को पूरा करने हेतू। of Industrial Training Institute, Chandigarh. 0.20 0.20 (ड) चंडीगढ़ में लिंक रोड के निर्माण हेतु अतिरिक्त (e) For meeting additional expenditure for व्यय को पूरा करने हेत्। construction of Link Roads in Chandigarh. 1.01 1.01 (च) चंडीगढ़ में विभिन्न बागवानी कार्यों को पुरा For meeting additional expenditure to करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने complete the various Horticulture 2.29 2.29 हेत्। works in Chandigarh. 100 लक्षद्वीप 100 Lakshadweep (क) जनगणना सर्वेक्षणों व सांख्यिकी के लिए स्थापना (a) For meeting establishment related संबंधी व्यय पूरा करने के लिए। expenditure towards Census Surveys 0.55 0.55 and Statistics. (ख) लक्षद्वीप द्वीव के तटीय क्षेत्रों में एटी-सी इरोजन (b) For meeting additional expenditure कार्यों को पुरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय to complete anti-sea erosion works को पूरा करने हेतू। in coastal areas of Lakshadweep Islands. 5.41 5.41 शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 101 शहरी विकास मंत्रालय 101 Department of Urban Development पूर्वीत्तर क्षेत्रों में जलापूर्ति में बढ़ोत्तरी के लिए पूंजीगत For meeting expenditure as Grants for आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान के रुप में अतिरिक्त creation of capital assets to augment water व्यय को पूरा करने हेत्। supply in North Eastern Areas. 13.82 13.82 102 लोकनिर्माण कार्य 102 Public Works (क) निरीक्षक बंगलों, अतिथिग्रहों व हालीडे होम्स (a) For expenditure towards Minor Works के अनुरक्षण/रख-रखाव के लिए गौण कार्यों for maintenance/upkeep of Inspection के लिए व्यय को पूरा करने हेतु। Bungalows, Guest Houses and Holiday Homes. 1.00 1.00 (ख) राष्ट्रीय स्मृति के सृजन और समाधि/स्मारकों (b) For expenditure towards Major Works के उन्नयन के लिए प्रमुख कार्यों हेतु व्यय for creation of Rashtriya Smiriti and up-

gradation of Samadhi/Memorials.

1.00

1.00

को पूरा करने हेतू।

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भि Non Pla	•		
(ग) कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के प्रमुख कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For expenditure towards Major Works of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.	-	2.50	2.50		
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
निम्न हेतु सामान्य सहयता अनुदान (क) एकीकृत बाल विकास सेवाएं के तहत दादरा व नागर हेवली को (₹14.40 करोड़); (ख) "उज्जवला" स्कीम के तहत व्यावसायिक यौन शोषण हेतु देहव्यापर के विरुद्ध व्यय को पूरा करने हेतु। (₹3 करोड़); (ग) जेंडर बजटिंग पर कार्यशालाएं आदि के आयोजन हेतु (₹0.12 करोड़) और (घ) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को (₹0.50 करोड़)।	Development For Grants-in-aid General (a) to Dadra and Nagar Haveli under the Scheme of Integrated Child Development Services (₹ 14.40 crore), (b) for meeting additional expenditure towards combating trafficking for commercial sexual exploitation under the scheme 'Ujjawala' (₹ 3 crore), (c) for organising workshops, etc on Gender Budgeting (₹ 0.12 crore), and (d) to Central					
युवा मामले और खेल मंत्रालय	Social Welfare Board (₹ 0.50 crore). MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND	18.02	-	18.02		
106 युवा मामले और खेल मंत्रालय खेल व युवा सेवा के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान संबंधी व्यय पूरा करने हेतु।	SPORTS 106 Ministry of Youth Affairs and Sports For meeting additional Grants-in-aid related expenditure under Sports and Youth Services.	62.93	-	62.93		
कुल सांकेतिक	Total Token	0.78	0.45	1.23		
कुल जोड़	GRAND TOTAL	2,898.59	43,328.98	46,227.57		
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	1,000.00	24,567.97	25,567.97		
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	1,897.81	18,760.56	20,658.37		
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.78	0.45	1.23		

विषय सूची CONTENTS

					(करोड़ रुपए	Rupees in	crore)
				राजस्व	पूंजी		पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE					
1 कृषि और सहकारिता		1. Department of Agriculture and					
विभाग	स्वीकृत	Cooperation	Voted	0.02		0.02	1
2. कृषि अनुसंधान तथा	0	2. Department of Agricultural					
शिक्षा विभाग	स्वीकृत	Research and Education	Voted	0.03		0.03	2-3
3. पशु पालन और डेरी कार्य		3. Department of Animal Husbandry,			0.04		
तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	Dairying & Fisheries	Voted	0.03	0.01	0.04	4
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY	7				
4 परमाणु ऊर्जा	भारित	4. Atomic Energy	Charged		10.00	10.00	5-9
	स्वीकृत		Voted	0.02	0.04	0.06	
5 न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	स्वीकृत	5. Nuclear Power Schemes	Voted	111.72	12.40	124.12	10
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
9 नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	103.12	1000.00	1103.12	11
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL					
10 कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	10. Ministry of Coal	Voted	0.01		0.01	12
10 वर्गवसा गंत्रासव	रवावटूरा	10. Willistry of Coal	voica	0.01	•••	0.01	12
वाणिज्य और उद्योग		MINISTRY OF COMMERCE					
मंत्रालय		AND INDUSTRY					
11 वाणिज्य विभाग	भारित	11. Department of Commerce	Charged	0.62		0.62	13-14
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	स्वीकृत		Voted	4.08		4.08	
12 औद्योगिक नीति तथा	0	12. Department of Industrial Policy					
संवर्धन विभाग	स्वीकृत	and Promotion	Voted	96.02		96.02	15
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी		MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
मंत्रालय		AND INFORMATION					
		TECHNOLOGY					
13 डाक विभाग	भारित	13. Department of Posts	Charged	0.10		0.10	16
14 दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	14. Department of Telecommunications	Voted	436.28	•••	436.28	17
उपभोक्ता मामले,		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS	•				
खाद्य और सार्वजनिक		FOOD AND PUBLIC					
वितरण मंत्रालय		DISTRIBUTION					
17 खाद्य और सार्वजनिक		17. Department of Food and					
वितरण विभाग	स्वीकृत	Public Distribution	Voted	1917.08		1917.08	18
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
19. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Culture	Voted	0.02		0.02	19-20
		MINISTRY OF DEFENCE					
रक्षा मंत्रालय 20. रक्षा मंत्रालय	भारित	MINISTRY OF DEFENCE	Chausad	0.22		0.22	21-22
ZU. જાા પત્રાણવ	<i>मारित</i> स्वीकृत	20. Ministry of Defence	Charged Voted	0.22 241.49	0.02	0.22 241.51	Z1 - ZZ
21. रक्षा पेंशन	स्वाकृत <i>भारित</i>	21. Defence Pensions	Charged	3.54		3.54	23
Z.I. WII 751'I	स्वीकृत	21. Detende 1 distons	Voted	996.46		996.46	23
22 रक्षा सेवा-थल सेना	स्वाकृत <i>भारित</i>	22. Defence Services - Army	Charged	996.46 110.00		990.46 110.00	24
ZZ MII MMI-MMI MMI	<i>मारत</i> स्वीकृत	22. Detence Services - Allily	Voted	4711.37		4711.37	∠4
	स्पाप्रृत		voted	4/11.3/	•••	4/11.3/	

(xx) अनुदा	11 471 7(47	,	2013-2014 SUPPLEMENTARY DE					
23. रक्षा सेवा - नौ सेना	भारित	23.	Defence Services - Navy	Charged	19.82		19.82	25
	स्वीकृत			Voted	949.69		949.69	
24. रक्षा सेवा - वायु सेना	भारित	24.	Defence Services - Air Force	Charged	50.40		50.40	26
	स्वीकृत			Voted	1032.51		1032.51	
25 रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	भारित	25.	Defence Ordnance Factories	Charged	3.20		3.20	27
	स्वीकृत			Voted	1363.56	•••	1363.56	
26. रक्षा सेवाएं - अनुसंधान		26.	Defence Services - Research					
एवं विकास	स्वीकृत		and Development	Voted	125.15	•••	125.15	28
27 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	27.	Capital Outlay on Defence Services	Voted		0.01	0.01	29
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MII	NISTRY OF EARTH SCIENCES					
30. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	30.	Ministry of Earth Sciences	Voted	0.02	0.02	0.04	30
पर्यावरण और वन		MII	NISTRY OF ENVIRONMENT					
मंत्रालय			AND FORESTS					
31 पर्यावरण और वन मंत्रालय	स्वीकृत	31.	Ministry of Environment and Forests	Voted	0.02	0.01	0.03	31-32
विदेश मंत्रालय		MII	NISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
32 विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	32.	Ministry of External Affairs	Voted	0.01		0.01	33
_								
वित्त मंत्रालय			NISTRY OF FINANCE					
33 आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत		Department of Economic Affairs	Voted	360.42	0.02	360.44	34-35
34 वित्तीय सेवा विभाग	स्वीकृत		Department of Financial Services	Voted	2600.00		2600.00	36
35 <i>विनियोग</i> -ब्याज का भुगतान	भारित		Appropriation - Interest Payments	Charged	15500.20		15500.20	37
40 पेंशन	स्वीकृत	40.	Pensions	Voted	1766.00		1766.00	38
41. भारतीय लेखा परीक्षा		41.	Indian Audit and					
और लेखा विभाग	स्वीकृत		Accounts Department	Voted	146.05		146.05	39
42 राजस्व विभाग	स्वीकृत	42.	Department of Revenue	Voted	0.02		0.02	40
43 प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	43.	Direct Taxes	Voted		0.01	0.01	41
खाद्य प्रसंस्करण		MI	NISTRY OF FOOD					
खाद्य प्रसंस्करण		17111						
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		IVIII						
	स्वीकृत		PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.03		0.03	42
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	C	46.	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.03		0.03	42
उद्योग मंत्रालय	C	46.	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND	Voted	0.03		0.03	42
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		46.	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE	Voted	0.03		0.03	42
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	भाग	46.	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health					
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	भाग <i>भारित</i>	46.	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE	Charged	18.47		18.47	42 43-44
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विव	भाग	46. MII 47.	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health and Family Welfare					
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विव	भाग <i>भारित</i>	46. MII 47.	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health and Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga &	Charged	18.47		18.47	
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विव 48 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा	भाग <i>भारित</i> स्वीकृत	46. MII 47.	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health and Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and	Charged Voted	18.47 0.03	0.01	18.47 0.04	43-44
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विव	भाग <i>भारित</i>	46. MI II 47. 48.	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health and Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga &	Charged	18.47		18.47	
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विक 48 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) 50 एड्स नियंत्रण विभाग	भाग <i>भारित</i> स्वीकृत स्वीकृत	46. MI II 47. 48.	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health and Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Charged Voted	18.47 0.03	 0.01	18.47 0.04	43-44
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विव 48 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक विकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) 50 एड्स नियंत्रण विभाग भारी उद्योग और सरकारी	भाग <i>भारित</i> स्वीकृत स्वीकृत	46. MIII 47. 48.	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health and Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) Department of AIDS Control NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES	Charged Voted	18.47 0.03	 0.01	18.47 0.04	43-44
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विव 48 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) 50 एड्स नियंत्रण विभाग भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	भाग <i>भारित</i> स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	46. MIII 47. 48. 50. MIII	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health and Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) Department of AIDS Control NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES	Charged Voted Voted Voted	18.47 0.03 0.02 12.01	 0.01 	18.47 0.04 0.02 12.01	43-44 45 46
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विव 48 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक विकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) 50 एड्स नियंत्रण विभाग भारी उद्योग और सरकारी	भाग <i>भारित</i> स्वीकृत स्वीकृत	46. MIII 47. 48. 50. MIII	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health and Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) Department of AIDS Control NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES	Charged Voted	18.47 0.03	 0.01	18.47 0.04	43-44
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विव 48 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) 50 एड्स नियंत्रण विभाग भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	भाग <i>भारित</i> स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	46. MIII 47. 48. 50. MIII 51.	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health and Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) Department of AIDS Control NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES	Charged Voted Voted Voted	18.47 0.03 0.02 12.01	 0.01 	18.47 0.04 0.02 12.01	43-44 45 46
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विक 48 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) 50 एड्स नियंत्रण विभाग भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय 51 भारी उद्योग विभाग	भाग <i>भारित</i> स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	46. MIII 47. 48. 50. MIII 51. MIII	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health and Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) Department of AIDS Control NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES Department of Heavy Industry	Charged Voted Voted Voted	18.47 0.03 0.02 12.01	 0.01 	18.47 0.04 0.02 12.01	43-44 45 46
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विव 48 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक विकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) 50 एड्स नियंत्रण विभाग भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय 51 भारी उद्योग विभाग	भाग भारित स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	46. MIII 47. 48. 50. MIII 51. MIII 53.	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health and Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) Department of AIDS Control NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES Department of Heavy Industry NISTRY OF HOME AFFAIRS	Charged Voted Voted Voted	18.47 0.03 0.02 12.01	 0.01 	18.47 0.04 0.02 12.01	43-44 45 46 47-48
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विक 48 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) 50 एड्स नियंत्रण विभाग भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय 51 भारी उद्योग विभाग गृह मंत्रालय 53 गृह मंत्रालय 55 पुलिस	भाग भारित स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	46. MIII 47. 48. 50. MIII 51. MIII 53.	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health and Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) Department of AIDS Control NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES Department of Heavy Industry NISTRY OF HOME AFFAIRS Ministry of Home Affairs	Charged Voted Voted Voted	18.47 0.03 0.02 12.01 27.02	 0.01 91.61	18.47 0.04 0.02 12.01 118.63	43-44 45 46 47-48
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विश् 48 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) 50 एड्स नियंत्रण विभाग भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय 51 भारी उद्योग विभाग गृह मंत्रालय 53 गृह मंत्रालय	भाग भारित स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	46. MIII 47. 48. 50. MIII 51. MIII 53. 55.	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health and Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) Department of AIDS Control NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES Department of Heavy Industry NISTRY OF HOME AFFAIRS Ministry of Home Affairs	Charged Voted Voted Voted Voted Charged	18.47 0.03 0.02 12.01 27.02	 0.01 91.61 4.59	18.47 0.04 0.02 12.01 118.63 0.03 4.60	43-44 45 46 47-48
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विक 48 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) 50 एड्स नियंत्रण विभाग भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय 51 भारी उद्योग विभाग गृह मंत्रालय 53 गृह मंत्रालय 55 पुलिस	भाग भारित स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	46. MIII 47. 48. 50. MIII 51. MIII 53. 55.	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health and Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) Department of AIDS Control NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES Department of Heavy Industry NISTRY OF HOME AFFAIRS Ministry of Home Affairs Police	Charged Voted Voted Voted Voted Charged	18.47 0.03 0.02 12.01 27.02	 0.01 91.61 4.59	18.47 0.04 0.02 12.01 118.63 0.03 4.60	43-44 45 46 47-48
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विक 48 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) 50 एड्स नियंत्रण विभाग भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय 51 भारी उद्योग विभाग 7ह मंत्रालय 53 गृह मंत्रालय 55 पुलिस	भाग भारित स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	46. MIII 47. 48. 50. MIII 51. MIII 53. 55. 56.	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health and Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) Department of AIDS Control NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES Department of Heavy Industry NISTRY OF HOME AFFAIRS Ministry of Home Affairs Police Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Charged Voted Voted Voted Voted Charged Voted	18.47 0.03 0.02 12.01 27.02 0.03 0.01 0.02	0.01 91.61 4.59 0.02	18.47 0.04 0.02 12.01 118.63 0.03 4.60 0.04	43-44 45 46 47-48 49 50-52
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विक 48 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक विकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) 50 एड्स नियंत्रण विभाग भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय 51 भारी उद्योग विभाग 7ह मंत्रालय 53 गृह मंत्रालय 55 पुलिस	भाग भारित स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	46. MIII 47. 48. 50. MIII 51. MIII 53. 55. 56.	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health and Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) Department of AIDS Control NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES Department of Heavy Industry NISTRY OF HOME AFFAIRS Ministry of Home Affairs Police Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs NISTRY OF HOUSING AND	Charged Voted Voted Voted Voted Charged Voted	18.47 0.03 0.02 12.01 27.02 0.03 0.01 0.02	0.01 91.61 4.59 0.02	18.47 0.04 0.02 12.01 118.63 0.03 4.60 0.04	43-44 45 46 47-48 49 50-52
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विक 48 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) 50 एउस नियंत्रण विभाग भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय 51 भारी उद्योग विभाग 7ह मंत्रालय 53 गृह मंत्रालय 55 पुलिस 56 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	भाग भारित स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	46. MIII 47. 48. 50. MIII 53. 55. 56. MIII	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health and Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) Department of AIDS Control NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES Department of Heavy Industry NISTRY OF HOME AFFAIRS Ministry of Home Affairs Police Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs NISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION	Charged Voted Voted Voted Voted Charged Voted	18.47 0.03 0.02 12.01 27.02 0.03 0.01 0.02	0.01 91.61 4.59 0.02	18.47 0.04 0.02 12.01 118.63 0.03 4.60 0.04	43-44 45 46 47-48 49 50-52
उद्योग मंत्रालय 46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विक 48 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) 50 एड्स नियंत्रण विभाग भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय 51 भारी उद्योग विभाग गृह मंत्रालय 53 गृह मंत्रालय 55 पुलिस 56 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय आवास और शहरी गरीवी उन्मूलन	भाग भारित स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	46. MIII 47. 48. 50. MIII 53. 55. 56. MIII	PROCESSING INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health and Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) Department of AIDS Control NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES Department of Heavy Industry NISTRY OF HOME AFFAIRS Ministry of Home Affairs Police Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs NISTRY OF HOUSING AND	Charged Voted Voted Voted Voted Charged Voted	18.47 0.03 0.02 12.01 27.02 0.03 0.01 0.02	0.01 91.61 4.59 0.02	18.47 0.04 0.02 12.01 118.63 0.03 4.60 0.04	43-44 45 46 47-48 49 50-52

अनुपा	ना का पूरक	ठ मार्ग, 2013-2014 SUPPLEMENTARY	DEMANDS	FOR GRAI	N12		(XX1)
मानव संसाधन विकास		MINISTRY OF HUMAN					
मंत्रालय 59 स्कूली शिक्षा और		RESOURCE DEVELOPMENT 59. Department of School					
साक्षरता विभाग	स्वीकृत	Education and Literacy	Voted	0.03		0.03	55
60 उच्च शिक्षा विभाग	स्वीकृत	60. Department of Higher Education	Voted	0.04		0.04	56-57
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
61 सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		61. Ministry of Information					
•	स्वीकृत	and Broadcasting	Voted	0.01		0.01	58
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
62. श्रम और रोजगार मंत्रालय		62. Ministry of Labour					
		and Employment	Voted	0.03		0.03	59
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
64 विधि और न्याय	स्वीकृत	64. Law and Justice	Voted	165.68		165.68	60
65. <i>विनियोग</i> -भारत का		65. Appropriation - Supreme					
उच्चतम न्यायालय	भारित	Court of India	Charged	6.43		6.43	61
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्राल	य	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES	D				
66 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		66. Ministry of Micro, Small and					
मंत्रालय मंत्रालय	स्वीकृत	Medium Enterprises	Voted	0.03		0.03	62
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIR	S				
67 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.01		0.01	63
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा		MINISTRY OF NEW AND					
मंत्रालय		RENEWABLE ENERGY					
69. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	1030.75	100.00	1130.75	64-65
कार्मिक, लोक शिकायत		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBL	IC				
और पेंशन मंत्रालय		GRIEVANCES AND PENSIONS	ic.				
73 कार्मिक, लोक		73. Ministry of Personnel, Public					
शिकायत और पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	Grievances and Pensions	Voted	0.01		0.01	66
पेट्रोलियम और प्राकृतिक		MINISTRY OF PETROLEUM					
गैस मंत्रालय		AND NATURAL GAS					
74 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मं	त्रालय स्वीकृत	74. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	10042.72		10042.72	67
	रवावट्टरा		voica	10042.72	•••	10042.72	07
योजना मंत्रालय 75. योजना मंत्रालय	ग ी क्टन	MINISTRY OF PLANNING	Vatad	0.02		0.02	60
75. વાળમાં મંત્રાભવ	स्वीकृत	75. Ministry of Planning	Voted	0.02		0.02	68
विद्युत मंत्रालय 76 विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	MINISTRY OF POWER 76. Ministry of Power	Voted		15.00	15.00	69
-	रवावट्टरा	70. Willistry of Tower	voica		13.00	13.00	0)
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, U PUBLIC SERVICE COMMISSION					
और उप-राष्ट्रपति		AND THE SECRETARIAT OF					
का सचिवालय		THE VICE - PRESIDENT	37.4.1	0.01		0.01	70
79 राज्य सभा80 विनियोग- संघ लोक सेवा आयो	ग	79. Rajya Sabha80. Appropriation - Union Public	Voted	0.01	•••	0.01	70
00 1411411 (14 (114 (14 (14 (14 (14 (14 (1	भारित	Service Commission	Charged	8.72		8.72	71
सड़क परिवहन और		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT					
राजमार्ग मंत्रालय		AND HIGHWAYS					
82. सड़क परिवहन और		82. Ministry of Road					
राजमार्ग मंत्रालय	भारित	Transport and Highways	Charged		20.00	20.00	72-73
	स्वीकृत		Voted	611.51		611.51	

(XXII) अनुदार 		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMEN					
83 ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	83. Department of Rural Development	Voted	0.01		0.01	74
	C						
विज्ञान और प्रौद्योगिकी		MINISTRY OF SCIENCE					
मंत्रालय		AND TECHNOLOGY					
86. वैज्ञानिक और औद्योगिक		86. Department of Scientific and					
अनुसंधान विभाग		Industrial Research	Voted	0.01		0.01	75
87. जैव प्रौद्योगिकी विभाग		87. Department of Biotechnology	Voted	0.01		0.01	76
नौवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING					
88. नौवहन मंत्रालय	स्वीकृत	88. Ministry of Shipping	Voted	299.36	0.02	299.38	77-78
सामाजिक न्याय और		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE					
अधिकारिता मंत्रालय		AND EMPOWERMENT					
89 सामाजिक न्याय और		89. Ministry of Social Justice					
अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	and Empowerment	Voted	0.03		0.03	79
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
90. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	90. Department of Space	Voted	0.02	0.01	0.03	80
सांख्यिकी और कार्यक्रम		MINISTRY OF STATISTICS AND					
कार्यान्वयन मंत्रालय		PROGRAMME IMPLEMENTATIO	N				
91 सांख्यिकी और कार्यक्रम		91. Ministry of Statistics and					
कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	Programme Implementation	Voted	13.80		13.80	81
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
93 वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	93. Ministry of Textiles	Charged		55.00	55.00	82
जनजाति कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
95 जनजाति कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	95. Ministry of Tribal Affairs	Voted	0.02		0.02	83
संघ राज्य क्षेत्र		UNION TERRITORIES					
(विधान मंडल रहित)		(WITHOUT LEGISLATURE)					
96 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	स्तीकत	96. Andaman and Nicobar Islands	Voted	31.30	0.10	31.40	84-85
90 जिल्लाम २५ मायग्रयार क्षाप रागूह 97 चण्डीगढ़	स्वीकृत	97. Chandigarh	Voted		0.06	0.06	86-87
५७ वन्डानक् 100 लक्षद्वीप	स्वीकृत	100. Lakshadweep	Voted	0.01	0.01	0.02	88
	c	-					
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN					
	0	DEVELOPMENT					
101 शहरी विकास विभाग	भारित	101. Department of Urban Development	Charged		1.00	1.00	89
	स्वीकृत		Voted	0.01		0.01	
102 लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	102. Public Works	Voted	0.01	0.02	0.03	90
महिला और बाल		MINISTRY OF WOMEN AND					
विकास मंत्रालय		CHILD DEVELOPMENT					
105 महिला और बाल		105. Ministry of Women and					
विकास मंत्रालय	स्वीकृत	Child Development	Voted	0.01		0.01	91
युवा मामले और		MINISTRY OF YOUTH					
उ खेल मंत्रालय		AFFAIRS AND SPORTS					
106 युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	106. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.01		0.01	92
कुल जोड़		GRAND TOTAL		44917.58	1309.99	46227.57	
J · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	भारित		Charoed	15721.73		15812.32	
	स्वीकृत			29195.85		30415.25	
अन्तरंध	(Alaki)	ANNEXURE	, orea	27175.05	1217.70	50 115.25	93-112
अनुबंध		MANUACKE)J-112

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 1 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी		, जोड़
				Revenue	Capit	al	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	21874.34	59	9.16	21933.50
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	425.04	(0.01	425.05
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount nov	N				
पूरक अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		22299.40	5	9.17	22358.57
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया ज	गयेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be account	nted for unde	er the following	ng Major Heads:		
				आयोजना	आयोज	ना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Γ	Total
					Non-Pi	an	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत:	2401 -Crop Husbandry	Voted:	0.01	(कa)		0.01
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	स्वीकृत:	2435 -Other Agricultural Programmes	Voted:	0.01	(खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता-अनुदानों (₹ 11.50 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3.50 करोड़) को पूरा करना।
 - (ii) डीओई के केंद्रीय संस्थान को विस्तृत सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता-अनुदान (₹ 2.06 करोड़) और वेतन सहायता-अनुदान (₹ 0.20 करोड़) को पूरा करना।
 - (iii) कृषि नैदानिकी/कृषि व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता-अन्दान (₹ 3.00 करोड़) को पूरा करना।
 - (iv) राष्ट्रीय कृषीय बीमा योजना (एनएआईएस) के क्रियान्वयन के अंतर्गत अंतिरिक्त अंशदान को पूरा करना (₹ 335 करोड़)।
 - (v) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अन्तर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता-अन्दान को पूरा करना (₹ 49.80 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) (i) ग्रामीण गोदामों के निर्माण के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता-अन्दान को पूरा करना (₹ 10.20 करोड़)।
 - (ii) विपणन अनुसंधान सर्वेक्षण और विपणन सूचना नेटवर्क के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता-अनुदान को पूरा करना (₹ 27.40 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। The supplementary grants are required for:

- (a) (i) meeting additional Grants-in-aid General (₹ 11.50 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 3.50 crore) under Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for production and Distribution of Seeds
 - (ii) meeting additional Grants-in-aid General (₹ 2.06 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 0.20 crore) under Extension Support to Central Institute of DOE;
 - (iii) meeting additional Grants-in-aid General (₹ 3.00 crore) under Establishment of Agri clinic/Agri Business Centres;
 - (iv) meeting additional contribution under Implementation of National Agricultural Insurance Schemes (NAIS) (₹ 335 crore).
 - (v) meeting additional Grants-in-aid General under National Horticulture Board (₹ 49.80 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) meeting additional Grants- in-aid General under Construction of Rural Godowns (₹ 10.20 crore).
 - (ii) meeting additional Grants- in- aid General under Marketing Research, Survey and Marketing Information Network (₹ 27.40 crore);

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rupees in Cr			
			_राजस्व		पूंजी		जोड़	
			Revenue		Capital		Total	
	I. ORIGINAL GRANT:							
स्वीकृत:		Voted:	5729.17				5729.17	
	Supplementary Estimate of the amount							
	now required:							
स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03	
	Total (Original plus Supplementary)		5729.20				5729.20	
	II. This Supplementary Grant will be account	inted for un		wing Ma	•			
							जोड़ Total	
			ган		Non-Plan		IOlai	
	REVENUE SECTION							
	MAJOR HEAD							
स्वीकृत:	2415 -Agricultural Research and	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02	
	Education							
स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01	
स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03	
	स्वीकृत: स्वीकृत:	Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary) ॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर ॥. This Supplementary Grant will be account the supplementary Grant will be account to the supplemen	स्वीकृत: Voted: Supplementary Estimate of the amount now required: रवीकृत: Voted: Total (Original plus Supplementary) II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के 3 III. This Supplementary Grant will be accounted for un REVENUE SECTION MAJOR HEAD रवीकृत: 2415 -Agricultural Research and Voted: Education रवीकृत: 2552 -North Eastern Areas Voted:	Revenue I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Voted: 0.03 Total (Original plus Supplementary) II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नित्यित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाय III. This Supplementary Grant will be accounted for under the follow आयोजना Plan REVENUE SECTION MAJOR HEAD स्वीकृत: 2415 - Agricultural Research and Voted: 0.01 Education स्वीकृत: 2552 - North Eastern Areas Voted: 0.01	Revenue I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required: रवीकृत: Voted: 5729.17 Supplementary Estimate of the amount now required: रवीकृत: Voted: 0.03 Total (Original plus Supplementary) II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Managery REVENUE SECTION MAJOR HEAD स्वीकृत: 2415 - Agricultural Research and Voted: 0.01 (कa) Education स्वीकृत: 2552 - North Eastern Areas	स्वीकृतः Voted: 5729.17 स्वीकृतः Voted: 5729.17 स्वीकृतः Voted: 5729.17 स्वीकृतः Voted: 0.03 Total (Original plus Supplementary) 5729.20 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत दिखाया जायेगाः III. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Majorn-Plan शिन्न Non-Plan REVENUE SECTION MAJOR HEAD स्वीकृतः 2415 -Agricultural Research and Voted: 0.01 (कa) 0.01 Education	स्वीकृतः	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) कृषि विस्तार संस्थान (₹ 44.68 करोड़), कृषि में बुनियादी, कार्यनीतिक तथा सीमांत अनुप्रयोग अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय कोष (₹ 10.47 करोड़), अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान (₹ 4.68 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य अनुदान सहायता।
 - (ii) शस्य विज्ञान संस्थान (₹ 0.06 करोड़), बागबानी संस्थान (₹ 1.37 करोड़), कृषि विस्तार संस्थान (₹ 15.73 करोड़), कृषि शिक्षा संस्थान (₹ 1.50 करोड़), कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (₹ 1.65 करोड़), मत्स्य पालन संस्थान (₹ 0.15 करोड़) स्कीम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोजना संघटक हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य अनुदान सहायता।
 - (iii) कृषि में बुनियादी, कार्यनीतिक तथा सीमांत अनुप्रयोग अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय कोष (24.90 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।
 - (iv) बागबानी संस्थान (₹ 0.63 करोड़), कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (₹ 0.35 करोड़) स्कीम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोजना हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।
 - (v) कृषि शिक्षा संस्थान स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतन हेतु अनुदान सहायता (₹ 1.38 करोइ)।
 - (vi) उत्कृष्ट संस्थानों को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.00 करोड)।

- a) (i) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹ 44.68 crore), National fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture (₹ 10.47 crore), Other Natural Resource Management Institutes (₹ 4.68 crore).
 - (ii) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Tribal Area Sub-Plan component under the scheme Crop Sciences Institutes (₹ 0.06 crore), Horticulture Institutes (₹ 1.37 crore), Agricultural Extension Institutes (₹ 15.73 crore), Agricultural Education Institutes (₹ 1.50 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 1.65 crore), Fisheries Institutes (₹ 0.15 crore).
 - (iii) Grants for creation of capital assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme National fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture (₹ 24.90 crore).
 - (iv) Grants for creation of capital assets to Indian Council of Agricultural Research for Tribal Area Sub-Plan under the scheme Horticulture Institutes (₹ 0.63 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.35 crore).
 - (v) Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Education Institutes (₹ 1.38 crore).
 - (vi) Grants for creation of Capital Assets to Institutes of Eminence (\mathbb{Z} 1.00 crore).

अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत राशि पर विचार करते हुए निम्नलिखित हेतु सांकेतिक पूरक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

- (ख) (i) कृषि अर्थ तथा सांख्यिकी संस्थान (₹ 0.03 करोड़), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन (₹ 2.73 करोड़) तथा एपी उपकर अधिनियम 1940 के अंतर्गत निवल कार्यवाहियों के भुगतान (₹ 0.45 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य अनुदान सहायता।
 - (ii) शस्य विज्ञान संस्थान (₹ 0.27 करोड़), मत्स्य पालन संस्थान (₹
 1.15 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।
 - (iii) शस्य विज्ञान संस्थान (₹ 0.21 करोड़), बागबानी संस्थान (₹ 0.66 करोड़), कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (₹ 0.81 करोड़), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन (₹ 1.24 करोड़), अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान (₹ 1.26 करोड़), पशु विज्ञान संस्थान (₹ 2.09 करोड़) मत्स्य पालन संस्थान (₹ 0.07 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतन हेतु अनुदान सहायता।
 - (iv) अंतराष्ट्रीय संगठनों को भारत का सदस्यता अंशदान (₹ 0.65 करोड़)।

अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत राशि पर विचार करते हुए निम्नलिखित हेतु सांकेतिक पूरक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

- (ग) (i) कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (₹ 1.07 करोड़), राष्ट्रीय कृषि नवप्रवर्तन
 परियोजना (₹ 6.35 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि
 अन्संधान परिषद को सामान्य अन्दान सहायता।
 - (ii) कृषि विस्तार संस्थान (₹ 0.10 करोड़), कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (₹ 0.28 करोड़), स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान।
 - (iii) कृषि विस्तार संस्थान (₹ 7.65 करोड़), कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (₹ 0.65 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतन हेतु अनुदान सहायता।
 - (iv) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.39 करोड़)।
 - (v) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 15.54 करोड़)।
 - (vi) केंद्रीय कृषि विश्विवद्यालय, इंफाल को वेतन हेतु सहायता अनुदान (₹ 5.06 करोड़)।

अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत राशि पर विचार करते हुए निम्नलिखित हेतु सांकेतिक पूरक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Grants-in-aid-General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Economics and Statistics Institutes (₹ 0.03 crore), Indian Council of Agricultural Research Headquarter Admn. (₹ 2.73 crore) and Payment of net proceeds of AP Cess Act 1940 (₹ 0.45 crore).
 - (ii) Grants for creation of capital assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Sciences Institutes (₹ 0.27 crore), Fisheries Institutes (₹ 1.15 crore).
 - (iii) Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹ 0.21 crore), Horticulture Institutes (₹ 0.81 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.81 crore), Indian Council of Agricultural Research Headquarter Admn. (₹ 1.24 crore), Other Natural Resource Management Institutes (₹ 1.26 crore), Animal Science Institutes (₹ 2.09 crore), Fisheries Institutes (₹ 0.07 crore).
 - (iv) India's Membership contributions to International Organisations (₹ 0.65 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) Grants-in-aid-General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Engineering Institutes (₹ 1.07 crore), National Agricultural Innovation Project (₹ 6.35 crore).
 - (ii) Grants for creation of capital assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹ 0.10 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.28 crore),
 - (iii) Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹ 7.65 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.65 crore).

 - (v) Grants for creation of capital assets to Central Agricultural University,Imphal ($\stackrel{?}{\stackrel{}{\stackrel{}{\stackrel{}}{\stackrel{}}{\stackrel{}}}}$ 15.54 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(3	करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)			
				राजस्व		पूंजी	जोड़			
				Revenue		Capital	Total			
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:								
	स्वीकृत:		Voted:	2534.47		26.74	2561.21			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount no	w							
अनुमान:		required:								
·	स्वीकृत:		Voted:	0.03		0.01	0.04			
जोड़ (मूल और पूरक)	Č	Total (Original plus Supplementary)		2534.50		26.75	2561.25			
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	 डय शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया उ	नायेगा:					
			This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:							
		,		आयोजना	,	आयोजना-	जोड़			
				Plan		भिन्न	Total			
						Non-Plan				
राजस्व भाग		REVENUE SECTION								
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD								
2403 - पशु पालन	स्वीकृत:	2403 -Animal Husbandry	Voted:	0.01	(कa)		0.01			
2404 - डेयरी विकास	स्वीकृत:	2404 -Dairy Development	Voted:	0.01	(खb)		0.01			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)		0.01			
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.03			0.03			
पूंजी भाग	•	CAPITAL SECTION								
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD								
4405 - मत्स्य पालन पर पूंजी	स्वीकृत:	4405 - Capital Outlay on Fisheries	Voted:	0.01	(घd)		0.01			
परिव्यय		, ,			. ,					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.04		•••	0.04			
	, -, 6,,,									

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पाउल्ट्री वेंचर कैपिटल फण्ड (₹ 27.00 करोड़) की योजनाओं में सामान्य अनुदान सहायता। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) डेरी उद्यमशीलता विकास (₹ 23.40 करोड़) तथा गुणवता परक तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अवस्थापना सुदृद्धीकरण (₹ 2.63 करोड़) की योजनाओं के लिए सामान्य अनुदान सहायता। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) इन योजनाओं को सामान्य अनुदान सहायता (i) नेशनल प्रोजेक्ट आन कैटल, बुफैलो ब्रीडिंग(₹ 7.00 करोड़), (ii) इंटेसिव डेरी डेवलपमेंट प्रोग्रैम (₹ 3.00 करोड़) और(iii) पूर्वीतर राज्यों में पिगरी विकास (₹ 4.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) कोचीन में सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फिशरीज नॉटिकल एण्ड इंजीनियरिंग ट्रेनी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर के चल रहे वर्टिकल एक्सटेंशन के प्रमुख निर्माण कार्यों हेतु (₹ 1.40 करोड़) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (a) Grants-in-aid General in the schemes of Poultry Venture Capital Fund (₹ 27.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid General in the schemes of Dairy Entrepreneurship Development (₹ 23.40 crore) and Strengthening Infrastructure for Quality and Clean Milk Production (₹ 2.63 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-aid General in the schemes of (i) National Project on Cattle, Buffalo Breeding (₹ 7.00 crore), (ii) Intensive Dairy Development Programme (₹ 3.00 crore) and (iii) Piggery Development (₹ 4.00 crore) for North Eastern States. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Major Works for construction of ongoing vertical extension of 3rd floor of Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Trainee Building at Cochin (₹ 1.40 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये) (See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 3 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

				(करोड़ रुपर	Rupees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित:		Charged:	1.00	1.00	2.00
स्वीकृत:		Voted:	6636.35	4111.29	10747.64
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:		Voted:	0.02	0.03	0.05
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:	now required:				
भारित:		Charged:		10.00	10.00
स्वीकृत:		Voted:	0.02	0.04	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6637.39	4122.36	10759.75
भारित:		Charged:	1.00	11.00	12.00
स्वीकृत:		Voted:	6636.39	4111.36	10747.75

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan		जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD						
3401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष	स्वीकृत:	3401 -Atomic Energy Research CAPITAL SECTION MAJOR HEAD	Voted:	0.01	(কa)	0.01	(खb)	0.02
4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	भारित:	4861 - Capital Outlay on Atomic Energy Industries	Charged:	10.00	(गc)			10.00
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	(घd)	0.01	(ਭ e)	0.02
5401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय जोड़ (पूंजी भाग) जोड़ (पूंक)	स्वीकृत:	5401 - Capital Outlay on Atomic Energy Research Total (Capital Section) Total (Supplementary)	Voted:	0.01 10.02 10.03	(च f)	0.01 0.02 0.03	(ভ g)	0.02 10.04 10.06
. (%)	भारित:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Charged:	10.00				10.00
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		0.03		0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) इनके संबंध में अतिरिक्त, व्यय को पूरा करना (i) बोर्ड आफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेज को सामान्य अनुदान सहायता (₹ 19 करोड़) (ii) निम्न को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1) "रीजन सेन्टर फार एक्सीलेटर बेसड पार्टिकल फिजिक्स (आरईसीएपीपी) परियोजना हेतु हिरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद को (₹ 0.23 करोड़)। (2) "एनसीबीएस II फार कामन गुड्स के लिए टाटा इंस्टीट्यूट आफ फण्डामेंटल रिसर्च (₹ 4.90 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) (i) रेडियोलोजी सुविधाओं के संचालन और रख-रखाव के लिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के तहत नए खोले गए शीर्ष के तहत खर्च पूरा करना

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-Aid General for Board of Research in Nuclear Sciences (₹ 19 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets to (1)Harish Chandra Reserch Institute, Allahabad for the Project "Region Centre for Accelerator Based Particle Physics (RECAPP) (₹ 0.23 crore), (2) Tata Institute of Fundamental Research for the project 'NCBS II for the common Goods (Infrastructure Service)' (₹ 4.90 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) meeting expenditure under newly opened head under Indira Gandhi Centre for Atomic Research for Operation and

(₹ 1 करोड़)। (ii) सामान्य सेवा संगठन के लिए मशीनरी और उपकरण (Rs 0.04 करोड़)। (iii) निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त व्यय पूरा करना (1) टाटा इंस्टिट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च को वेतन सहायता अनुदान (₹ 14.68 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.33 करोड़) के लिए (2) टाटा मैमोरियल हास्पिटल को वेतन सहायता अनुदान(₹ 7.11 करोड़) (3) साहा इंस्टिट्यूट आफ न्यूक्लिअर साइंस को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.43 करोड़) (4) गणित विज्ञान संस्थान को वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.56 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.35 करोड़) (5) हरिशचन्द्र अनुसंधान संस्थान को वेतन सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.08 करोड़) (6) इंस्टिट्यूट आफ प्लाज्मा रिसर्च को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.36 करोड़) (7) परमाणु ऊर्जा शिक्षा विद्यालय को वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.33 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.87 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ग) 'आरएमपी मैस्र में अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन क्षमता का विस्तार' परियोजना के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए बढ़ी प्रतिपूर्ति के व्यय को पूरा करना।

> अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपरोक्त व्यय में अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना(i) मशीनरी व टाम्बे में (ঘ) उपकरण हेतु थोरियम विलयन भण्डारण सुविधा (₹ 1.25 करोड़), (ii) मशीनरी व उपकरणों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन व पुनः प्रोसेसिंग संयत्रों में तकनीक का विकास व इसे अपनाना (₹ 0.02 करोड़), (iii) प्रम्ख कार्यों के संबंध में डीडीयू आक्साइड और संघटकों की इलेक्ट्रोप्लांटिंग से डीडीयू धात् इनगोट का उत्पादन (₹ 0.67 करोड़), (iv) मशीनरी व उपकरणों के लिए यू-मेटल उत्पादन स्विधा का प्रोसेस इंटीग्रेशन और ई-इंजीनियरिंग (₹ 0.28 करोड़), (v) निम्नलिखित के लिए कोरल स्विधा के रिफर्बिशमेंट हेत् डीएफआरपी के लिए स्वतंत्र स्रक्षा प्रणाली म्हैया करना (1) मशीनरी और उपकरण (₹ 1 करोड़), और (2) प्रमुख कार्य (₹ 0.34), (vi) प्रमुख कार्यों के संबंध में सोडियम ब्रांडेड मैटेलिक फ्यूल फेब्रिकेशन के लिए प्रदर्शन स्विधा (₹ 2.06 करोड़), (vii) प्रमुख कार्यों के संबंध में पीएफबीआर और एफबीटीआर रिप्रोसेसिंग के लिए संचालन विशेषताओं में बढ़ोत्तरी (₹ 2.06 करोड़), (viii) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में न्यू जिरकोनियम आक्साइड और स्पान्ज प्लान्ट, पाजयाकायल (₹ 0.11 करोड़), (ix) प्रम्ख कार्यों के संबंध में माडर्नाइजेशन एण्ड आगमेंटेशन आफ जार्कोलजी फेब्रिकेशन और फ्यूल फेब्रिकेशन सुविधा (एमएजेड4एफ) (₹ 0.21 करोड़), (x) मशीनरी व उपकरणों के लिए एलडब्ल्यू आर के लिए प्रोटोटाइप ईंधन के संघटकों के विनिर्माण हेत् विकासात्मक कार्य (डीडब्ल्यूपीएफसी-एलडब्ल्यूआर) (₹ 0.02 करोड़), (xi) प्रमुख कार्यों हेत् अपशिष्ट प्रबंध स्विधाओं की बढ़ोत्तरी (एडब्ल्यूएमएफ)(₹ 0.28 करोड़), (xii) प्रमुख कार्यों के संबंध में भारी जल संयंत्रों (एचडब्ल्यूपी) में छोटे-मोटे आशोधन (₹ 1.11 करोड़), (xiii) प्रमुख कार्यों के संबंध में एचडब्ल्यूजी, बड़ौदा की रिवेंपिंग व आध्निकीकरण (₹ 1 करोड़), (xiv) प्रम्ख कार्यों के संबंध में एचडब्ल्यूपी, मान्ग्स की रिवेंपिंग और आधुनिकीकरण (₹ 0.51 करोड़), (xv) प्रमुख कार्यों के संबंध में और 18 जल उत्पादन संयंत्रों की संस्थापना (₹ 0.32 करोड़), (xvi) प्रम्ख कार्यों के संबंध में दुर्लभ सामग्रियों के उत्पादन हेतु परियोजना पूर्व कार्यकलाप (₹ 0.94 करोड़), (xvii) प्रम्ख कार्यों के संबंध में तकनीकी विकास के लिए नाभिकीय ग्रेड सोडियम जांच स्विधा (₹ 0.39 करोड़), (xviii) प्रमुख कार्यों के संबंध में

Maintenance of Radiological Facilities (₹ 1 crore), (ii) Machinery and Equipments for General Service Organisation (Rs 0.04 crore), (iii) meeting additional expenditure in respect of (1) Tata Institute of Fundamental Research towards Grants-in-aid Salary (₹ 14.68 crore) and Grants-in-aid General (₹ 1.33 crore), (2) Tata Memorial Hospital towards Grants-in-aid Salary (₹ 7.11 crore), (3) Saha Institute of Nuclear Physics towards Grants-in-aid General (₹ 0 .43 crore), (4) Institute of Mathematical Science towards Grants-in-aid Salary (₹ 1.56 crore) and Grants-in-aid General (₹ 0.35 crore), (5) Harish Chandra Research Institute towards Grants-in-aid Salary (₹ 1 crore) and Grants-in-aid General (₹ 0.08 crore), (6) Institute of Plasma Research towards Grants-in-aid General (₹ 0.36 crore), (7) Atomic Energy Education School towards Grants-in-aid Salary (₹ 0.33 crore) and Grants-in-aid General (₹ 3.87 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) meeting expenditure on enhanced compensation for land acquired by Bhabha Atomic Research Centre, Mysore for the project 'Establishment of infrastructure facilities and expansion of Production capacities at RMP Mysore'.

Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting additional expenditure for (i) Thorium Solution Storage Facility at Trombay for Machinery & Equipments (₹ 1.25 crore), (ii) Development of Technology and adoption in waste management and reprocessing plants for Machinery & Equipments (₹ 0.02 crore), (iii) Production of DDU metal ingot from DDU oxide and Electroplating of components on Major Works (₹ 0.67 crore), (iv) Process Integration and e-Engineering of U -metal production facility for Machinery & Equipments (₹ 0.28 crore), (v) Providing Independent Safety System for DFRP for Refurbishment of Coral Facility for (1) Machinery & Equipment (₹ 1 crore), and (2) Major Works (₹ 0.34 crore), (vi) Demonstration Facility For Sodium Bonded Metalic Fuel Fabrication on Major Works (₹ 2.06 crore), (vii) Enhancement of operational features for PFBR and FBTR Fuel Reprocessing on Major Works (₹ 2.06 crore), (viii) New Zirconium Oxide & Sponge Plant, Pazhayakayal on Machinery & Equipment (₹ 0.11 crore), (ix) Modernisation and augmentation of Zorcaloy Fabrication and Fuel Fabrication facility (MAZ4F) on Major Works (₹ 0.21 crore), (x) Developmental work for manufacture of Prototype Fuel Components for LWRs (DWPFC-LWR) for Machinery & Equipment (₹ 0.02 crore), (xi) Augmentation of Waste Management Facilities (AWMF) for Major Works (₹ 0.28 crore), (xii) Minor Modifications to Heavy Water Plants (HWP) on Major Works (₹ 1.11 crore), (xiii) Revamping and Modernisation of HWP, Baroda on Major Works (₹ 1 crore), (xiv) Revamping and Modernisation of HWP, Manuguru on Major Works (₹ 0.51 crore), (xv) Installation of O18 water production Plant on Major Works (₹ 0.32 crore), (xvi) Pre-project Activities for production of rare material on Major Works (₹ 0.94 crore), (xvii) Nuclear grade तकनीक व नवप्रवर्तन सुविधा (₹ 5.68 करोड़), (xix) प्रमुख कार्यों के संबंध में संचालित एचडब्ल्यूपी की एजिंग प्रबंधन व सिस्टम का अपग्रेडेशन (₹ 3.82 करोड़), (xx) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में थोरियम व जिर्कोनियम संसाधनों की बढ़ोतरी (₹ 0.70 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ङ) भारी जल संयत्र, कोटा के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय प्रा करना(₹ 0.35 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक प्रक अपेक्षित है।
- निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (1) मशीनरी (핍) व उपकरणों संबंधी परमाण् ऊर्जा नियामक बोर्ड (₹ 0.64 करोड़), (2) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एडवान्स्ड नाभिकीय रिएक्टर विकास (₹ 0.30 करोड़), (3) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में विजाग में उच्च तापमान रिएक्टर विकास कार्क्रम (₹ 0.30 करोड़), (4) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में बैंक-एंड प्रोसेसेस में अन्संधान व विकास (₹ 2.50 करोड़), (5) प्रम्ख कार्यों के संबंध में कंप्यूटिंग पावर और कनेक्टिविटी में बढ़ोत्तरी (₹ 0.57 करोड़), (6) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में सुरक्षा संबंधी अनुसंधान(₹ 0.14 करोड़), (7) प्रमुख कार्यों के संबंध में नाभिकीय कृषि (₹ 3.40 करोड़), (8) प्रमुख कार्यों के संबंध में आइसोटोप्स और रेडिएशन तकनीकें (₹ 1.18 करोड़), (9) मशीनरी व उपकरणों (₹ 2.59 करोड़), और प्रमुख कार्यों (₹ 0.68 करोड़) के संबंध में एडवांस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीकें, (10) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एक्सलरेटर व एडीएस तकनीकें (₹ 1.49 करोड़), (11) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एडीएस ड्राइवर के फ्रंट-एंड के लिए लो एनर्जी इंटेन्सिटी प्रोटॉन एक्सलरेटर (एलईएचआईजीए) (₹ 0.60 करोड़), (12) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में हाइड्रोजन ऊर्जा (₹ 1.55 करोड़), (13) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में विशेष सामग्रियों का विकास (₹ 0.50 करोड़), (14) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एडवांस्ड फंक्शनल सामग्रियां (₹ 10.83 करोड), (15) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में उच्च तापमान सामग्रियां (₹ 4.71 करोड़), (16) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में (₹ 1.84 करोड़) और प्रम्ख कार्यों (₹ 1.28 करोड़) के संबंध में विनिर्माण तकनीकें, (17) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में नाभिकीय भौतिकी में फ्रंटियर क्षेत्रों में शोधन (₹ 0.72 करोड़), (18) प्रमुख कार्यों के संबंध में विद्यमान इंजीनियरिंग सेवाओं का अपग्रेडेशन (₹ 3.90 करोड़), (19) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में अपशिष्ट प्रबंधन उपकरणों हेत् एडवांस्ड प्रक्रियाओं व उपकरणों का विकास (₹ 0.75 करोड़), (20) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में स्रक्षित कंप्यूटिंग, संप्रेषण व सूचना प्रवितयों के नए प्रतिमानों का विकास व प्रयोग (₹ 12.50 करोड़), (21) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में नाभिकीय व रेडिलोलॉजी आपात सेवाओं हेत् राष्ट्र स्तरीय तैयारी का विकास (₹ 0.51 करोड़), (22) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में पीएचडब्ल्यूआर, एएचडब्ल्यूआर और सीएचटीआर संबंधी स्रक्षा अध्ययन (₹ 0.23 करोड़), (23) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एलआईएस तकनीकें (₹ 1.13 करोड़), (24) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में विशेष सामग्रियों का शोध व विकास (₹ 0.70 करोड़), (25) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में विनिर्माण सुविधाओं का अपग्रेडेशन और विशेष प्रयोजन हेत् हैक्सापोडस का विकास (₹ 1.30 करोड़), (26) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में ईंधन विकास, कैरेक्टराईजेशन व फैब्रिकेशन की स्विधाएं (₹ 0.75 करोड़), (27) नाभिकीय ईंधन चक्र हेत् रोबोटिक्स और आटोमेशन (₹ 0.50 करोड़), (28) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एफबीआर के लिए इंजीनियरिंग विकास और जांच (₹ 0.10 करोड़), (29) अत्याध्निक आध्निक डिजाइन के कार्यालय (₹ 0.01 करोड़), (30) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एफबीआर ईंधन रि-प्रोसेसिंग में शोध व

Sodium Test Facility for Technology Devlopment on Major Works (₹ 0.39 crore), (xviii) Technology and Innovation facility on Major Works (₹ 5.68 crore), (xix) Ageing Management and System Upgradation in operating HWPs on Major Works (₹ 3.82 crore), (xx) Augmentation of Thorium and Zirconium Resources on Machinery & Equipment (₹ 0.70 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (e) meeting additional expenditure in respect of Heavy Water Plant, Kota towards Grants-in-aid General (₹ 0.35 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure for the projects (1) Atomic Energy Regulatory Board on Machinery & Equipments (₹ 0.64 crore), (2) Advanced Nuclear Reactor Development on Machinery & Equipments (₹ 0.30 crore), (3) High Temperature Reactor Development Programme at Vizag on Machinery & Equipments (₹ 0.30 crore), (4) R&D in Back-End Processess on Machinery & Equipments (₹ 2.50 crore), (5) Enhancement of Computing Power And Connectivity on Major Works (₹ 0.57 crore), (6) Safety Related Research on Machinery & Equipments (₹ 0.14 crore), (7) Nuclear Agriculture on Major Works (₹ 3.40 crore), (8) Isotopes & Radiation Technologies on Major Works (₹ 1.18 crore), (9) Advanced Electromagnetic Technologies on Machinery & Equipments (₹ 2.59 crore), and Major Works (₹ 0.68 crore), (10) Accelerator & ADS Technologies on Machinery & Equipments (₹ 1.49 crore), (11) Development Of Low Energy High Intensity Proton Accelerator (LEHIPA) For Front-End Of ADS Driver on Machinery & Equipments (₹ 0.60 crore), (12) Hydrogen Energy on Machinery & Equipments (₹ 1.55 crore), (13) Special Materials Development on Machinery & Equipments (₹ 0.50 crore), (14) Advanced Functional Materials on Machinery & Equipments (₹ 10.83 crore), (15) High Temperature Materials on Machinery & Equipments (₹ 4.71 crore), (16) Manufacturing Technologies on Machinery & Equipments (₹ 1.84 crore) and Major Work (₹ 1.28 crore), (17) Research In Frontier Areas In Nuclear Physics on Machinery & Equipments (₹ 0.72 crore), (18) Upgradation of Existing Engineering Services on Major Works (₹ 3.90 crore), (19) Development Of Advanced Processes & Equipment For Waste Management Applications on Machinery & Equipments (₹ 0.75 crore), (20) Development And Deployment Of New Paradigms Of Secure Computing, Communication and Information Systems on Machinery & Equipments (₹ 12.50 crore), (21) Development Of National Level Preparedness For Nuclear & Radiological Emergencies on Machinery & Equipments (₹ 0.51 crore), (22) Safety Studies Related To PHWR, AHWR And CHTR on Machinery & Equipments (₹ 0.23 crore), (23) LIS Technologies on Machinery & Equipments (₹ 1.13 crore), (24) Research And Development of Special Materials on Machinery & Equipments (₹ 0.70 crore), (25) Upgradation of Manufacturing Facilities and Development of Special Purpose Hexapods on Machinery & Equipments (₹ 1.30 विकास (₹ 0.67 करोड़), (31) रेडियोलॉजी स्रक्षा अध्ययन (₹ 0.45 करोड़), (32)प्रमुख कार्यों के संबंध में आईजीसीएआर प्रशिक्षण स्कूल (₹ 0.10 करोड), (33) प्रमुख कार्यों के संबंध में आईजीसीएआर संयंत्र स्थल पर अवसंरचना स्विधाएं (₹ 0.20 करोड़), (34) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में बैक एंड ईंधन चक्र के लिए नए विकल्प (₹ 1.17 करोड़), (35) मशीनरी व उपकरणों (₹ 2.02 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.40 करोड़), के संबंध में तीव्र रिएक्टर ईंधन रि-प्रोसेसिंग हेत् प्रेसेस उपकरण व प्रणाली विकास की स्विधाओं में बढ़ोत्तरी (36) प्रमुख कार्यों के संबंध में एफबीआर डिजाइन और मूल शोध हेत् हाई पर्फार्मेंस कंप्यूटिंग और डाटा संप्रेषण सुविधाएं (₹ 1 करोड़), (37) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एफबीआर डिजाइन और रि-प्रोसेसिंग संयत्र हेत् कंप्यूटर आधारित आई एंड सी सिस्टम का विकास (₹ 1.28 करोड़), (38) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में सीएफबीआर हेत् संघटकों की जांच (₹ 0.05 करोड़), (39) मशीनरी व उपकरणों (₹ 0.60 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.01 करोड़) के संबंध में आधारभूत समझ व एप्लीकेशन के फेरोफ्लुड नैनोफलुड्स विकास की उन्नत सुविधाएं, (40) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एफबीआरएस और ईंधन चक्र स्विधाओं के लिए रिमोट हैंडलिंग, रोबोटिक्स, एनडीई और आईएसआई औजारों का इरेडिएशन कार्य निष्पादन मुल्यांकन और विकास (₹ 0.40 करोड), (41) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में नाभिकीय माप आपूर्ति प्रणाली के लिए उच्च कार्य निष्पादन सामग्रियां और फैब्रिकेशन तकनीकें (₹ 0.35 करोड़), (42) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में नवीन सामग्री प्रोपर्टिज साइंस और एप्लीकेशन का अन्वेषण (₹ 3.10 करोड़), (43) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में आयन बीमों व कंप्यूटरों का प्रयोग कर सामग्रियों का अनुसंधान (₹ 0.66 करोड़), (44) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में उन्नत कोटिंग और सेंसरों हेत् नैनो सामग्रियों से नैनो संरचनाएं (₹ 7.45 करोड़), (45) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में नवप्रवर्तन कारी एसएफआर डिजाइन का वैधकरण और स्रक्षा प्रदर्शन (₹ 0.95 करोड़), (46) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में कैलिब्रेशन, सिम्य्लेशन, एक्सीडेंट डोसिमिट्री, रेडिएशन स्रक्षण और अन् संधान संबंधी स्वास्थ्य भौतिक सेवाओं व विकास कार्यकलापों की बढ़ोत्तरी (₹ 1.20 करोड़), (47) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में इंडस एक्सलरेटरों का स्धार (₹ 1.25 करोड़), (48) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एसएनएस हेत् उच्च करंट प्रोटॉन व इंजेक्टर (₹ 2.20 करोड़), (49) मशीनरी व उपकरण (₹ 1.39 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.64 करोड़) के संबंध में प्रोटॉन व सिंक्रोटोन उप-प्रणालियां, (50)प्रमुख कार्यों के संबंध में एडवांस्ट एक्सलरेटर उप-प्रणालियों के मूल्यांकन व क्वालिफिकेशन हेत् अवसंरचना (₹ 0.19 करोड़), (51) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एडवांस्ड इंटरनेशनल एक्सलरेटर प्रोग्राम जैसे एक्स-रे फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर(एक्सएफईएल) और अंतर्राष्ट्रीय लिनियर कोलाइडर (आईएलसी) में भागीदारी (₹ 0.10 करोड़), (52) मशीनरी व उपकरण (₹ 0.47 करोड़) और प्रम्ख कार्यों (₹ 0.22 करोड़) के संबंध में अवसंरचना विकास फेस-V, (53) क्छ विद्यमान अवसंरचनात्मक स्विधाओं का अपग्रेडेशन (Rs 0.35 करोड़), (54) मशीनरी व उपकरण (₹ 1.66 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.05 करोड़) के संबंध में इन्सर्शन डिवाइसेस वाले इंडस-2 का कार्यनिष्पादन बढ़ाना और विभिन्न उप-प्रणालियों का अपग्रेडेशन, (55) प्रमुख कार्यों के संबंध में सामग्री अनुसंधान में इन्फ्रा रेड फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर आधारित बीम लाइने और उनके अनुप्रयोग (₹ 0.10 करोड़), (56) मशीनरी व उपकरण (₹ 0.40 करोड़) और प्रम्ख कार्यों (₹ 0.35 करोड़) के संबंध में कंप्यूटर, संप्रेषण व सूचना प्रणालियों का विकास और प्रयोग, (57) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में इंडस सिंक्रोटोन प्रयोगकर्ता स्विधाओं की बढ़ोत्तरी (₹ 2 करोड़), (58) मशीनरी उपकरण (₹ 0.25 करोड़) और प्रमुख कार्यों (Rs 0.10 करोड़) के संबंध में हाई एनर्जी प्रोटोन लिनाक व बेस्ड स्पेलेशन न्यूट्रॉन सोर्स हेत् अनुसंधान व विकास कार्यकलाप, (59) मशीनरी व उपकरणों (₹ 0.01 करोड़) और प्रम्ख कार्यों (₹ 0.01 करोड़) के संबंध में विभिन्न एप्लीकेशन्स के लिए ट्रांवेलिंग

crore), (26) Facilities For Fuel Development, Characterisation and Fabrication on Machinery & Equipments (₹ 0.75 crore), (27) Robotics And Automation For Nuclear Fuel Cycle on Machinery & Equipments (₹ 0.50 crore), (28) Engineering Development And Testing For FBR on Machinery & Equipments (₹ 0.10 crore), (29) State Of Art Modern Design Office on Major Works (₹ 0.01 crore), (30) R&D in FBR Fuel Reprocessing on Machinery & Equipments (₹ 0.67 crore), (31) Radiological Safety Studies on Major Works (₹ 0.45 crore), (32) IGCAR Training school on Major Works (₹ 0.10 crore), (33) Infrastructure Facilities at IGCAR Plant Site on Major Works (₹ 0.20 crore), (34) Novel Options For Back End Fuel Cycle on Machinery & Equipments (₹ 1.17 crore), (35) Augmentation of Facilities for Process, Equipment And System Development For Fast Reactor Fuel Reprocessing on Machinery & Equipments (₹ 2.02 crore) and Major Works (₹ 0.40 crore), (36) High Performance Computing & Data Communication Facilities for FBR Design And Basic Research on Major Works (₹ 1 crore), (37) Development of Computer Based I&C Systems For FBR and Reprocessing Plant on Machinery & Equipments (₹ 1.28 crore), (38) Testing Of Components For CFBR on Machinery & Equipments (₹ 0.05 crore), (39) Advanced Facilities For Ferrofluids/Nanofluids Development for Fundamental Understanding and Applications on Machinery & Equipments (₹ 0.60 crore) and Major Works (₹ 0.01 crore), (40) Irradiation Performance Assessment And Development of Remote Handling, Robotics, NDE And ISI Tools For Fbrs And Fuel Cycle Facilities on Machinery & Equipments (₹ 0.40 crore), (41) High Performance Materials And Fabrication Technologies For Nuclear Steam Supply System on Machinery & Equipments (₹ 0.35 crore), (42) Exploration of novel material properties Science and Applications on Machinery & Equipments (₹ 3.10 crore), (43) Materials research using ion beams and Computers on Machinery & Equipments (₹ 0.66 crore), (44) Nanomaterials to nanostructures for improved coatings and sensors Machinery & Equipments (₹ 7.45 crore), (45) Design Validation and Safety Demonstration of innovative SFR on Machinery and Equipment (₹ 0.95 crore), (46) Augmentation of Health Physics Services and Development Activities related to Calibration, Simulation, Accident Dosimetry, Radiation safety and Research on Machinery & Equipment (₹ 1.20 crore), (47) Improvements In Indus Accelerators on Machinery & Equipment (₹ 1.25 crore), (48) High Current Proton Injector Linac for SNS on Machinery & Equipment (₹ 2.20 crore), (49) Proton Synchrotron Sub-Systems on Machinery & Equipment (₹ 1.39 crore) and Major Works (₹ 0.64 crore), (50) Infrastructure For Evaluation & Qualification Of Advanced Accelerator Sub-System on Major Works (₹ 0.19 crore), (51) Participation In Advanced International Accelerator Programme Like X-Ray Free Electron Laser (XFEL) & International Linear Collider (ILC) on Machinery & Equipment (₹ 0.10 crore), (52) Infrastructure Development Phase-V on Machinery & Equipment (₹ 0.47 crore) and Major Works (₹ 0.22 crore), (53) Upgradation of some existing infrastructureal facilities on Major Works (Rs 0.35 crore), (54)

(g)

वैव लाइनेक्स का स्वेदीशी डिजाइन और कंप्यूटर का विकास, (60) मशीनरी व उपकरणों (₹ 0.01 करोड) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.01 करोड) के संबंध में आरआरसीएटी पर सीआईएसएफ इंडक्शन हेत् हाउसिंग व अवसंरचना, (61) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में यूरेनियम के अन्वेषण हेत् एयरबोर्न और ग्राउंड जियोफिजिक्ल सर्वेक्षण, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस अध्ययन (₹ 0.20 करोड़), (62) प्रम्ख कार्यों के संबंध में ओल्ड हाउस फेस- की बहाली नवप्रवर्तन (₹ 0.01 करोड़), (63) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में लौह आक्साइड बैकिकया, क्यूपी सी, सैंड स्टोन और केलक्रीट किस्म का डिपाजिट (₹ 0.49 करोड), (64) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में रासायनिक इंजीनियरिंग शिक्षा और अनुसंधान जीएई-यूआईसीटी केंद्र (₹ 0.01 करोड़), (65) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में बीएआरसी, केंपस, विजाग में 125 मैगावाट के तापीय अन्संधान रिएक्टर संबंधी विकासात्मक कार्यकलाप (₹ 0.02 करोड़), (66) मशीनरी व उपकरणों (₹ 0.02 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.03 करोड़) के संबंध में बीएआरसी कैंपस, विजाग पर हाई फ्लक्स अनुसंधान रिएक्टर संबंधी विकासात्मक कार्यकलाप, (67) मशीनरी व उपकरणों (₹ 0.02 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.02 करोड़) के संबंध में अनुसंधान रिएक्टर परियोजना, ट्राम्बे हेत् अवसंरचना विकास, यूटीलिटी और सीएनआई, (68) प्रम्ख कार्यों के संबंध में सोडियम तकनीक कांप्लैक्स (₹ 5.11 करोड़), (69) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एन्एट और डीएई ग्रिड की बढ़ोत्तरी (₹ 1.61 करोड़), (70) मशीनरी व उपक्रम (₹ 1 करोड़) और प्रम्ख कार्यों (₹ 0.99 करोड़) के संबंध में भारत आधारित न्यूट्रिनों आब्जर्वेटरी।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(छ) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.30 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। Performance Enhancement of Indus-2 with Insertion Devices & Upgradation of various Sub-Systems on Machinery & Equipment (₹ 1.66 crore) and (Major Works ₹ 0.05 crore), (55) Infra-Red Free Electron Laser Based Beam Lines & their Applications in Materials Research on Major Works (₹ 0.10 crore), (56) Development and Deployment of Computer, Communication and Information Systems on Machinery & Equipment (₹ 0.40 crore) and Major Works (₹ 0.35 crore), (57) Enhancement of Indus Synchrotron User Facility on Machinery & Equipment (₹ 2 crore), (58) R&D Activities for High Energy Proton Linac Based Spallation Neutron Source on Machinery & Equipment (₹ 0.25 crore) and Major Works (Rs 0.10 crore), (59) Development of Indigenous Des. & Comp. of Travelling wave Electron linacs for various applications on Machinery and Equipments (₹ 0.01 crore) and Major Works (₹ 0.01 crore), (60) Housing & Infrastructure for CISF induction at RRCAT on Machinery & Equipments (₹ 0.01 crore) and Major Works (₹ 0.01 crore), (61) Airborne & Ground Geophysical Surveys, Remote Sensing & GIS Studies for Exploration of Uranium on Machinery & Equipments (₹ 0.20 crore), (62) Restoration/Renovation of old houses Phase II on Major Works (₹ 0.01crore), (63) Uranium investigations for Iron Oxide Breccia, QPC, Sand stone and Calcrete type of of deposits on Machinery and Equipments (₹ 0.49 crore), (64) DAE-UICT Centre for Chemical Engineering Education & Research on Machinery & Equipment (₹ 0.01 crore), (65) Developmental Activites related to 125 MW Thermal Research Reactor at BARC Campus, Vizag on Machinery and Equipment (₹ 0.02 crore), (66) Developmental Activites related to High Flux Research Reactor at BARC Campus, Vizag on Machinery & Equipment (₹ 0.02 crore) and Major Works (₹ 0.03 crore), (67) Infrastructural Development, Utilities & CNI for Research Reactor Project, Trombay on Machinery & Equipment (₹ 0.02 crore) and Major Works (₹ 0.02 crore), (68) Sodium technology complex on Major Works (₹ 5.11 crore), (69) Enhancement of Anunet and DAE Grid on Machinery and Equipment (₹ 1.61 crore), (70) India based Neutrino Observatory on Machinery and Equipments (₹ 1 crore) and Major Works (₹ 0.99 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure for the projects 'R&D Facilities' towards Machinery and Equipments (₹ 0.30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं

NUCLEAR POWER SCHEMES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये) (See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 5 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

				ये Rupees in Crore)				
				राजस्व	पूंजी	जोड़		
				Revenue	Capital	Total		
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	3943.15	297.67	4240.82		
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:		0.01	0.01		
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	111.72	12.40	124.12		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4054.87	310.08	4364.95		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	न्य शीर्षों के अ <u>ं</u>	तर्गत दिखाया	' जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for und	der the follow	wing Major Heads:			
				आयोजना	आयोजना-	जोड़		
				Plan	भिन्न	Total		
					Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2801 - विद्युत	स्वीकृत:	2801 -Power	Voted:		111.72	(कa) 111.72		
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4801 - विद्युत परियोजनाओं	स्वीकृत:	4801 - Capital Outlay on Power Projects	Voted:	12.40	(खb)	12.40		
पर पूंजी परिव्यय								
जोड़ (प्रक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	12.40	111.72	124.12		
			मानों में नीचे द	र्शाई गयी वस्ति	यों को शामिल नहीं किया गया है	है जिन्हें व्यय में से		
		घटाकर समायोजित किया जाता है !						
		Note: The above estimates of additional requirement	Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are					
• •		adjusted in reduction of expenditure.						
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय		4801 - Capital Outlay on Power Projects		(-) 24.48		(-) 24.48		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

होगा।

(क) बढ़ी स्वदेशी आपूर्ति एवं विदेशों से ईंधन की खरीद पर अतिरिक्त व्यय (₹ 267.85 करोड़)।

> अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों और बढ़ी प्राप्तियों के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

(ख) मैसर्स भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमि. में निवेश के लिए अतिरिक्त व्यय। बढ़ी वस्लियों के मद्देनजर उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना

- (a) additional expenditure (₹ 267.85 crore) on increased indigenous supply and procurement of fuel from overseas countries.
 - Taking into account savings available in the Revenue Section of the Grant and enhanced receipts, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
 - additional expenditure towards investment in M/s Bharitiya
 Nabhikiya Vidhyut Nigam Limited.
 - Taking into account the enhanced recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये) (See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 8 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		,		Rupees in Crore) জীৱ				
				राजस्व Revenue	प्ंजी Capital	Total		
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		Novondo	оции	Total		
, 3	स्वीकृत:		Voted:	852.42	5029.80	5882.22		
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	30.00	30.02		
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	103.12	1000.00	1103.12		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		955.56	6059.80	7015.36		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के अंत	नर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be account	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
				आयोजना	आयोजना-	जोड़		
				Plan	भिन्न	Total		
					Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत:	3053 -Civil Aviation	Voted:		103.12	(कa) 103.12		
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
5053 - नागर विमानन पर पूंजी	स्वीकृत:	5053 - Capital Outlay on Civil Aviation	Voted:	1000.00	(खb)	1000.00		
परिव्यय								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	1000.00	103.12	1103.12		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त निधियां मुहैया कराना:- (i)एयरपोर्ट इकनॉमिक रेग्युलेटरी आथोरिटी(₹ 1 करोड़), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अर्बन अकादमी (₹ 5.10 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान (ii)(₹ 101.26 करोड़ की हज सब्सिडी हेतु अनुदान; और (iii) नागर विमानन महानिदेशालय हेतु वेतन के कारण (₹ 0.88 करोड़)। चूंिक अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए एक प्रतीकात्मक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) एयर इंडिया को इक्विटी इंफ्यूशन के तौर पर (₹ 1000.00 करोड़) और होटल कापीरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अतिरिक्त निवेश (₹ 7 करोड़ की अतिरिक्त निधियां जारी करना। चूंकि अनुदान के इसी भाग के भीतर (₹ 7.00 करोड़) की बचत उपलब्ध है, इसमें (₹ 1000.00 के निवल नकद व्यय होगा।

- (a) providing additional funds for the following: (i) Grants-in-aid General to Airports Economic Regulatory Authority (₹ 1 crore),Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy (₹ 5.10 crore); (ii) Grants for Haj subsidy of ₹ 101.26 crore; and (iii) On account of salary for Directorate General of Civil Aviation (₹ 0.88 crore) Since savings of ₹ 5.12 crore is available within same Section of the Grant, this will entail net cash outgo of ₹ 103.12 crore.
- Realising additional funds to Air India (₹ 1000.00 crore) as equity infusion and additional investment in Hotel Corporation of India Limited (₹ 7 crore). Since savings of ₹ ₹ 7.00 crore is available within same Section of the Grant, this will entail net cash outgo of ₹ 1000.00 crore.

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये) (See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 9 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)		
				राजस्व	पूंजी	जोड़		
				Revenue	Capital	Total		
I. मू <i>ल अनुदान</i> :		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	497.70	50.00	547.70		
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	100.00	1672.00	1772.00		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	•••	0.01		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		597.71	1722.00	2319.71		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा	:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for under th	ne following M	lajor Head:			
				आयोजना आयोजना-				
				Plan	भिन्न	Total		
					Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2803 - कोयला और लिग्नाइट	स्वीकृत:	2803 -Coal and Lignite	Voted:	0.01		0.01		
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अ	पेक्षित है:	The supplement	tary grant is re	equired for:				

कोयला और कोक के लिए कोयला खानों की सुरक्षा एवं संरक्षा स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त सब्सिडी व्यय (₹ 25 करोड़)।

अन्दान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

additional subsidy expenditure (₹ 25 crore) under the scheme of Conservation and Safety of Coal Mines towards Coal and Coke.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये) (See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 10 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rupees in Crore)					
				राजस्व	पूंजी	जोड़				
				Revenue	Capital	Total				
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:								
	भारित:		Charged:	0.50		0.50				
	स्वीकृत:		Voted:	4383.77	1013.00	5396.77				
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:								
	भारित:		Charged:	0.20		0.20				
	स्वीकृत:		Voted:	54.00		54.00				
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount								
पूरक अनुमान:		now required:								
	भारित:		Charged:	0.62		0.62				
	स्वीकृत:		Voted:	4.08		4.08				
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4443.17	1013.00	5456.17				
	भारित:		Charged:	1.32		1.32				
	स्वीकृत:		Voted:	4441.85	1013.00	5454.85				
		II. इस परक अनदान/विनियोग का हिसाब निम्नि	इस परक अनदान/विनियोग का द्रिसाब निम्नलिखित मख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:							

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्निलेखित मुख्य शीषों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2057 - आपूर्ति और निपटान	भारित:	2057 - Supplies and Disposals	Charged:			0.62	(कa)	0.62
2407 - पौधारोपण	स्वीकृत:	2407 -Plantations	Voted:	1.07	(खb)	0.01	(गc)	1.08
3453 - विदेशी व्यापार और	स्वीकृत:	3453 -Foreign Trade and Export	Voted:	3.00	(घd)			3.00
निर्यात संवर्द्धन		Promotion						
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		4.07		0.63		4.70
	भारित:		Charged:			0.62		0.62
	स्वीकृत:		Voted:	4.07		0.01		4.08

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- न्यायालय के निर्णय के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करना होगा। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।
- काजू निर्यात प्रोन्नति परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.90 (ख) करोड़)।
 - अनुदान के राजस्व भाग में बचतों और अनुदान के पूंजी भाग में अभ्यर्पण के कारण उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- निम्नलिखित को वेतन सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय (i)कॉफी बोर्ड (ग) (₹ 16.20 करोड़), (ii) और रबड़ बोर्ड (₹ 6 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- meeting additional expenditure due to court decree. Taking into account the surrender of savings available in the
 - Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- Grants in Aid General (₹ 1.90 crore) to Cashew Export Promotion Council.
 - Taking into account the savings within the Revenue Section of the Grant and surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
 - additional expenditure towards Grants in aid Salary to (i) Coffee Board(₹ 16.20 crore), and (ii) Rubber Board (₹ 6 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (घ) मैसर्स भारतीय पैकेजिंग संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 3 करोइ)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं होगा।
- meeting additional expenditure (₹ 3 crore) towards Grants-in-aid General to M/s Indian Institute of Packaging.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

औदयोगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये) (See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 11 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Revenue Capital Total I. मूल अन्दान: I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 1413.29 303.00 1716.29 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: भारित: Charged: 0.04 0.04 ... स्वीकृत: Voted: 0.01 8.00 8.01 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount पूरक अनुमान: now required: स्वीकृत: Voted: 96.02 96.02 जोड़ (मूल और पूरक) 1509.36 1820.36 Total (Original plus Supplementary) 311.00 भारित: Charged: 0.04 0.04 स्वीकृत: Voted: 1509.32 311.00 1820.32 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना		आयोजना-	जोड़
			Plan		भिन्न	Total
					Non-Plan	
	REVENUE SECTION					
	MAJOR HEAD					
स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)	•••	0.01
स्वीकृत:	2875 -Other Industries	Voted:	96.00	(खb)		96.00
स्वीकृत:	2885 -Other Outlays on Industries and	Voted:	0.01	(गc)		0.01
	Minerals					
स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	96.02			96.02
	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas स्वीकृत: 2875 -Other Industries स्वीकृत: 2885 -Other Outlays on Industries and Minerals	MAJOR HEADस्वीकृत:2552 -North Eastern AreasVoted:स्वीकृत:2875 -Other IndustriesVoted:स्वीकृत:2885 -Other Outlays on Industries and MineralsVoted:	PlanREVENUE SECTIONMAJOR HEADस्वीकृतः2552 -North Eastern AreasVoted:0.01स्वीकृतः2875 -Other IndustriesVoted:96.00स्वीकृतः2885 -Other Outlays on Industries and MineralsVoted:0.01	REVENUE SECTION MAJOR HEAD स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas Voted: 0.01 (कa) स्वीकृत: 2875 -Other Industries Voted: 96.00 (खb) स्वीकृत: 2885 -Other Outlays on Industries and Voted: 0.01 (गट) Minerals	Plan भिन्न Non-Plan REVENUE SECTION MAJOR HEAD स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas Voted: 0.01 (कa) स्वीकृत: 2875 -Other Industries Voted: 96.00 (खb) स्वीकृत: 2885 -Other Outlays on Industries and Voted: 0.01 (गс) Minerals

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) परिवहन सब्सिडी के अन्तर्गत दावों के निपटान के लिए ₹ 12.42 करोड़ की राशि सिहत नार्थ ईस्ट इंडिस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पालिसी, 2007 योजना के अन्तर्गत ₹ 33.29 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गिलयारा के अन्तर्गत एसपीवी परियोजना को भुगतान हेतु ₹ 96 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु एतकनीकी पूरक अपेक्षित है।
- (ग) परिवहन सब्सिडी स्कीम के अन्तर्गत दावों के निपटान के लिए ₹ 44.20 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- a) meeting the additional requirement of ₹ 33.29 crore under the scheme North East Industrial Investment Policy, 2007, including an amount of ₹ 12.42 crore for settlement of claims under the Transport Subsidy scheme. As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting an additional requirement of ₹ 96 crore towards payment to project SPVs under Delhi-Mumbai Industrial Corridor. As savings are available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.
 - c) meeting the additional requirement of ₹ 44.20 crore for settlement of claims under the Transport Subsidy scheme. As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये) (See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 12 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rupe	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.20		0.20
	स्वीकृत:		Voted:	16875.97	433.31	17309.28
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.12	0.67	0.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now	v			
अनुमान:		required:				
	भारित:		Charged:	0.10	•••	0.10
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		16876.39	433.98	17310.37
	भारित:		Charged:	0.42	0.67	1.09
	स्वीकृत:		Voted:	16875.97	433.31	17309.28
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्ष के अंतर्गत	ा दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Appropriation will be	e accounted for	under the follow	ving Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मु ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3201 - डाक सेवाएं	भारित:	3201 - Postal Services	Charged:		0.10	0.10

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के कारण ₹ 0.10 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए तकनीकी पूरक अपेक्षित है।

The supplementary appropriation is required for:

meeting an additional requirement of ₹ 0.10 crore arising out of Court Judgement. As savings are available in the voted section of the grant, a technical supplementary is sought.

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये) (See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 13 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

				राजस्व	<i>(करोड़ रुपः</i> पूंजी	ये Rupee	es in Crore) जोड
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			-		
	स्वीकृत:		Voted:	12192.86	2510.28		14703.14
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	•••	0.02		0.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	436.28			436.28
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		12629.14	2510.30		15139.44
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्	य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जाये	गा:		
		II. This Supplementary Grant will be accour	nted for unde	er the following	Major Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2071 - पेंशन और अन्य	स्वीकृत:	2071 -Pensions and other Retirement	Voted:		436.27	(कa)	436.27
सेवानिवृत्ति		Benefits					
3275 - अन्य संचार सेवाएं	स्वीकृत:	3275 -Other Communication Services	Voted:		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		436.28		436.28

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) बीएसएनएल में अमेलित और सेवानिवृत दूरसंचार विभाग को पूर्व कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों, पंशन हेतु ₹ 442 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। इस अनुदान के राजस्व भाग में ₹ 5.73 करोड़ के बचत को हिसाब में लेते हु ए ₹ 436.27 करोड़ की शेष राशि हेतु एक तकनीकी पूरक अपेक्षित है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) इस ऐसे स्पेक्ट्रम के लिए अपफ्रन्ट प्रभारों की वापसी के साथ ब्रांडबैंड वायरलैस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) की सुर्पुदगी पर बीएसएनएल को दी जाने वाली वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए ₹ 1102.68 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु इस अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचत के रूप में एक सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting an additional requirement of ₹ 442 crore towards Pensions and Retirement Benefits in respect of erstwhile employees of Department of Telecommunications absorbed in and retired from BSNL. After taking into account the savings of ₹ 5.73 crore in the revenue section of the Grant, a technical supplementary for the balance amount of ₹ 436.27 crore is sought. This will not entail cash outgo.
- b) meeting an additional requirement of ₹ 1102.68 crore towards providing financial support to BSNL on surrender of Broadband Wireless Access (BWA) spectrum with refund of upfront charges paid for such spectrum. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

खादय और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये) (See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 14 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

राजस्व पूंजी जोड़ Revenue Capital Total I. मूल अन्दान: I. ORIGINAL GRANT: भारित: Charged: 1.34 1.34 स्वीकृत: Voted: 91085.77 10641.53 101727.30 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount पूरक अनुमान: now required: स्वीकृत: Voted: 1917.08 1917.08 जोड़ (मूल और पूरक) 93004.20 Total (Original plus Supplementary) 10641.53 103645.73 भारित: Charged: 1.34 1.34 स्वीकृत: Voted: 93002.86 10641.53 103644.39 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD

स्वीकृत:

भाण्डागारण

2408 - खाद्य भंडारण और

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

2408 -Food Storage and Warehousing

The supplementary grant is required for:

Voted:

भायोजना

Plan

- (क) (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को देय सब्सिडी (₹ 2000.02 करोड़)।
 - (ii) चीनी के बफर स्टॉक के अनुरक्षण के लिए सब्सिडी (₹ 2.50 करोड़)।

अनुदान के राजस्व पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों (Rs.39.56 करोड़)के अभ्यर्पण के मद्देनजर, और अनुदान के इसी भाग के भीतर बचतों (Rs.85.44 करोड़) के उपयोग के पश्चात, उपरोक्त व्यय से नगद व्यय (Rs.1877.52 करोड़)नहीं होगा।

- (i) subsidy payable to Food Corporation of India under National Food Security Act (₹ 2000.02 crore).
 - (ii) subsidy for maintenance of Buffer Stocks of sugar (₹ 2.50 crore)

आयोजना-

भिन्न

Non-Plan

1917.08

(कa)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

जोड

Total

1917.08

Taking into account the surrender of savings (₹ 39.56 crore) available in the Revenue/Capital Section of the Grant, and after utilising the savings (₹ 85.44 crore) within the same section of the Grant, the above expenditure will entail cash outgo (₹ 1877.52 crore).

संसकृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 15-17 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 15-17 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					(ক	रोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व	पृ	्ं जी		जोड़
				Revenue	Ca	pital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	2023.00		39.00		2062.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	102.04		0.01		102.05
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		2125.06		39.01		2164.07
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्ष के अंत	नर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acc	counted for und	der the follow	wing Major Hea	ad:		
				आयोजना	आय	ोजना-		जोड़
				Plan	194	न्न -		Total
					Non	-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत:	2205 -Art and Culture	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय स्मारकों का रख-रखाव स्कीम के तहत इंदिरा गांधी स्मारक न्यास के लिए संग्रह निधि मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़)।
 - (ii) जनजातीय उप-आयोजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु लिलत कला अकादमी, नई दिल्ली को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.65 करोड़)।
 - (iii) फैलोशिप और पुरस्कार प्रदान करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)।
 - (iv) (1) पोर्टल चुनींदा कार्यों और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम तथा लाइब्रेरी के उन्नयन (₹ 15.00 करोइ), (2) राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति के सहायक स्टॉफ, स्मरणोत्सव आदि (₹ 5.00 करोइ) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान।
 - (v) उत्कृष्ट संस्थानों को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान(₹ 1.00 करोड़)।
 - (vi) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) (i) निम्निलिखित संस्थानों/संगठनों को वेतन, महंगाई भत्ते आदि के कारण अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य वेतन सहायताः (1) राष्ट्रीय विज्ञान म्यूजियम परिषद कोलकाता (₹ 1.00

The supplementary grant is required for:

-) (i) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement to provide Corpus Fund for Indira Gandhi Memorial Trust under the scheme 'Maintenance of National Memorials' (₹ 10.00 crore).
 - (ii) Grants-in-aid General to Lalit Kala Akademi, New Delhi for meeting the additional requirement under Tribal Sub Plan (₹ 0.65 crore).
 - (iii) Grants-in-aid General to Sangeet Natak Akademi, New Delhi for meeting the additional requirement for conferment of fellowship and awards (₹ 2.00 crore)
 - (iv) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement for (1) Portal,Selected Works and Upgradation of Nehru Memorial Museum and Library (₹ 15.00 crore); and (2) Supporting staff for National Implementation Committee, Commemoration activites etc. (₹ 5.00 crore)
 - (v) Grants for creation of Capital Assets (₹ 1 crore) to Institute of Eminence.
 - (vi) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) Grants-in-aid Salaries for meeting the additional requirement on account of salaries, DA etc. to the following Institutions/ Organisations: (1) National Council

करोड़), (2) रामपुर रजा पुस्तकालय (₹ 0.48 करोड़), (3) विक्टोरिया मैमेरियल हॉल कोलकाता (₹ 0.29 करोड़), (4) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली (₹ 1.24 करोड़), (5) राष्ट्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह (₹ 0.26 करोड़), (6) मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियन अध्ययन संस्थान, कोलकाता (₹ 0.36 करोड़), (7) केंद्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान, धौंग (₹ 0.62 करोड़), और (8) दि एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता (₹ 0.20 करोड़)।

- (ii) निम्नलिखित संस्थानों को अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदानः (1) लिलत कला अकादमी (₹ 1.00 करोइ), (2) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली (₹ 1.00 करोइ), और (3) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना (₹ 0.40 करोइ)।
- (iii) कायार्लयी व्यय के तहत राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 0.30 करोड़)।
- (iv) शीर्ष (1) कार्यालयी व्यय (₹ 1.00 करोड़), और (2) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 0.03 करोड़) के तहत राष्ट्रीय म्यूजियम की अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेत्।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- of Science Museum, Kolkata (₹ 1.00 crore); (2) Rampur Raza Library (₹ 0.48 crore); (3) Victoria Memorial Hall, Kolkata (₹ 0.29 crore); (4) Sangeet Natak Akademi, New Delhi (₹ 1.24 crore); (5) Central Institute of Buddhist Studies, Leh (₹ 0.26 crore); (6) Maulan Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata (₹ 0.36 crore); (7) Central Institute of Himalayan Cultural Studies, Dhaung (₹ 0.62 crore); and (8) The Asiatic Society, Kolkata (₹ 0.20 crore).
- (ii) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement to the following Institutes: (1) Lalit Kala Akademi(₹ 1.00 crore); (2) Sahitya Akademi, New Delhi (₹ 1.00 crore); and (3) Khuda Baksh Oriental Public Library, Patna (₹ 0.40 crore).
- (iii) For meeting the additional requirement of National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow under Office Expenses (₹ 0.30 crore)
- (iv) For meeting the additional requirement of National Museum under the Heads (1) Office Expenses (₹ 1.00 crore); and (2) Other Administrative Expenses (₹ 0.03 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

स्वीकृत:

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये R	upees in Crore)
				राजस्व	प्ंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.26		0.26
	स्वीकृत:		Voted:	15455.13	1838.40	17293.53
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:		now required:				
	भारित:		Charged:	0.22	•••	0.22
	स्वीकृत:		Voted:	241.49	0.02	241.51
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		15697.10	1838.42	17535.52
	भारित:		Charged:	0.48	***	0.48

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

Voted:

15696.62

1838.42

17535.04

		п. тыѕ эпррешентагу огапидрогорнано	n will be accou	unied for under आयोजना Plan	the following iv आयोजना- भिन्न Non-Plan	тајог пес	aus. जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2037 - सीमा शुल्क	भारित:	2037 - Customs	Charged:		0.02	(कa)	0.02
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2052 -Secretariat-General Services	Voted:		0.01	(खb)	0.01
2055 - पुलिस	भारित:	2055 - Police	Charged:		0.20	(गc)	0.20
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2075 - Miscellaneous General Services	Voted:		241.48	(घd)	241.48
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)			241.71		241.71
	भारित:		Charged:		0.22		0.22
	स्वीकृत:		Voted:		241.49		241.49
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:		0.01	(ਭ e)	0.01
४२१६ - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4216 - Capital Outlay on Housing	Voted:		0.01	(चf)	0.01
जोड़ (प्ंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	•••	0.02		0.02
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			241.73		241.73
	भारित:		Charged:	•••	0.22		0.22
	स्वीकृत:		Voted:		241.51		241.51

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन में आपूर्ति एवं सामग्री के तहत उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु 'मेसर्स नाथ एण्ड एसोशिएट्स को देय ₹ 2.18 लाख के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपल्ब्ध बचतों को देखते हुए तकनीकी पूर्क अपेक्षित है।
- (ख) वेतन और भतों के संविधिक देयताओं के भुगतान के लिए कैटोन्मेट बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए ₹ 51.64 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के रूप में, एक सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 2.18 lakh under 'Supplies and Materials', payable to M/s Nath & Associates towards reimbursement of excise duty in compliance of Court Orders. As savings are available under Voted section of the grant, a technical supplementary is sought.
- (b) meeting an additional expenditure of ₹ 51.64 crore towards providing 'Grants-in-aid-General' to deficit Cantonment Boards for payment of statutory liabilities of Pay & Allowances. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (ग) जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैक्ट्री को वेतन के अंतर्गत ₹ 0.20 करोड़ भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, इस अनुदान के स्वीकृत भाग मं उपलब्ध बचत के रूप में, एक तकनीकी पूरक अपेक्षित है।
- (घ) बकाया देयताओं के भुगतान हेतु आपूर्ति और सामग्रियों के अंतर्गत ₹ 432 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, इसके इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए ₹ 241.48 करोड़ की शेष राशि हेतु एक तकनीकी पूरक अपेक्षित है। इस अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों के रूप में कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) रक्षा सम्पदा संगठन (डीईओ) ने कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु ₹ 2 करोड़ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान में इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (च) रक्षा सम्पदा संगठन (डीईओ) के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹ 1.75 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एक सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- meeting additional expenditure towards payment of ₹ 0.20 crore under 'Salaries' to Jammu and Kashmir Light Infantry (JAKLI).

 As savings are available in voted section of the grant, a technical supplementary is sought.
- (d) meeting an additional expenditure of ₹ 432 crore under 'Supplies and Materials' towards payment of outstanding liabilities. After taking into account the savings available in the same section of the Grant, a technical supplementary for the balance amount of ₹ 241.48 crore is sought. This will not entail cash outgo as equivalent savings are available in Capital section of the Grant.
- (e) meeting an additional expenditure of ₹ 2 crore towards construction of office buildings of Defence Estates Organisation (DEO). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (f) meeting an additional expenditure of ₹ 1.75 crore towards construction of residential buildings of Defence Estates Organisation (DEO). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

इसमें नकद व्यय होगा।

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुप	ये Rupee	s in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.69			0.69
	स्वीकृत:		Voted:	44499.31			44499.31
इस समय आवश्यक रकम व	ন	Supplementary Estimate of the amour	t				
पूरक अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:	3.54			3.54
	स्वीकृत:		Voted:	996.46			996.46
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		45500.00			45500.00
	भारित:		Charged:	4.23			4.23
	स्वीकृत:		Voted:	45495.77			45495.77
		II. इस पूरक अन्दान/विनियोग का हिसाब नि	म्नलिखित मख्य शी	ार्ष के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
		II. This Supplementary Grant/Appropri	•			lajor Hea	ad:
			•			lajor Hea	ad: जोड़
			•	unted for under	the following M	lajor Hea	
			•	unted for under आयोजना	the following M आयोजना-	lajor Hea	जोड़
राजस्व भाग			•	unted for under आयोजना	the following M आयोजना- भिन्न	lajor Hea	जोड़
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		II. This Supplementary Grant/Appropri	•	unted for under आयोजना	the following M आयोजना- भिन्न	lajor Hea	जोड़
मुख्य शीर्ष 2071 - पेंशन और अन्य	भारित:	II. This Supplementary Grant/Appropri	ation will be acco	unted for under आयोजना	the following M आयोजना- भिन्न	lajor Hea (कa)	जोड़ Total
मुख्य शीर्ष	भारित:	II. This Supplementary Grant/Appropri	ation will be acco	unted for under आयोजना	the following N आयोजना- श्रिन्न Non-Plan		जोड़ Total
मुख्य शीर्ष 2071 - पेंशन और अन्य	<i>भारित:</i> स्वीकृत:	II. This Supplementary Grant/Appropri	ation will be acco	unted for under आयोजना	the following N आयोजना- श्रिन्न Non-Plan		जोड़
मुख्य शीर्ष 2071 - पेंशन और अन्य	स्वीकृत:	II. This Supplementary Grant/Appropri REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2071 - Pensions and other Retirement Benefits	ation will be acco	unted for under आयोजना Plan 	the following N आयोजना- भिन्न Non-Plan 3.54 996.46	(কa) (खb)	जोड़ Total 3.54
मुख्य शीर्ष 2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृति यह पूरक अनुदान निम्नलिन्	स्वीकृत: खेत हेतु अपेक्षित है:	II. This Supplementary Grant/Appropri REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2071 - Pensions and other Retirement Benefits	ation will be acco Charged: Voted:	unted for under आयोजना Plan 	the following M आयोजना- भिन्न Non-Plan 3.54 996.46	(কa) (खb)	जोड़ Total 3.54 996.46
मुख्य शीर्ष 2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृति यह पूरक अनुदान निम्नलिन्	स्वीकृत: खेत हेतु अपेक्षित है:	II. This Supplementary Grant/Appropri	Charged: Voted:	unted for under आयोजना Plan ant/appropriatio nal expenditure	the following M आयोजना- भिन्न Non-Plan 3.54 996.46	(কa) (खb)	जोड़ Total 3.54 996.46
मुख्य शीर्ष 2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृति यह पूरक अनुदान निम्नलिः (क) न्यायालय आदेश वे	स्वीकृतः खेत हेतु अपेक्षित है: 5 कारण ₹ 3.54 करो	II. This Supplementary Grant/Appropri	Charged: Voted: supplementary grameeting additio	unted for under आयोजना Plan ant/appropriatio nal expenditure ourt order.	the following M आयोजना- भिन्न Non-Plan 3.54 996.46 n is required for	(कa) (खb) r: e toward:	जोड़ Total 3.54 996.46 s payment
मुख्य शीर्ष 2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृति यह पूरक अनुदान निम्नलि (क) न्यायालय आदेश वे (ख) रक्षा बलों से सेवा	स्वीकृतः खेत हेतु अपेक्षित हैः 5 कारण ₹ 3.54 करो निवृत व्यक्तियों की	II. This Supplementary Grant/Appropri REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2071 - Pensions and other Retirement Benefits The selection is के अतिरिक्त व्यय को पूरा कना। (a)	Charged: Voted: supplementary grameeting addition	unted for under आयोजना Plan ant/appropriatio nal expenditure ourt order. onal expenditu	the following M आयोजना- श्रिन्न Non-Plan 3.54 996.46 n is required for	(कa) (खb) r: e toward: 46 crore	जोड़ Total 3.54 996.46 s payment

This will entail cash outgo.

रक्षा सेवा - थल सेना

DEFENCE SERVICES-ARMY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये) (See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 18 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुप	ये Rupee	s in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	46.93			46.93
	स्वीकृत:		Voted:	83888.33			83888.33
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount	t				
पूरक अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:	110.00			110.00
	स्वीकृत:		Voted:	4711.37			4711.37
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		88756.64			88756.64
	भारित:		Charged:	156.93	•••		156.93
	स्वीकृत:		Voted:	88599.71	•••		88599.71
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब नि	म्नलिखित मुख्य शीर्ष	र्भ के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant/Appropria	ation will be accou	nted for under	the following Ma	ajor Hea	d:
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2076 - रक्षा सेवाएं-थल सेना	भारित:	2076 - Defence Services - Army	Charged:	•••	110.00	(कa)	110.00
	स्वीकृत:		Voted:		4711.37	(खb)	4711.37
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			4821.37		4821.37
	भारित:		Charged:		110.00		110.00
	स्वीकृत:		Voted:	•••	4711.37		4711.37

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि पूंजी अनुदान में बचतें उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।
- (ख) सेना डाक संचार स्कीम सहित 'वेतन' 'परिवहन', 'सैनिक फार्मस', 'भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य स्कीम', 'निरीक्षण','निर्माण' 'राष्ट्रीय राइफलस' 'राष्ट्रीय कैडेट कार्पस', के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि पूंजी अनुदान में बचतें उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) meeting an additional requirement towards payment arising out of Court orders. As savings are available in Capital grant, a technical supplementary is sought.
- (b) meeting an additional requirement under 'salaries', 'transportation', 'military farms', 'ex-servicemen contributory health scheme', 'inspection', 'works', 'Rashtriya Rifles', 'National Cadet Corps' including 'Army Post Logistic Scheme'. As savings are available in Capital grant, a technical supplementary is sought.

रक्षा सेवा - नौ सेना

DEFENCE SERVICES-NAVY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

तकनीकी पूरक प्रार्थित है।

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुप	ये Rupees	in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	13.00			13.00
	स्वीकृत:		Voted:	12381.43			12381.43
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the a	mount				
पूरक अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:	19.82			19.82
	स्वीकृत:		Voted:	949.69			949.69
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		13363.94			13363.94
	भारित:		Charged:	32.82			32.82
	स्वीकृत:		Voted:	13331.12			13331.12
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिस्	गाब निम्नलिखित मुख्य शी	र्ष के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant/App	propriation will be accor	unted for under	the following M	lajor Head	d:
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2077 - रक्षा सेवाएं-नौ सेना	भारित:	2077 - Defence Services - Navy	Charged:		19.82	(कa)	19.82
	स्वीकृत:		Voted:		949.69	(खb)	949.69
	लिखित हेतु ३		The supplementary gra	ant/appropriatio	n is required for	 r:	
(क) न्यायालय के आदेशों से	उत्पन्न भुगत	ान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा	(a) meeting an add	ditional requirer	nent towards p	ayment a	rising out
करना। चूंकि पूंजी अनुदा	न में बचतें उप	लब्ध हैं, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।	of Court orders	s. As savings	are available i	n Capital	l grant, a
			technical supple	ementary is sou	ght.		
(ख) 'वेतन', 'भण्डारगृह', 'बि	नर्माण', और	'संयुक्त स्टाफ' के तहत अतिरिक्त	(b) meeting an ac	dditional requir	ement under	'salaries'	, 'stores',
आवश्यकता को पूरा व	रना। चूंकि प	न्ंजी अनुदान में बचतें उपलब्ध हैं,	'works' and join	t staff. As savi	ngs are availab	ole in Cap	ital grant,

a technical supplementary is sought.

रक्षा सेवा - वायु सेना

DEFENCE SERVICES-AIR FORCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुप	ये Rupee	es in Crore)
					राजस्व	पूंजी		जोड़
					Revenue	Capital		Total
1. मूल ३	अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
		भारित:		Charged:	3.70			3.70
		स्वीकृत:		Voted:	18896.66			18896.66
इस सम	ाय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amou	ınt				
पूरक अ	नुमान:		now required:					
		भारित:		Charged:	50.40			50.40
		स्वीकृत:		Voted:	1032.51			1032.51
जोड़ (मूल	न और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		19983.27			19983.27
		भारित:		Charged:	54.10			54.10
		स्वीकृत:		Voted:	19929.17	***		19929.17
			II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब 1	नेम्नलिखित मुख्य शी	र्ष के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:		
			II. This Supplementary Grant/Approp	riation will be acco	unted for under	the following M	lajor Hea	ad:
					आयोजना	आयोजना-		जोड़
					Plan	भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व	भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य श	ीर्ष		MAJOR HEAD					
2078 -	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	भारित:	2078 - Defence Services - Air Force	Charged:		50.40	(कa)	50.40
		स्वीकृत:		Voted:		1032.51	(खb)	1032.51
यह पूरव	ऋ अनुदान/विनियोग निम्न	लिखित हेतु 3	ापेक्षित है: The	supplementary gra	ant/appropriatio	n is required fo	r:	
(क)	न्यायालय के आदेशों से	उत्पन्न भुगत	ान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा (a)	meeting an add	ditional requiren	nent towards p	ayment	arising out
	करना। चूंकि पूंजी अनुदान	न में बचतें उप	लब्ध हैं, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।	of Court orders	s. As savings	are available i	in Capit	al grant, a
				technical supple	ementary is sou	ght.		
(ख)	'वेतन', 'भण्डारगृह', और	'निर्माण', के	तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा (b)	meeting an add	ditional requiren	nent under 'sal	aries', 's	tores', and
()	-		्र लब्ध हैं, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।	'works'. toward	·			
				savings are ava				
				· ·	апаріє її Сарііа	i grant, a tecili	iicai sup	picinicinaly
				is sought.				

रक्षा आयुध फैक्ट्रियां

DEFENCE ORDNANCE FACTORIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये) (See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 19 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड रुपये Rupees in Crore)

•	हपर्य Rupees in Crore)
राजस्व पूंजी	जोड़
Revenue Capital	Total
I. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT:	
भारित: Charged: 5.20	5.20
स्वीकृत: Voted: 1709.27	1709.27
पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT:	
स्वीकृत: Voted: 0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of the amount	
का पूरक अनुमान: now required:	
भारित: Charged: 3.20	3.20
स्वीकृत: Voted: 1363.56	1363.56
जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 3081.24	3081.24
भारित: Charged: 8.40	8.40
स्वीकृत: Voted: 3072.84	3072.84
॥. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:	
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Ma	or Head:
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Ma आयोजना आयोजना-	or Head: जोड़
आयोजना आयोजना-	जोड़
आयोजना आयोजना- Plan भिन्न Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION	जोड़
आयोजना आयोजना- Plan भिन्न Non-Plan	जोड़
आयोजना आयोजना- Plan भिन्न Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION	जोड़
आयोजना आयोजना- Plan भिन्न Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD	जोड़ Total
आयोजना आयोजना- Plan भिन्न Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2079 - रक्षा सेवाएंआयुध भारित: 2079 - Defence Services - Ordnance Charged: 3.20	जोड़ Total
आयोजना अयोजना- Plan भिन्न Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2079 - रक्षा सेवाएंआयुध भारित: 2079 - Defence Services - Ordnance Charged: 3.20	जोड़ Total (कa) <i>3.20</i>
भायोजना भीवा भीवजना- भिन्न Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2079 - रक्षा सेवाएंआयुध भारितः 2079 - Defence Services - Ordnance Charged: 3.20 कारखाने Factories	জার Total (কa) <i>3.20</i> (खb) 1363.56
भायोजना भीनन Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2079 - रक्षा सेवाएंआयुध भारितः 2079 - Defence Services - Ordnance Charged: 3.20 कारखाने Factories स्वीकृतः Voted: 1363.56 जोड़ (फ्र्क) Total (Supplementary) 1366.76	জার Total (কa) <i>3.20</i> (खb) 1363.56 1366.76
भायोजना प्राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2079 - रक्षा सेवाएंआयुध भारितः 2079 - Defence Services - Ordnance Charged: 3.20 कारखाने Factories स्वीकृतः Voted: 1363.56 आसितः Charged: 3.20 स्वीकृतः Voted: 1363.56	জার Total (কa) <i>3.20</i> (खb) 1363.56 1366.76 <i>3.20</i> 1363.56
स्वीकृत:	জার Total (কa) <i>3.20</i> (खb) 1363.56 1366.76 <i>3.20</i> 1363.56
अयोजना	जोड़ Total (कa) 3.20 (खb) 1363.56 1366.76 3.20 1363.56 है जिन्हें व्यय में से घटाकर
स्वाकृत: REVENUE SECTION सुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2079 - रक्षा सेवाएंआयुध आरित: 2079 - Defence Services - Ordnance Charged: 3.20 कारखाने Factories स्वीकृत: Voted: 1363.56 ओइ (पूक) Total (Supplementary) 1363.56 भारित: Charged: 3.20 स्वीकृत: Voted: 1363.56	जोड़ Total (कa) 3.20 (खb) 1363.56 1366.76 3.20 1363.56 है जिन्हें व्यय में से घटाकर
भ्रायोजना भ्रायोजना भ्रायोजना भ्रायोजना भ्रायोजना भ्रायोजना भ्रायोजना भ्रायोजना भ्रायोजना भ्रायंजना भ्राय	जोड़ Total (कa) 3.20 (खb) 1363.56 1366.76 3.20 1363.56 है जिन्हें व्यय में से घटाकर
अयोजना Plan अयोजना Plan अस्विम्न Non-Plan राजस्व भाग मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2079 - रक्षा सेवाएंआयुध भारितः 2079 - Defence Services - Ordnance Charged: 3.20 कारखाने Factories स्वीकृतः Voted: 1363.56 जोड़ (फ्र्क) Total (Supplementary) 1366.76 भारितः Charged: 3.20 स्वीकृतः Voted: 1363.56 प्रिटपणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तियों को शामिल नहीं किया गया समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown adjusted in reduction of expenditure.	जोड़ Total (कa) 3.20 (खb) 1363.56 1366.76 3.20 1363.56 है जिन्हें व्यय में से घटाकर

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि पूंजी अनुदान में बचतें उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।
- (ख) विनिर्माण और नवीकरणीय व प्रतिस्थापन के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि पूंजी अनुदान में बचतें उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) meeting an additional requirement towards payment to honour the Court orders. As savings are available in Capital section (Voted) of the grant, a technical supplementary is sought.
- (b) meeting an additional requirement under 'manufacture', 'renewable & replacements' and 'supplies to Services' due to reduction in target of supplies. As savings are available in Capital grant, a technical supplementary is sought.

रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास

DEFENCE SERVICES - RESEARCH AND DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.61		0.61
	स्वीकृत:		Voted:	5596.96		5596.96
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	125.15		125.15
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		5722.72		5722.72
	भारित:		Charged:	0.61		0.61
	स्वीकृत:		Voted:	5722.11		5722.11
		॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य श	ोर्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for under the	e following Ma	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2079 - रक्षा सेवाएंआयुध कारखाने	स्वीकृत:	2079 -Defence Services - Ordnance	Voted:		125.15	125.15
		Factories				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'वेतन', 'भण्डारगृह', 'कार्य', 'अन्य व्यय', आदि के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करना। पूंजी अनुदान में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, तकनीकी पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional requirements under 'salaries', 'stores', 'works', 'other expenditure' etc. As savings are available in Capital grant, a technical supplementary is sought.

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये) (See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 20 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	C	harged:		<i>55.42</i>	<i>55.42</i>
	स्वीकृत:		Voted:		86685.29	86685.29
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:		0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Č	Total (Original plus Supplementary)		•••	86740.73	86740.73
	भारित:	C	harged:		<i>55.42</i>	55.42
	स्वीकृत:		Voted:		86685.31	86685.31
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	_ह अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for			ijor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4076 - Capital Outlay on Defence Services	Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

उप-प्रमुख शीर्ष '06-निरीक्षण संगठन' में 'नए कार्यों' के अन्तर्गत निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting an additional requirement of funds under 'New Works' in Sub-Major Head '06-Inspection Organisation'. As savings are available in same section of the grant, a token supplementary is sought.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचतों के मद्दे नजर, प्रत्येक मामले मे

सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

			to or contrar covernment	•	,		(ব	न्रोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
						राजस्व		पूंजी	जोड़
						Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान	<i>ī</i> :		I. ORIGINAL GRANT:						
		भारित:			Charged:	0.10			0.10
		स्वीकृत:			Voted:	1492.52		201.11	1693.63
इस समय आव	श्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of	the amour	nt				
अनुमान:			now required:						
		स्वीकृत:			Voted:	0.02		0.02	0.04
जोड़ (मूल और पृ	र्क)		Total (Original plus Supplement	tary)		1492.64		201.13	1693.77
		भारित:			Charged:	0.10			0.10
		स्वीकृत:			Voted:	1492.54		201.13	1693.67
			II. इस पूरक अनुदान का हिसाब ¹	निम्नलिखित	त मुख्य शीर्षों के अंतव	र्गत दिखाया उ	नायेगा:		
			II. This Supplementary Gran	nt will be a	ccounted for unde	r the followi	ng Major	Heads:	
						आयोजना		आयोजना-	जोड़
						Plan		भिन्न	Total
								Non-Plan	
राजस्व भाग			REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष			MAJOR HEAD						
	वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Rese	arch	Voted:	0.01	(कa)		0.01
3455 - मौसम		स्वीकृत:	3455 -Meteorology		Voted:	0.01	(खb)	•••	0.01
जोड़ (राजस्व भा	ग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)		Voted:	0.02		•••	0.02
पूंजी भाग			CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष			MAJOR HEAD						
5403 - समुद्र पूंजी परिव्यय	विज्ञान अनुसंधान पर	स्वीकृत:	5403 - Capital Outlay on Oc Research	ceanograph	hic Voted:	0.01	(गc)		0.01
 5425 - अन्य	वैज्ञानिक और	स्वीकृत:	5425 - Capital Outlay on Otl	her Scienti	ific Voted:	0.01	(घd)		0.01
-							(12)		
-			and Emmonitorial resource						
		स्वीकतः	Total (Capital Section)		Voted:	0.02			0.02
			Total (Supplementary)			0.04			0.04
पर्यावरण अनु परिव्यय जोड़ (पूंजी भाग) जोड़ (पूरक) यह पूरक अनुद	संधान पर प्रंजी इान निम्नलिखित हेतु अ	स्वीकृत: स्वीकृत: पेक्षित है:	and Environmental Research Total (Capital Section) Total (Supplementary)	The sup	Voted: Voted: plementary grants	0.02 0.04	ed for:		
		ण आउटरीच	स्कीम के तहत सामान्य सहायता	(a) G	Grants-in-Aid Gen	ieral (₹ 1	2 crore)	under the	scheme of
J	ान (₹ 12 करोड़)।			'F	Research Education	on and Trair	ning Outr	each'.	
(ख) 'वायु	मंडलीय प्रक्रिया और मॉड	इलिंग' सर्विस	स्कीम के तहत सामान्य सहायता	(b) a	additional expendi	ture (₹ 3	crore) a	as Grants-in-A	id General
अनुद	ान के तौर पर अतिरिक्त	व्यय (₹ 3 कर	ोड़)।	u	ınder the scheme '	Atmospheri	ic Proces	ss and Modelin	g Service'.
(ग) सेंटर	मैरीन लिविंग रिसोर्स ए	एड इकोलॉजी	ो, कोची हेतु प्रमुख कार्यों के लिए	(c) a	additional expendit	ure (₹ 3 cro	re) towai	ds Major Work	s of Centre
अतिर्ा	रेक्त व्यय (₹ 3 करोड़)।			fo	or Marine Living R	esources a	nd Ecolo	gy,Kochi.	
		र्यक्रम के तह	त मशीनरी व उपकरणों के लिए		additional expendi				chinery and
	रेक्त व्यय (₹ 6.25 करोड़				Equipments under				
3.1(11		· , ·		_					

Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought in each case.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये) (See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 22 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

			(करोड़ रुपये			Rupees	in Crore)	
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	2815.63		69.07		2884.70
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.01		0.03
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		2815.66		69.08		2884.74
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	इय शीर्षों के 3	नंतर्गत दिखार	॥ जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for un	der the follo	owing Ma	ajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत:	2406 -Forestry and Wild Life	Voted:	0.01	(कa)			0.01
3435 - पारिस्थितिकी और	स्वीकृत:	3435 -Ecology and Environment	Voted:	0.01	(खb)			0.01
पर्यावरण								
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.02				0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
6406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत:	6406 - Loans for Forestry and Wild Life	Voted:			0.01	(गc)	0.01
के लिए ऋण								
जोड़ (प्र्क)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारतीय वन्य जीव संस्थान को सामान्य अनुदान सहायता हेतु व्यय (₹ 1.30 करोड़) को पूरा करना।
 अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित हैं।
- (ख) निम्नांकित व्यय को पूरा करना (1) जैव विविधता संरक्षण तथा ग्रामीण जीविका सुधार (इएपी) (₹ 5.50 करोइ)(i) को अनुदान सहायता, (2) उत्कृष्टता केन्द्र (₹ 2.91 करोइ), तथा पर्यावरण प्राधिकरण स्थापना तथा पर्यावरणीय आयोग और ट्रिव्युनल (₹ 0.18 करोइ), (ii) कामन एफ्लुएन्ट ट्रीटमेंट प्लॉट्स की पूंजीगत परिसंपति सृजन के लिए अनुदान (₹ 1 करोइ), तथा (iii) वेतन अनुदान सहायता (1) गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन इंस्टीट्यूट आफ इनवायरनमेंट एण्ड डेवलपमेंट (₹ 0.60 करोइ), (2) उत्कृष्टता केन्द्र (₹ 0.20 करोइ) तथा (3) पर्यावरण प्राधिकरणों और पर्यावरण आयोग एवं ट्रिब्युनल की स्थापना (₹ 0.18 करोड)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित हैं। The supplementary grants are required for:

- (a) meeting expenditure (₹ 1.30 crore) towards Grants-in-Aid General to Wildlife Institute of India.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - meeting expenditure towards (i) Grants-in-Aid General to (1) Biodiversity Conservation and Rural Livelihood Improvement (EAP) (₹ 5.50 crore), (2) Centres of Excellence (₹ 2.91 crore), and (3) Establishment of Environment Authorities and Environmental Commission & Tribunal (₹ 0.18 crore), (ii) Grants for creation of Capital Assets to 'Promotion of Common Effluent Treatment Plants' (₹ 1 crore), and (iii) Grants-in-Aid Salaries to (1) Gobind Ballabh Pant Himalayan Institute of Environment and Development (₹ 0.60 crore), (2)Centres of Excellence (₹ 0.20 crore), and (3) Establishment of Environment Authorities and Environmental Commission & Tribunal (₹ 0.18 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (ग) वेतन एवं मजदूरी व्यय को पूरा करने के लिए मैसर्स अंडमान एवं निकोबार आइजलैंड फारेस्ट प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपो. लि. को ऋण के रूप में अतिरिक्त व्यय उपलब्ध कराना।
 अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित हैं।
- providing additional expenditure as loan (₹ 16 crore) to M/s Andaman & Nicobar Islands Forest Plantation Development Corporation Limited for meeting salary and wages expenses.

 Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये) (See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 23 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.03	•••	0.03
	स्वीकृत:		Voted:	9950.47	1768.50	11718.97
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	125.00	125.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount	now			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		9950.52	1893.50	11844.02
	भारित:		Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत:		Voted:	9950.49	1893.50	11843.99
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be ac	counted for under the	e following Ma	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत:	2061 -External Affairs	Voted:		0.01	0.01
यह पुरक अनुदान निम्नलिखित हेतु ३	भपेक्षित है:	The sup	plementary grant is i	required for:		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) दूतावासों एवं मिशनों के अन्तर्गत अवस्थापना संबंधी व्यय (₹ 50.36 करोड़) को पूरा करना।
- (ii) मेसन डि इन्डे के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराना (₹ 7.90 करोड़)।
- (iii) अनुसंधान फांउडेशन प्रेक्षक को अनुदान सहायता उपलब्ध कराना (₹ 0.25 करोड़)।
- (iv) विशेष डिप्लोमेटिक व्यय को पूरा करना (₹ 100.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (i) meeting the establishment related expenditure (Rs 50.36 crore)under Embassies & Mission.
- (ii) providing Grant-in-aid-General for Maison de l'inde (₹ 7.90 crore).
- (iii) providing Grant-in-aid-General to Observer Research Foundation (₹ 0.25 crore).
- (iv) meeting Special Diplomatic Expenditure (₹ 100.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4-5 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 24-25 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 4-5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 24-25 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	8865.12	66408.89		75274.01
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1065.56	3022.82		4088.38
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	360.42	0.02		360.44
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		10291.10	69431.73		79722.83
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर		ांतर्गत दिखाया	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be account	ınted for un	der the follow	ing Major Heads	3:	
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
राजस्व भाग		DEVENUE SECTION			Non-Plan		
मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION					
•		MAJOR HEAD				<i>(</i>	
2046 - मुद्रा सिक्का निर्माण और	स्वीकृत:	2046 -Currency, Coinage and Mint	Voted:	•••	0.50	(कa)	0.50
टकसाल						<i>(</i>)	
2047 - अन्य राजकोषीय सेवाएं	स्वीकृत:	2047 -Other Fiscal Services	Voted:	•••	0.04	(खb)	0.04
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:		0.05	(गc)	0.05
3075 - अन्य परिवहन सेवाएं	स्वीकृत:	3075 -Other Transport Services	Voted:		359.83	(घd)	359.83
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:		360.42		360.42
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4058 - लेखन सामग्री और छपाई पर	स्वीकृत:	4058 - Capital Outlay on Stationery and	Voted:		0.01	(ङ e)	0.01
पूंजी परिव्यय		Printing					
7475 - अन्य सामान्य आर्थिक	स्वीकृत:	7475 - Loans for Other General	Voted:		0.01	(चf)	0.01
सेवाओं के लिए ऋण		Economic Services					
जोड़ (प्ंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:		0.02		0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	•••	360.44		360.44

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) मुद्रा, सिक्के एवं टकसाल के वेतन (₹ 0.49 करोड़)और मजदूरी (₹ 0.01 करोड़)के कारण पीएओ अनिश्चय के तहत बकाया शेष का परिसमापन। अनुदान के पूंजी भाग में 0.50 करोड़ रुपए की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) धोखाधड़ी की वजह से हानियों के कारण (₹ 0.04 करोड़)के भुगतान के खर्च को पूरा करने हेतु। अनुदान के पूंजी भाग में समान राशि की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) liquidating outstanding balances under PAO Suspense on account of Salary (₹ 0.49 crore) and Wages (₹ 0.01 crore) of Currency, Coinage and Mint. After taking into account the surrender of savings of ₹ 0.50 crore from the Capital Section of the Grant, this will not entail cash out go.
- b) meeting expenditure for payment of ₹ 0.04 crore on account of losses due to fraud etc. After taking into account the surrender of savings of an equivalent amount from Capital Section of the Grant, this will not entail cash out go.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (ग) व्यावसायिक सेवाओं (0.02 करोड़ रुपए), अन्य प्रशासनिक व्यय (0.01 करोड़ रुपए) और विदेश यात्रा व्यय (0.02 करोड़ रुपए) संबंधी वितीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग के कार्यालय व्यय से जुड़े अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के पूंजी भाग से 0.05 करोड़ रुपए की बचतों को हिसाब में लेने के पश्वात् इस पर कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) लाभांश राहत हेतु रेलवे को सिंह्सिडी के भुगतान के लिए ₹ 764 करोड़ का अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। इस अनुदान के पूंजी भाग के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 404.17 करोड़ के बचत को ध्यान में रखते हुए और ₹ 359.83 करोड़ के बचत को अभ्यर्पित करते हुए कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) बजट प्रेस के लिए मशीनों के लिए 6 करोड़ रुपए के खर्च की बुकिंग हेतु वर्गीकरण में सुधार। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (च) ऋण के नए अनुबन्ध के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राशेष (आई.एम.एफ.) (f) से 100 करोड़ रुपए के ऋण की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- meeting additional establishment related expenditure of office of Financial Sector Legislative Reforms Commission(FSLRC) relating to Professional Services (₹ 0.02 crore), Other Administrative Expenses (₹ 0.01 crore) and Foreign Travel Expenses (₹ 0.02 crore). After taking into account the surrender of savings of ₹ 0.05 crore from the Capital Section of the Grant, this will not entail cash out go.
- d) meeting additional expenditure of ₹ 764 crore for payment of subsidy to Railways towards Dividend Relief. After taking into account the savings of ₹ 404.17 crore available within the same section of the Grant and surrender of savings of ₹ 359.83 crore from the Capital Section of the Grant , this will not entail cash out go.
- (e) correcting the classification for booking of expenditure of ₹ 6 crore towards purchase of Machines for Budget Press. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) meeting additional requirement of ₹ 100 crore towards loans to International Monetary Fund (IMF) under New Arrangements to Borrow (NAB). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 26 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rupees ir		
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	7468.99	29900.40	37369.39	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1400.00	1000.00	2400.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	2600.00		2600.00	
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		11468.99	30900.40	42369.39	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	र्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेग	т:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under t	the following N	Major Head:		
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:		2600.00	2600.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कैनरा बैंक के माध्यम से मेधावी व जरुरतमंद छात्रों को शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के लिए (₹ 2600 करोड़) की व्यय पूरा करना। हस्तांतरण से बराबर राशि के अभ्यर्पक के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय से अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा। The supplementary grant is required for:

meeting expenditure of ₹ 2600 crore towards 'Interest Subsidy' on education loans to bright and needy students through Canara Bank. After taking into account the surrender of savings of an equivalent amount from the Capital section of the grant, this will not entail cash outgo.

संख्या NO. 35 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ब्याज अदायगियां

INTEREST PAYMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड रुपये Rupees in Crore)

					(कराड़ रुपय Ku)	bees in Crore)
				राजस्व	प्ंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।.विनियोग:		I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
	भारित:		Charged:	385000.46		385000.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount				
अनुमान:		now required:				
	भारित:		Charged:	15500.20		15500.20
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		400500.66		400500.66
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्ष के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Appropriation will be	e accounted fo	r under the follow	ving Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2049 - ब्याज भुगतान	भारित:	2049 - Interest Payments	Charged:	***	15500.20	15500.20

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बाजार ऋण पर ब्याज के भुगतान(₹ 13,224.20 करोइ), 14 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां (₹ 1,650 करोइ), लघु बचत की तुलना में जारी प्रतिभूतियां (₹ 2,120.79 करोइ), राज्य भविष्य निधियां (₹ 1,901.91 करोइ), गैर सरकारी भविष्य निधियां की विशेष जमाओं (₹ 1,091 करोइ) हेतु अतिरिक्त व्यय, विनियोग और अतिरिक्त प्राप्तियों में उपलब्ध बचत को हिसाब में लेने के पश्चात् इस पूरक के खाते पर नकद व्यय ₹ 9,381.83 करोइ होगा।

The supplementary appropriation is required for:

additional expenditure towards payment of interest on market loans (₹ 13,224.20 crore), 14 days treasury bills (₹ 1,650 crore), securities issued against small savings (₹ 2,120.79 crore), state provident funds (₹ 1,901.91 crore), special deposits of Non-Government provident funds (₹ 1,091 crore), etc. After taking into accounts the savings available in the Appropriation and additional receipts, cash outgo on account of this supplementary will be ₹ 9,381.83 crore.

पेंशन

PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(See page 40 of the Defila	ilius ioi Gi	and of Central Government for the year	1 2013-2014	r <i>)</i>			
					•	ये Rupee	s in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	95.00			95.00
	स्वीकृत:		Voted:	20954.00			20954.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	1766.00			1766.00
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		22815.00			22815.00
	भारित:		Charged:	95.00			95.00
	स्वीकृत:		Voted:	22720.00			22720.00
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्ष के अंतर	र्गत दिखाया जाये	π:		
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for unde	er the following	Major Head:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2071 - पेंशन और अन्य	स्वीकृत:	2071 -Pensions and other Retirement	Voted:	***	1766.00	(क a)	1766.00
सेवानिवृत्ति		Benefits					

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नांकित शीर्षों के अन्तगर्त अतिरिक्त, आवश्यकता को पूरा करना (1) अधिवर्षता पेशंन (₹ 687.00 करोड़) (2) पारिवारिक पेंशन (₹ 779.00 करोड़), तथा (3) परिभाषित अंशदान पेशंन स्कीम एन पी एस (₹ 300.00 करोड़)।
उपर्युक्त, में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

To meet the Additional requirement under the following heads:
(1) Superannuation Pension (₹ 687.00 crore) (2) Family Pension
(₹ 779.00 Crore) and (3) Defined Contribution Pension Scheme
NPS (₹ 300.00 crore).

The above expenditure will entail a net cash outgo;

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(000 pago 11 01 the 20.	1101100 101	Grants of Contrat Covernment for the	you. 2010 2011)		(करोड़ रुपये Rupe	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	97.69		97.69
	स्वीकृत:		Voted:	2696.85	10.00	2706.85
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount n	ow			
पूरक अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	146.05		146.05
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		2940.59	10.00	2950.59
	भारित:		Charged:	97.69		97.69
	स्वीकृत:		Voted:	2842.90	10.00	2852.90
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	रुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिर	वाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for under the	following Major	Head:	
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2016 - लेखा परीक्षा	स्वीकृत:	2016 -Audit	Voted:		146.05	146.05
		टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अ घटाकर समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional require adjusted in reduction of expenditure.		•		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
2016 - लेखा परीक्षा		2016 - Audit			(-) 10.73	(-) 10.73

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्थापना और वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 146.05 करोड़)। राजस्व भारित के तहत ₹ 0.85 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण, पूंजी भाग से ₹ 1.00 करोड़ और ₹ 10.73 करोड़ की अतिरिक्त वसूलियों पर विचार करने के बाद, इसमें ₹ 133.47 करोड़ का नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting additional establishment and salary related expenditure (₹ 146.05 crore). After taking into account the surrender of savings of ₹ 0.85 crore under Revenue Charged, ₹ 1.00 crore from Capital Section and the additional recoveries amounting to ₹ 10.73 crore, it will entail cash out go of ₹ 133.47 crore.

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये) (See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 29 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुप	ज्पये Rupees in Crore)	
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.02			0.02
	स्वीकृत:		Voted:	10117.17	100.71		10217.88
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	भारित:		Charged:	26.50			26.50
	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		10143.72	100.71		10244.43
	भारित:		Charged:	26.52			26.52
	स्वीकृत:		Voted:	10117.20	100.71		10217.91
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षी के अं	तर्गत दिखाया ज	गयेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for un	der the followir	ng Major Heads		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2875 - अन्य उद्योग	स्वीकृत:	2875 -Other Industries	Voted:		0.01	(कa)	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:		0.01	(खb)	0.01
को सहायता अनुदान		Governments					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		0.02		0.02

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) क्रय कर और उस पर ₹ 11.30 करोड़ के ब्याज का व्यापार कर विभाग, उत्तर प्रदेश को भृगतान।
 - (ii) वर्ष 2012-13 के दौरान 10.6 मिट्रिक टन कोडेन फोस्फेट के आयात हेतु मैसर्स टिमड, इरान को ₹ 34.38 करोड़ का भुगतान।
 - (iii) कोडीन फोसफेट के आयात हेतु ₹ 8.54 करोड़ के विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को पुरा करना।
 - (iv) नीमच अफीम फैक्टरी के मामले में गैर-नकद मदों यथा ₹ 4 करोड़ के ब्याज और गाजीपुर में एल्कैलॉयइस के विनिर्माण के लिए अफीम के हस्तांतरण के कारण ₹ 4.66 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

चूंकि अन्दान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

(ख) वाणिज्यिक करों हेतु मिशन मोड परियोजना (एम.एम.पी.-सी.टी) के कार्यान्वयन हेतु संघ शासित सरकारों को ₹ 3.00 करोड़ की अतिरिक्त सामान्य सहायता उपलब्ध कराना। चूंिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants are required for:

- (i) payment of purchase tax and interest thereon of ₹ 11.30 crore to the Trade Tax Department,UP.
- (ii) payment of ₹ 34.38 crore to M/s Temad, Iran for import of 10.6 MT of codeine phosphate during the year 2012-13.
- (iii) meeting exchange rate variation of ₹ 8.54 crore for import of codeine phosphate.
- (iv) meeting additional expenditure towards non-cash items viz. Interest of ₹ 4 crore in case of Neemuch Opium Factory and ₹ 4.66 crore on account of transfer of opium for manufacturing of alkaloids in Ghazipur.

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) providing additional Grants-in-aid General of ₹ 3.00 crore to the UT Governments for implementation of the Mission Mode Project for Commercial Taxes (MMP-CT). As savings are available within the same section of Grant, a token supplementary is sought.

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये) (See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 30 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	प्ंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मू <i>ल</i> अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	3771.91	589.98	4361.89
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:		0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3771.91	590.00	4361.91
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	र्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under th	ne following Ma	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:		0.01	0.01
परिव्यय						

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

आयकर विभाग के लिए अहमदाबाद डायरेक्ट टैक्सेस रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट (डीटीआरटीआई) तथा मिनिस्टीरियल स्टाफ ट्रेनिंग यूनिट (एमएसटीयू) के लिए नए परिसर के निर्माण हेतु अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण से वीजापुर, अहमदाबाद में भूमि की खरीद (₹ 9.67 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के कारण सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Purchase of land (₹ 9.67 crore) at Vejalpur, Ahmedabad from the Ahmedabad Urban Development Authority for construction of new campus for Direct Taxes Regional Training Institute (DTRTI) and Ministerial Staff Training Unit (MSTU) Ahmedabad for the Income Tax Department. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 46 पृष्ठ देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये।	Rupees i	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	719.11				719.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		719.14				719.14
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for und	der the follo	wing Ma	ijor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2408 - खाद्य भंडारण और	स्वीकृत:	2408 -Food Storage and Warehousing	Voted:	0.01	(क a)	0.01	(खb)	0.02
भाण्डागारण								
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) टीयूएस मामलों की देनदारियों को पूरक करने के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करने के लिए(₹ 3.92 करोड़)।
 - (ii) एफटीएल प्रस्तावों द्वारा उत्पन्न देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करने हेतु (₹ 2.00 करोड)
 - (iii) अतिरिक्त सहायता अनुदान सामान्य (₹ 5.00 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹ 1.00 करोड़) एनआईएफटीईएम को प्रदान करने के लिए।
- (ख) आईआईसीपीटी को सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करना (₹ 3.00 करोड़)
- (ग) (i) शीत श्रृंखला, मूल्य वधर्न, और पिरक्षिण अवसंरचना संबंधी पूर्वोत्तर क्षेत्र की पिरयोजनाओं को सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करना (₹ 3.00 करोड़)
 - (ii) वघशालाएं स्थापित करने। उनका आधुनिकीकरण करने संबंधी पूर्वोत्तर क्षेत्र की परियोजनाओं को सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करना (₹ 1.00 करोड़)
 - (iii) पूर्वीतर क्षेत्र के मानव संसाधन विकास द्वारा उत्पन्न देनदारियों को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करना (₹ 0.20 करोड़)
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) providing additional Grants-in-aid General to meet out liabilities of TUS cases ($\stackrel{?}{\underset{\sim}{}}$ 3.92 crore).
 - (ii) providing additional Grants-in-aid General to meet liabilities raised by FTL proposals (₹ 2.00 crore)
 - (iii) providing additional Grants-in-aid General (₹ 5.00 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 1.00 crore) to NIFTEM.
- b) providing Grants-in-aid Salaries to IICPT (₹ 3.00 crore)
- (c) (i) providing Grants-in-aid General to NER Projects in respect of Cold Chain, Value Addition and Preservation Infrastructure (₹ 3.00 crore)
 - (ii) providing Grants-in-aid General to NER Projects in respect of Setting up/ Modernization of Abattoirs (₹ 1.00 crore)
 - (iii) providing Grants-in-aid General to meet out liabilities raised by HRD proposals of NER (₹ 0.20 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, token supplementaries are sought in each case.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 32-35 देखिये) (See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 32-35 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

				(करोड़ रुपये R	upees in Crore)
			राजस्व	प्ंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:		Voted:	33012.27	2862.67	35874.94
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
भारित:		Charged:	16.29		16.29
स्वीकृत:		Voted:	0.05	0.01	0.06
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the				
पूरक अनुमान:	amount now required:				
भारित:		Charged:	18.47		18.47
स्वीकृत:		Voted:	0.03	0.01	0.04
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		33047.11	2862.69	35909.80
भारित:		Charged:	34.76		34.76
स्वीकृत:		Voted:	33012.35	2862.69	35875.04

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		ii. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head						us.
			आयोजना आयोजन। Plan भिन्न			आयोजना-		जोड़
					भिन्न		Total	
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2210 - चिकित्सा और जन	भारित:	2210 - Medical and Public Health	Charged:			18.47	(क a)	18.47
स्वास्थ्य								
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	(खb)			0.01
2211 - परिवार कल्याण	स्वीकृत:	2211 -Family Welfare	Voted:	0.01	(गc)			0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(घd)			0.01
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)		0.03		18.47		18.50
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4210 - चिकित्सा और जन	स्वीकृत:	4210 - Capital Outlay on Medical and	Voted:	0.01	(ਭ e)			0.01
स्वास्थय पर पूंजी परिव्यय		Public Health						
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.04		18.47		18.51
	भारित:		Charged:			18.47		18.47
	स्वीकृत:		Voted:	0.04		•••		0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली के निर्देशों के अनुसरण में पंचाट अवार्ड हेतु राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत मेसर्स इंटर नेशनल फार्मास्यूटिकल लि. को अतिरिक्त भुगतान करना (₹ 18.47 करोड़)

अनुदान के स्वीकृत भाग में अभ्यर्पित उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) चिकित्सा उपकरणों की खरीद संबधी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति की पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4.58 करोड़) The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) For making additional payment to M/s International Pharmaceutical Ltd., Ahmedabad under National Leprosy Eradication Programme towards Arbitration Award in pursuance of directions of Hon'ble High Court of Delhi (₹ 18.47 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
 - Grants for creation of capital assets to Kasturba Health Society for meeting the additional requirement on procurement of medical equipment (₹ 4.58 crore)

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) एससीएसपी घटक (₹ 27.95 करोड़) तथा टीएसपी घटक (₹ 28.78 करोड़) के लिए मिशन फ्लेक्सिबल पूल के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समितियों को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान।
 अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) मिशन फ्लेक्सिबल पूल के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समितियों को सामान्य अनुदान सहायता (₹ 39.32 करोड़) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ङ) (i) आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन, मुंबई की उपकरण संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 1.00 करोड़) की पूर्ति हेतु।
 - (ii) केन्द्रीय मनोरोग संस्थान रांची की वाहन संबंधी अतिरिक्त, आवश्यकता को पूरा करने के लिए(₹ 0.10 करोइ) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants for creation of capital assets to State Health Societies under Mission Flexible Pool for SCSP component (₹ 27.95 crore) and TSP component (₹ 28.78 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- d) Grants-in-aid General to State Health Societies under Mission Flexible Pool (₹ 39.32 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) (i) For meeting the additional requirement of All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, on equipment (₹ 1.00 crore).
 - (ii) For meeting additional requirement of Central Institute of Psychiatry, Ranchi, on vehicle (₹ 0.10 crore).Taking into account the savings available in the same

section of the Grant, a token supplementary is sought.

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिये) (See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 36 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये	ाये Rupees in Crore	
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1249.60		9.40		1259.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:			18.00		18.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1249.62		27.40		1277.02
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्						
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for und		wing Maj			
				आयोजना 		आयोजना- भिन्न		जोड़
				Plan		Non-Plan		Total
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD						
2210 - चिकित्सा और जन	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01	(क a)	0.01	(खb)	0.02
स्वास्थ्य								

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) निम्नलिखित स्कीमों/संस्थानों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (1)अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली (₹ 5.76 करोड़); (2)अस्पताल और डिस्पेंसिरयां (फलैक्सी पूल सिहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) को दवाइयों की खरीद हेतु (₹ 4.53 करोड़); और (3)राष्ट्रीय यूनानी औषधी संस्थान, बंगलुरू को अनुदान (₹ 1.25 करोड़)।
 - (ii) निम्नलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1)बिल्डिगों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय यूनानी औषधी संस्थान, बंगलुरू को अनुदान (₹ 4.00 करोड़); और (2) उपकरण आदि की खरीद के लिए मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान को अनुदान (₹ 0.26 करोड़)।
 - (iii) निम्नलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए वेतन सहायता अनुदान (1)नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नैचुरोपैथी, पुणे को अनुदान (₹ 0.08 करोइ);और(2) मौरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान को अनुदान (₹ 0.04 करोइ)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) निम्नलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए वेतन सहायता अनुदान: (1)केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, को अनुदान (₹ 10.47 करोड़); (2)केंद्रीय यूनानी अनुसंधान परिषद को अनुदान (₹ 12.00 करोड़); और (3) मौरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान को अनुदान (₹ 0.43 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है। The supplementary grant is required for:

- a) (i) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement under the following Scheme/ Institutes: (1)
 All India Institute of Ayurveda, New Delhi (₹ 5.76 crore);
 (2) Hospitals & Dispensaries(under National Rural Health Mission including flexi-pool)for purchase of medicines (₹ 4.53 crore); and (3) Grants to National Institute of Unani Medicine, Bangaluru (₹ 1.25 crore).
 - (ii) Grants for creation of capital assets for meeting the additional requirement under the following schemes: (1) Grants to National Institute of Unani Medicine, Bangaluru for construction of buildings (₹ 4.00 crore); and (2) Grants to Morarji Desai National Institute of Yoga for purchase of equipment etc.(₹ 0.26 crore).
 - (iii) Grants-in-aid Salaries for meeting the additional requirement under the following schemes: (1) Grants to National Institute of Naturopathy, Pune (₹ 0.08 crore); and (2) Grants to Morarji Desai National Institute of Yoga (₹ 0.04 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid Salaries for meeting the additional requirement under the following schemes: (1) Grants to Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹ 10.47 crore); (2) Grants to Central Council for Research in Unani Medicine (₹ 12.00 crore); and (3) Grants to Morarji Desai National Institute of Yoga (₹ 0.43 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

एड्स नियंत्रण विभाग

DEPARTMENT OF AIDS CONTROL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1770.00		15.00	1785.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount n	iow				
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	12.01			12.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1782.01		15.00	1797.01
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	रुख शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया उ	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for unde	r the follow	ing Majo	r Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	12.00	(कa)		12.00
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	12.01			12.01
	•						
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अ	पेक्षित है:	The suppl	ementary grant	ts are requi	red for:		

ड्रग्स, किटस व वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा (a) (क) करना (₹ 12.00 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

अतिरिक्त, आवश्यकता (₹ 6.00 करोड़) को पूरा करने के लिए एड्स नियंत्रण (ख) सोसायटियों (पूर्वीतर क्षेत्र) को सामान्य अनुदान सहायता।

> अन्दान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

For meeting the additional requirement on procurement of Drugs, Kits and Consumables (₹ 12.00 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

Grants-in-aid General to State AIDS Control Societies (North Eastern Region) for meeting the additional requirement (₹ 6.00

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 38 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

				राजस्व		(करोड़ रुपये पूंजी	Rupees	जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	461.41		567.56		1028.97
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	442.54		328.49		771.03
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	27.02		91.61		118.63
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		930.97		987.66		1918.63
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर		तर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	unted for und	der the follo	wing Ma	jor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				Non-Plan		
मुख्य शीर्ष								
· ·	_	MAJOR HEAD	Matad	0.04	()			0.04
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)		(1-)	0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:			27.01	(खb)	27.01
जोड़ (राजस्व भाग) 	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.01		27.01		27.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4858 - अभियांत्रिक उद्योगों पर	स्वीकृत:	4858 - Capital Outlay on Engineering	Voted:	0.01	(गc)	0.01	(घd)	0.02
पूंजी परिव्यय		Industries						
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए	स्वीकृत:	6860 - Loans for Consumer Industries	Voted:			91.59	(ਝe)	91.59
ऋण								
जोड़ (प्ंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.01		91.60		91.61
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		118.61		118.63

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) कच्चे माल और तैयार माल की ढुलाई में कठिनाईयों को कम करने के सम्बन्ध में अमान परिवर्तन के कारण 90 प्रतिशत ढुलाई लागत की पूर्ति के लिए कचार पेपर मिल जो हिन्दुस्तान कारपोरेशन यूनिट की इकाई है, को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 47.23 करोड़)। क्योंकि अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए मांग की जाती है।
- (ख) (i) एन्ड्रयूल एण्ड कम्पनी लि. की अनुमोदित पुनरुज्जीवन योजना के अनुसार बुक समायोजन के रूप में वित्त वर्ष 2013-14 के लिए गारंटी फीस (₹ 0.64 करोड़) की माफी। (ii) स्कूटर इंडिया लि. के अनुमोदित पुरूत्थान पैकेज के अनुसार 31.3.2012 को प्रोद्भूत एवम देय ब्याज (₹ 22.17 करोड़) की माफी और 31.3.2012 को प्रोद्भूत परंतु देय नहीं ब्याज(₹ 4.20 करोड़) की माफी। इसमें कोई नकद व्यय अन्तर्गस्त नहीं है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Grants-in-aid General (₹ 47.23 crore) to Cachar Paper Mills, a unit of Hindustan Paper Corporation Ltd. to meet 90 per cent transport cost due to gauge conversion towards mitigating hardships in transporting raw material and finished goods. As savings are available within the same section of Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) Waiver of Guarantee fee (₹ 0.64 crore) for FY 2013-2014 as per approved revival plan of Andrew Yule and Company Limited, (ii) Waiver of interest (₹ 22.17 crore) accrued and due on 31.3.2012 and Waiver of interest (₹ 4.20 crore) accrued and not due on 31.3.2012 as per approved revival package of Scooters India Limited as book adjustment and no cash outgo is involved.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (ग) स्कूटर इंडिया लि. की अनुमोदित पुरूत्थान योजना के अनुसार इस कंपनी के सम्बन्ध में भारत सरकार के आयोजना-गत ऋण (₹ 1.93 करोड़) को इक्विटी में बदलना। इसके लिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।
- (घ) स्क्टर इंडिया लि. की अनुमोदित पुरूत्थान योजना के अनुसार इस कंपनी के सम्बन्ध में आयोजना-भिन्न ऋण (₹ 83.28 करोड़) को इक्विटी में बदलना। इसके लिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।
- (ङ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस विनिर्माण कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए विधित वीआरएस/वीएसएस की कार्यान्वयन के सम्बन्ध में इस कम्पनी को आयोजना-भिन्न ऋण के रूप में ₹ 182 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता। इस अनुदान के राजस्व भाग से ₹ 47.43 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की जाएगी और इस अनुदान की इस भाग के अन्तर्गत ₹ 90.41 करोड़ की बचत उपलब्ध है इसलिए इस पर निवल राशि ₹ 44.16 करोड़ होगा।
- (c) Conversion of Government of India Plan loan into equity in respect of Scooters India Ltd. (₹ 1.93 crore) as per approved revival plan of the company. A token supplementary is sought for the same.
- (d) Conversion of Non-Plan loan into equity in respect of Scooters India Ltd. (₹ 83.28 crore) as per approved revival plan of the company. A token supplementary is sought for the same.
- (e) Additional requirement of ₹ 182 crore as Non-plan loan to Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd. towards implementation of enhanced VRS/VSS to all employees of Company. An amount of ₹ 47.43 crore would be surrendered from the Revenue section of the grant and saving of ₹ 90.41 crore are available under same section of the grant, this would entail net cash outgo of ₹ 44.16 crore.

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये) (See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 40 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये	Rupees	ees in Crore)	
				राजस्व		पूंजी		जोड़	
				Revenue		Capital		Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	2108.51		65.35		2173.86	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01	
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount							
पूरक अनुमान:		now required:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2108.55		65.35		2173.90	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	व्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाय	ा जायेगा:				
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for und	der the follo	wing Maj	or Heads:			
				आयोजना		आयोजना-		जोड़	
				Plan		भिन्न		Total	
						Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2052 - सचिवालय-सामान्य	स्वीकृत:	2052 -Secretariat-General Services	Voted:			0.01	(कa)	0.01	
सेवाएं									
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:	0.01	(खb)	0.01	(गc)	0.02	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.02		0.03	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अपेक्षित है।

- क) गृह मंत्रालय में व्यावसायिक सेवाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 1.70 करोड़)।
 अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक
- (ख) अग्नि तथा आपातकालीन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर अतिरिक्त व्यय (₹ 2.50 करोड़) को पूरा करना।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांग
- (ग) (i) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों (₹ 0.01 करोड़)के अतिरिक्त व्यय को प्राकरना।
 - (ii) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को (₹ 0.22 करोड़)हिन्दी सिखाने की
 स्कीमों के लिए प्रकाशन तथा केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान
 (₹ 0.08 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
 - (iii) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने की स्कीम के अन्य प्रभारों पर हु ए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 0.08 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक प्रक मांग अपेक्षित है। The supplementary grants are required for:

- meeting additional expenditure under Professional Services in respect of Ministry of Home Affairs (₹ 1.70 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure on Strengthening of Fire and Emergency Services ₹ 2.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) meeting additional expenditure of Regional Implementation Office (₹ 0.01 crore).
 - (ii) meeting additional expenditure under Publication for the scheme of Teaching Hindi to Central Government Employees (₹ 0.22 crore) and Central Hindi Training Institute (₹ 0.08 crore).
 - (iii) meeting additional expenditure on Other Charges of the scheme of Teaching Hindi to Central Government Employees (₹ 0.08 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

पुलिस

POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 41-42 देखिये) (See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 41-42 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rupees in Cro		
				राजस्व	प्ंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
।. मू ल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	9.94	2.92	12.86	
	स्वीकृत:		Voted:	43386.99	9104.96	52491.95	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	भारित:		Charged:	8.17		8.17	
	स्वीकृत:		Voted:	2222.11	1.02	2223.13	
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:	0.01	4.59	4.60	
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	0.02	0.04	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		45627.24	9113.51	54740.75	
	भारित:		Charged:	18.12	7.51	25.63	
	स्वीकृत:		Voted:	45609.12	9106.00	54715.12	

- ॥. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		ii. This Supplementary Stantiz Appropriat	ion will be acce	diffica for al	idei tiie	ionowing majo	n i icaus	•
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2055 - पुलिस	भारित:	2055 - Police	Charged:			0.01	(कa)	0.01
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	(खb)	0.01	(गc)	0.02
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)		0.01		0.02		0.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4055 - पुलिस पर पूंजी	स्वीकृत:	4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	0.01	(घd)	0.01	(ਝe)	0.02
परिव्यय								
7601 - राज्य सरकारों को ऋण	भारित:	7601 - Loans and Advances to State	Charged:			4.59	(चf)	4.59
और अग्रिम		Governments						
जोड़ (प्ंजी भाग)		Total (Capital Section)		0.01		4.60		4.61
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.02		4.62		4.64
	भारित:		Charged:			4.60		4.60
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.02		0.04

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) इण्डो तिब्बतन बार्डर पुलिस (आईटीबीपी) (₹ 0.29 करोड़)तथा विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) (₹ 0.25 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) (i) प्रवसन, वीजा और विदेशी पंजीकरण और ट्रेकिंग (आईवीएफआरटी) के संबंध में अन्य प्रभारों के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 24.00 करोड़)। The supplementary grant/appropriation are required for:

meeting additional expenditure under Other Charges in respect of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) (₹ 0.29 crore) and Special Protection Group (SPG) (₹ 0.25 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) meeting additional expenditure under Other Charges in respect of Immigration, Visa and Foreigners Registration and Tracking (IVFRT) (₹ 24.00 crore).

अनुदानों की पुरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(i)

(d)

- (ii) पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी के संबंध में व्यावसायिक सेवाओं के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 0.20 करोड़)।
- (iii) दिल्ली पुलिस के संबंध में गौण कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 2.00 करोड़)।
- (iv) केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण विद्यालय के संबंध में किराया, दरों और करों के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.01 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) (i) असम राइफल्स (एआर) (₹ 8.00 करोड़), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)(₹ 41.00 करोड़), दिल्ली पुलिस (₹ 21.79 करोड़),सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ))(₹ 41.00 करोड़), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डर (एनएसजी))(₹ 4.00 करोड़)और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)(₹ 0.03 करोड़)।
 - (ii) सीआरपीएफ (₹ 100.00 करोड़), एनएसजी (₹ 1.00 करोड़),डीपी (₹ 7.08 करोड़),एआर(₹ 15.00 करोड़),बीएसएफ (₹ 13.00 करोड़),केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) (₹ 10.00 करोड़) और आईटीबीपी (₹ 30.00 करोड़)के संबंध में कपड़ों व टेंटों संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करना।
 - (iii) एसपीजी (₹ 4.50 करोड़) और भारत-पाक सीमा निर्माण (₹ 14.99 करोड़)में गौण कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना।
 - (iv) दिल्ली पुलिस (₹ 13.95 करोड़) और सीआरपीएफ (₹ 2.80 करोड़)के संबंध में व्यावसायिक सवाओं के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा
 - (v) दिल्ली पुलिस (₹ 35.48 करोड़)के संबंध में अन्य प्रभार के तहत अतिरिक्त व्यय पुरा करना।
 - (vi) विभागी लेखाकार संगठन (₹ 0.38 करोड़) और सीआईएसएफ (₹ 0.12 करोड़)के संबंध में प्रकाशन के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना।
 - (vii) राष्ट्रीय नीति अकादमी (₹ 0.25 करोड़)और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिमनोलोजी एण्ड फोरेंसिक सांइस टेक्नॉलोजी (एनआईसीएफएस)(₹ 0.25 करोड़)के संबंध में विज्ञापन एवं प्रचार के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
 - (viii) विभागीय लेखाकरण संगठन के संबंध में किराया, दरों तथा करों के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय (₹ 0.04 करोड़)को पूरा करना।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक प्रक अपेक्षित है।
- (घ) (i) डीपी के संबंध में मशीनरी एण्ड एक्विपमेंट के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय (₹ 2.49 करोड)को पुरा करना।
 - (ii) सीआरपीएफ (₹ 10.00 करोइ)और आईटीबीपी के (₹ 4.03 करोइ)के संबंध में आवासीय भवन के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
 अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- meeting additional expenditure under Professional Services in respect of North Eastern Police Academy (₹ 0.20 crore).
- (iii) meeting additional expenditure under Minor Works in respect of Delhi Police (DP) (₹ 2.00 crore).
- (iv) meeting additional expenditure under Rent,Rates and Taxes in respect of Central Detective Training School (₹ 0.01 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.
 - meeting additional expenditure under Petrol, Oil and Lubricants in respect of Assam Rifles (AR) (₹ 8.00 crore), Central Reserve Police Force (CRPF) (₹ 41.00 crore), Border Security Force (BSF)(₹ 41.00 crore), DP (₹ 21.79 crore), National Security Guard (NSG)(₹ 4.00 crore) and National Crime Records Bureau (NCRB) (₹ 0.03 crore).
- (ii) meeting additional expenditure on Clothing and Tentage in respect of CRPF (₹ 100.00 crore), NSG (₹ 1.00 crore), DP (₹ 7.08 crore), AR(₹ 15.00 crore), BSF (₹ 13.00 crore), Central Industrial Security Force (CISF)(₹ 10.00 crore)and ITBP (₹ 30.00 crore).
- (iii) meeting additional expenditure under Minor Works in respect of SPG (₹ 4.50 crore) and Indo-Pak Border Works (₹ 14.99 crore)
- (iv) meeting additional expenditure under Professional Services in respect of DP (₹ 13.95 crore) and CRPF (₹ 2.80 crore).
- (v) meeting additional expenditure under Other Charges in respect of DP (₹ 35.48 crore).
- (vi) meeting additional expenditure under Publication in respect of Departmental Accounting Organisation (₹ 0.38 crore) and CISF (₹ 0.12 crore).
- (vii) meeting additional expenditure under Advertising and Publicity in respect of National Policy Academy (₹ 0.25 crore) and National Institute of Criminology and Forensic Science Laboratory (NICFS) (₹ 0.25 crore).
- (viii) meeting additional expenditure under Rent, Rates and Taxes in respect of Departmental Accounting Organisation (₹ 0.04 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.
- (i) meeting additional expenditure under Machinery and Equipment in respect of DP(₹ 2.49 crore).
- (ii) meeting additional expenditure under Residential Building in respect of CRPF (₹ 10.00 crore) and ITBP (₹ 4.03 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case

अनुदानों की पूरक मांगे, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (ङ) (i) एनआईसीएफएस (₹ 0.07 करोड़)तथा एआर (₹ 7.00 करोड़)के संबंध में मोटर यान के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
 - (ii) बीएसएफ (₹ 140.00 करोड़),नेशनल इंटेलीजेंस एजेंसी (₹ 0.20 करोड़)तथा एनसीआरबी (₹ 0.18 करोड़) के संबंध में मशीनरी तथा एक्विपमेंट के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (च) इंडिया रिज़र्व बटालियन (₹ 5.34 करोड़)के संबंध में विभिन्न राज्यों से प्राप्त दावों की प्रतिपूर्ति संबंधी व्यय को पूरा करना।
 - अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचतों को देखते हुए और अनुदान के पूंजी भारित भाग में बचतों के उपयोग के पश्चात् उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- meeting additional expenditure under Motor Vehicles in respect of NICFS (₹ 0.07 crore) and AR (₹ 7.00 croe).
- (ii) meeting additional expenditure under Machinery and Equipment in respect of BSF (₹ 140.00 crore), National Intelligence Agency (₹ 0.20 crore) and NCRB (₹ 0.18 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case

meeting expenditure on re-imbursement of claims received from various States in respect of India Reserve Battalion (₹ 5.34 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Voted Section of the Grant, and after utilising the savings within the Capital Charged section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 43-44 देखिये) (See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 43-44 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.03				0.03
	स्वीकृत:		Voted:	1969.11		96.03		2065.14
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.01		0.03
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1969.18		96.04		2065.22
	भारित:		Charged:	0.03				0.03
	स्वीकृत:		Voted:	1969.15		96.04		2065.19
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	मुख्य शीर्ष के अंतर	ति दिखाया उ	नायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for unde	r the follow	ing Majo	r Head:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत:	2245 -Relief on account of Natural	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
		Calamities						

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय भूकंप मिटिगेशन परियोजना के लिए विज्ञापन और प्रचार (₹ 0.33 करोड़) और पेशेवर सेवाओं (₹ 1.65 करोड़)के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना।
 - (ii) आपदा प्रबंधन संप्रेषण नेटवर्क हेतु पेशेवर सेवाओं के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.20 करोइ)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पेशेवर सेवाओं के तहत अतिरिक्त व्यय
 पूरा करना (₹ 0.90 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित
 है।

The supplementary grant is required for:

- (i) meeting additional expenditure under Advertisement and Publicity (₹ 0.33 crore)and Professional Services (₹ 1.65 crore) for National Earthquake Mitigation Project.
 - (ii) meeting additional expenditure under Professional Services for Disaster Management Communication Network (₹ 0.20 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.
-) meeting additional expenditure under Professional Services of National Disaster Management Authority (₹ 0.90 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये) (See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 46 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Revenue Capital Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 1468.02 1468.02 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत: Voted: 0.03 0.03 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1468.06 1468 06 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2216 - आवास स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 2216 -Housing

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय भवन संगठन के संबंध में सामान्य अनुदान सहायता (₹ 8.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid General in respect of National Building Organisation (₹ 8.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये) (See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 47 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुप	es in Crore)	
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	77130.00				77130.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		77130.05		•••		77130.05
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	ज्य शीर्षों के 3	भंतर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for un	der the follow	wing Maj	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

(a)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) "माध्यमिक विद्यालय पर विकलांग व्यक्तियों हेतु समावेशी शिक्षा" स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान ((₹ 0.01 करोड़)।
 - (ii) "प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों/एसआरसी को सहायता" स्कीमों के तहत अतिरिक्त जरुरत पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 18.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) केंद्रीय विद्यालय संगठन को वेतन, महंगाई भत्ते के भुगतान आदि के कारण अतिरिक्त जरुरत को पूरा करने के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 21.44 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ग) निम्नलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदानः (1) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण (₹ 25.00 करोड़) और (2) सामान्य/टीएसपी घटकों के लिए विद्यालयों में सूचना व संप्रेषण तकनीक (₹ 25.12 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है। The supplementary grants are required for:

- (i) Grants for creation of capital assets for meeting the additional requirement under the scheme of "Inclusive education for disabled at Secondary School" (₹ 0.01 crore).
 - (ii) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement under the scheme "Support to NGOs/Institutions/ SRCs for Adult Education and Skill Development" (₹ 18.00 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Grants-in-aid-Salaries to Kendriya Vidayalaya Sangathan for meeting the additional requirement on account of salaries, DA payments etc. (₹ 21.44 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Grants-in-aid General for meeting the additional requirement under the following schemes: (1) Strengthening of Teacher Training Institutions (₹ 25.00 crore); and (2) Information and Communication Technology in Schools for General/TSP components (₹ 25.12 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 48-49 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 48-49 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

·					•	ये Rupee	es in Crore)
			राजस्व		पूंजी		जोड़
			Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
स्वीकृ	Γ :	Voted:	26750.00				26750.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:						
स्वीकृ	τ:	Voted:	200.04		•••		200.04
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:	now required:						
स्वीकृ	τ:	Voted:	0.04				0.04
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		26950.08		•••		26950.08
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के 3	नंतर्गत दिखाया	जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be acco	unted for un	der the follow	wing Majo	or Heads:		
			आयोजना		आयोजना-		जोड़
			Plan		भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2202 - सामान्य शिक्षा स्वीकृ	T: 2202 -General Education	Voted:	0.01	(क a)	0.01	(खb)	0.02
2203 - तकनीकी शिक्षा स्वीकृ	T: 2203 -Technical Education	Voted:			0.01	(गc)	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वीकृ	ī: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(घd)			0.01
जोड़ (प्र्क) स्वीकृ	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.02		0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) सामान्य/टीएसपी संघटकों (₹ 528.87 करोड़) हेतु गारंटी निधि के लिए ब्याज सहायता और अंशदान की स्कीम योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सहायता अनुदान, (ii) उत्कृष्ट संस्थानों को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1 करोड़)।
 - इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) निम्निलिखित स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को प्रा करने हेतु अनुदान सहायता वेतन : (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (₹ 100.00 करोड़); (2) मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पहल (₹ 14.55 करोड़); (3) भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु अनुदान (₹ 7.32 करोड़); (4) राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (₹ 0.83 करोड़); और (5) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिण संस्थान आयोग (₹ 0.18 करोड़)।
 - इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सहायता-अनुदान वेतन (1) इंडियन स्कूल ऑफ साइन्स धनबाद (₹ 6.06 करोड़); (2) योजना व वास्तुकला के नए विद्यालयों की स्थापना (₹ 1.53

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the scheme of "Interest Subsidy and Contribution for guarantee fund" for General/TSP components(₹ 528.87 crore), and (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 1 crore) to Institute of Eminence.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid Salaries for meeting additional requirement under the following schemes:(1)University Grants Commission (₹ 100.00 crore); (2) National Initiative for Excellence in Humanities and Social Sciences(₹ 14.55 crore); (3) Grants for Promotion of Indian Languages(₹ 7.32 crore); (4) National University of Education Planning and Administration (₹ 0.83 crore); and (5) National Commission for Minority Educational Institutions (₹ 0.18 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- c) Grants-in-aid Salaries for meeting additional requirement under the following schemes/Institutes: (1)Indian School of Mines, Dhanbad (₹ 6.06 crore); (2) Setting up of New Schools of

अन्दानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

करोड़); (3) भारतीय सूचना, तकनीकी संस्थान इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम की सहायता (₹ 2.14 करोड़); (4) भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (₹ 4.24 करोड़); (5) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 4.77 करोड़)।

इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (घ) (i) सामान्य/एससीएसपी/टीएसपी संघटकों हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.95 करोड़)।
 - (ii) निम्नलिखित स्कीमों/संस्थानों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1) सामान्य/एससीएसपी/टीएसपी संघटकों हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 150.00 करोड़) (2) सामान्य/एससीएसपी/टीएसपी संघटकों हेतु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 50.00 करोड़); (3) सामान्य/एससीएसपी/टीएसपी संघटकों हेतु भारतीय प्रबंधन संस्थान (₹ 8.00 करोड़)।
 - (iii) सामान्य/एससीएसपी/टीएसपी संघटकों हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.59 करोड़)। इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Planning & Architecture (₹ 1.53 crore); (3) Support to Indian Institute(s) of Information Technology, Allahabad, Gwalior, Jabalpur and Kanchipuram (₹ 2.14 crore); (4) Support to Indian Institute of Science and Indian Institute(s) of Science Education & Research (₹ 4.24 crore; and (5) Indian Institutes of Technology (₹ 4.77 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (d) (i) Grants-in-aid General to Indian Institutes of Management for meeting additional requirement for General/SCSP/TSP components (₹ 4.95 crore).
 - (ii) Grants for creation of capital assets for meeting the additional requirement under the following scheme/ Institutes: (1) Grants to Central Universities for General/SCSP/TSP components (₹ 150.00 crore); (ii) National Institutes of Technology for General/SCSP/TSP components (₹ 50.00 crore); and (3) Indian Institutes of Management for General/SCSP/TSP components (₹ 8.00 crore).
 - (iii) Grants-in-aid-Salaries to Indian Institutes of Management for meeting the additional requirement for General/SCSP/TSP components (₹ 2.59 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये) (See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 50 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					es in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	3006.85	28.80	3035.65
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.03	1.70	1.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3006.89	30.50	3037.39
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounte	d for under th	e following Ma	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2220 - सूचना और प्रचार	स्वीकृत:	2220 -Information and Publicity	Voted:	•••	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया (एफटीआईआई) (₹ 1.34 करोड़) तथा इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनीकेशन (आईआईएमसी) (₹ 0.40 करोड़) की वेतन अनुदान सहायता उपलब्ध कराने संबधी अतिरीक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional requirement towards providing 'Grants-in-aid-Salaries' to Film and Television Institute of India (FTII) ($\stackrel{?}{\stackrel{}{\stackrel{}}{\stackrel{}}}$ 1.34 crore)and Indian Institute of Mass Communication (IIMC)($\stackrel{?}{\stackrel{}{\stackrel{}}}$ 0.40 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought .

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	5254.94		19.41		5274.35
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		5254.97		19.41		5274.38
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के अ	ांतर्गत दिखाय	ग जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be account	nted for un	der the follo	wing Ma	jor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत:	2230 -Labour and Employment	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(गc)			0.01
सहायता								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) कौशल विकास स्कीम के अन्तर्गत निम्नांकित हेतु अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता को पूरा करना (i) सामान्य अनुदान सहायता (₹ 5.00 करोड़) तथा (ii) पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 60.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) माइका माइन्स लेबर वेलफेयर फण्ड (₹ 20.63 करोड़) में वृद्धि को आमेलित करने की स्कीम के अन्तर्गत व्यय को पूरा करना; लौह अयस्क माइन्स तथा क्रोम अयस्क माइन्स लेबर वेलफेयर फण्ड (₹ 20.04 करोड़); लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट लेबर वेलफेयर फंड (₹ 50.85 करोड़) तथा सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड (₹ 5.03 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) कौशल विकास (ईएपी) स्कीम के अन्तर्गत अनुस्चित जाति (एससीएसपी) तथा आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (टीएसपी) के विशेष घटक योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य अनुदान सहायता (₹ 107.57 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure under the Scheme of 'Skill Development towards (i) Grant-in-aid General (₹ 5.00 crore) and
 (ii) Grants for creation of capital assets (₹ 60.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting the expenditure under the scheme for accommodating the increase in the Mica Mines Labour Welfare Fund (₹ 20.63 crore); Iron Ore Mines and Chrome Ore mines Labour Welfare Fund (₹ 20.04 crore); Limestone and dolomite Labour Welfare Fund (₹ 50.85 crore); and Cine Workers Welfare Fund (₹ 5.03 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 -) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement under the Special component Plan for Scheduled Castes (SCSP) and Tribal Area Sub Plan (TSP) under the Scheme of 'Skill Development (EAP)' (₹ 107.57 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 51 देखिये) (See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 51 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rupees in C	
				राजस्व	प्ंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1805.45	10.02	1815.47
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.04		0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	165.68		165.68
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1971.17	10.02	1981.19
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत (दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for	under th	e following M	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2015 - चुनाव	स्वीकृत:	2015 -Elections	Voted:		165.68	165.68

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आगामी आम चुनाव 2014 के लिए इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफेयबल पेपर ऑडिट ट्रायल की खरीद के लिए (₹ 324.92 करोड़)। अनुदान के राजस्व में बचतों, अनुदान के पूंजी भाग से बचतों के अभ्यर्पण (₹ 8.00 करोड़) को देखते हुए इसमें ₹ 157.68 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

procurement of Electronic Voting Machines (EVMs) and Voter Verifiable Paper Audit Trial (VVPAT) for the ensuing General Elections, 2014 (₹ 324.92 crore). Taking into account savings within the Revenue Section of Grant , Surrender of Savings from the Capital Section of the Grant (₹ 8.00 crore), this will entail a net cash outgo of ₹ 157.68 crore.

संख्या NO. 65 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय

SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Revenue Capital Total ।.विनियोगः I. ORIGINAL APPROPRIATION: भारित: 129 41 129 41 Charged: इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: भारित: Charged: 6.43 6.43 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 135.84 135.84 II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2014 - न्याय प्रशासन भारित: 2014 - Administration of Justice Charged: 6.43 6.43

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अतिरिक्त व्यय हेतु (क) माननीय न्यायाधीशों और कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार (₹ 2.50 करोड़), (ख) कार्यालय व्यय (₹ 8.00 करोड़) तथा (ग) भारत के उच्चतम न्यायालय में पेशेवर सेवा (₹ 0.96 करोड़)।

इस विनियोग में राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 5.03 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए₹ 6.43 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा। The supplementary appropriation is required for:

additional expenditure towards (a) Medical Treatment to the Hon'ble Judges and the officials (₹ 2.50 crore), (b) Office Expenses (₹ 8 crore) and (c) Professional Services in the Supreme Court of India (₹ 0.96 crore).

Taking into account the savings of $\ref{thmspace}$ 5.03 crore available in the Revenue Section of the Appropriation, there will be a net cash outgo of $\ref{thmspace}$ 6.43 crore

स्श्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये) (See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 52 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	3210.91		78.80		3289.71
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		3210.95		78.80		3289.75
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accour	nted for und	der the follow	wing Majo	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)	•••		0.01
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01	(खb)	0.01	(गc)	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) एनईआर के अन्तर्गत स्कीमों के लिए प्रावधान बढ़ाना(1) सामान्य सहायता अनुदान (i) खादी अनुदान (₹ 3.17 करोड़), तथा (ii) अवस्थापना विकास तथा क्षमता निर्माण (एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्रैम्स एण्ड एएसएमई ग्रोथ पोल्स) (₹ 3.40 करोड़),तथा (2) ग्रामोद्योग अनुदान हेतु पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4.56 करोड़)।
- (ख) (1) निम्नांकित को सामान्य अनुदान सहायता उपलब्ध कराना (i)प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता (₹ 43.70 करोड़) (ii)खादी अनुदान (₹ 28.53 करोड़ जिसमें ₹ 3.57 करोड़ एससीएसपी के लिए तथा ₹ 2.58 करोड़ टीएसपी के लिए शामिल हैं), (iii)अवस्थापना विकास एवं क्षमता निर्माण (₹ 3.30 करोड़) तथा(iv)अवस्थापना विकास तथा क्षमता निर्माण-दूल रूम एवं तकनीकी संस्थानों (₹ 3.20 करोड़)। (2)टेक्नालॉजी सपोर्ट इंस्टीट्यूट तथा प्रोग्रैम की गुणवता के लिए सब्सिडी (₹ 15.28 करोड़), (3)अवस्थापना विकास तथा क्षमता निर्माण (एमएसएम ई समूह विकास कार्यक्रम) तथा एमएसएसई ग्रोथ पोल्स (₹ 1.92 करोड़),(4)इण्डिया इनक्लूसिव इनोवेशन फण्ड को एससीएसपी योजना के तहत (₹ 5 करोड़) का अंशदान (5) महात्मा गांधी ग्रामीण संस्थान को औद्योगिकीकरण हेतु वेतन अनुदान सहायता हेतु (₹ 2.74 करोड़)।
- (ग) महात्मा गांधी ग्रामीण संस्थान को औद्योगिकीकरण हेतु वेतन अनुदान सहायता हेतु (₹ 0.50 करोड़)उपलब्ध कराना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) augmentation of provision under NER for the schemes (1) Grants-in- Aid General towards (i) Khadi Grant (₹ 3.17 crore), and (ii) Infrastructure Development and Capacity Building (MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles) (₹ 3.40 crore), and (2) Grants for Creation of Capital Assets towards Village Industries Grant (₹ 4.56 crore).
- b) Providing (1) Grants-in-Aid General towards (i) Assistance to Training Institutions (₹ 43.70 crore) (ii) Khadi Grant (₹ 28.53 crore including ₹ 3.57 crore for SCSP and ₹ 2.58 crore for TSP), (iii) Infrastructure Development and Capacity Building (₹ 3.30 crore) and(iv) Infrastructure Development and Capacity Building-Tool Rooms & Technical Institutions (₹ 3.20 crore). (2) Subsidies towards Quality of Technology Support Institution & Programme (₹ 15.28 crore), (3) Grants for Creation of Capital Assets towards Infrastructure Development and Capacity Building (MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles (₹ 1.92 crore),(4) Contribution to India Inclusive Innovation Fund (₹ 5 crore) under SCSP Plan and (5)Grants-in-Aid Salary (₹ 2.74 crore) to Mahatma Gandhi Rural Institute for Industrialization .
 - Providing Grants-in-Aid Salary (₹ 0.50 crore) to Mahatma Gandhi Rural Institute for Industrialization.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
					राजस्व	प्ंजी	जोड़
					Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:			Voted:	3410.98	120.00	3530.98
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estima	ite of the amount no	w			
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:			Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Suppl	ementary)		3410.99	120.00	3530.99
		II. इस पूरक अनुदान का हि	हेसाब निम्नलिखित मुख	ज्य शीर्ष के अंतर्ग	त दिखाया जाये	गा:	
		II. This Supplementary	Grant will be accou	nted for unde	r the following	Major Head:	
					आयोजना	आयोजना-	जोड़
					Plan	भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Sche	duled Castes,	Voted:	0.01		0.01
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और		Scheduled Tribes, Oth	er Backward Classe	s			
अल्पसंख्यकों का कल्याण		and Minorities					
	ात है:		The supplementar	ry grant is req	uired for:		
राज्य वक्फ बोर्ड स्कीम के सुददीकरण के	तहत सामान्य	। सहायता अनुदान के लिए	Meeting additiona	al expenditui	re(₹ 1.10 cr	ore) towards (Grant-in-Aid
अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 1.10 करो	ड़)।		General under the	strengthenin	g of the State	Wakf Board Sc	heme.
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को	देखते हु ए सांके	न्तिक पुरक अपेक्षित है।	Taking into accou	unt the savino	as available i	n the same se	ction of the

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये) (See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 54 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

- opp						(करोड़ रुपये Rupe	ees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
, -	स्वीकृत:		Voted:	1434.05		99.50	1533.55
पूरक अनुदान:	ŭ	SUPPLEMENTARY GRANT:					
" 3	स्वीकृत:		Voted:	183.41			183.41
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
` पूरक अनुमान:		now required:					
7 3 · · ·	स्वीकृत:		Voted:	1030.75		100.00	1130.75
जोड़ (मूल और प्रक)	11 & . 11	Total (Original plus Supplementary)	votou.	2648.21		199.50	2847.71
(% %)		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म	म्ख्य शीर्षों के अं		जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for und	ler the follow	ing Majo		
				आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न	जोड़ Total
				i idii		Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	61.15	(कa)	•••	61.15
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय	स्वीकृत:	2810 -New and Renewable Energy	Voted:	969.60	(खb)		969.60
<u>কর্</u> जা							
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	1030.75			1030.75
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4810 - नवीन तथा नवीकरणीय	स्वीकृत:	4810 - Capital Outlay on New and	Voted:	100.00	(गc)		100.00
ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय		Renewable Energy					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	1130.75			1130.75
	·						
		टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए 3	भनुमानों में नीचे द	र्शाई गयी वसूलिय	ों को शामिल	नहीं किया गया है जि	न्हें व्यय में से
		घटाकर समायोजित किया जाता है !					
		Note: The above estimates of additional requir	rements do not t	ake into accou	int the reco	overies shown below	v, which are
		adjusted in reduction of expenditure.					
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552 - North Eastern Areas		(-) 61.15			(-) 61.15
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय		2810 - New and Renewable Energy		(-) 969.60		•••	(-) 969.60
ক র্जা							
जोड़		Total		(-) 1030.75			(-) 1030.75
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
4810 - नवीन तथा नवीकरणीय		4810 - Capital Outlay on New and		(-) 100.00		•••	(-) 100.00
ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय		Renewable Energy					

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा-ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय पावर-ऑफ-ग्रिड/ वितरित व विकेन्द्रीयकृत नवीकरणीय विद्युत-सौर ऊर्जा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।

> क्योंकि यह व्यय राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरा किया जाएगा, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

(a) providing Grants-in-Aid General under the scheme New and Renewable Energy-Grid interactive and Distributed Renewable Power-off-Grid/Distributed and Decentralised Renewable Power-Solar Power.

As the expenditure will be met from the National Clean Energy Fund, a technical supplementary is sought.

अन्दानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (ख) (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 421.86 करोड़), सब्सिडी (₹ 513.34 करोड़), अन्य व्यय (₹ 1.70 करोड़) और व्यावसायिक सेवाओं (RS. 1.00 करोड़) प्रदान करनें के लिए ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय विद्युत के तहत निधियां जारी करना।
 - (ii) सामानय सहायता अनुदान (₹ 25.30 करोड़), स्थापना व संबंधित व्यय (₹ 2.45 करोड़),गौण कार्य व अन्य प्रभार (₹ 0.15 करोड़),गशीनरी व उपकरण (₹ 2.40 करोड़)और छात्रवृत्रि/वजीफा (₹ 0.40 करोड़)जारी करने के लिए नवींकरणीय ऊर्जा में शोध, डिजाइन व विकास के तहत निधि जारी करना।
 - (iii) 'अंशदान' के तौर पर स्वच्छ ऊर्जा अनुदानों के लिए बीज पूंजी हेतु अनुदान (₹ 1 करोड़) उपलब्ध कराना। क्योंकि यह व्यय राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरा किया जाएगा, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ग) (i) रियायती ब्याज दर पर पुन: वित्तपोषण के द्वारा नवींकरणीय उर्जा परियोजनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों में नवीकरणीय उर्जा-निवेश भारतीय नवीरणीय ऊर्जा एजेंसी-निवेश को उधार पर निधियां प्रदान करना (₹ 100.00 करोड़)।
 - (ii) भारतीय सौर ऊर्जा निगम-निवेश के पूंजी परिव्यय में बढ़ोत्तरी (₹ 15.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, शेष राशि को नेशनल क्लीन एनर्जी फण्ड से पूरा किया जाएगा, ₹ 100 करोड़ का तकनीकी पूरक अपेक्षित है।

- i) releasing funds under "Grid Interactive and Distributed Renewable Power" to provide Grant-in-aid General (₹ 421.86 crore), Subsidy (₹ 513.34 crore), Other Administrative Expenses (₹ 1.70 crore) and Professional Services (RS. 1.00 crore)
- (ii) releasing fund under "Research, Design and Development in Renewable Energy" for releasing Grantin-aid General (₹ 25.30 crore), Establishment related expenditure (₹ 2.45 crore), Minor Works and other charges (₹ 0.15 crore), Machinery & Equipment (₹ 2.40 crore) and Scholarship/stipend (₹ 0.40 crore)
- (iii) providing Grants (₹ 1 crore) for seed capital for clean energy project as 'Çontribution'.
 - As the expenditure will be met from the National Clean Energy Fund, a technical supplementary is sought.
- (i) releasing fund on-lending to renewable energy projects by way of refinance at concessional rate of interest and Renewable Energy-Investment in Public Sector and other Undertakings-Indian Renewable Energy Development Agency-Investments (₹ 100.00 crore).
- (ii) enhancing Capital Outlay of Solar Energy Corporation of India-Investment (₹ 15.00 crore)
 - As savings of ₹ 15 crore are available within the same Section of the Grant and balance amount would be met from National Clean Energy Fund, a technical supplementary of ₹ 100 crore is sought.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये) (See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 56 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

				(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	19.97	5.00	24.97
	स्वीकृत:	Voted:	869.90	125.07	994.97
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged:	2.27		2.27
	स्वीकृत:	Voted:	8.15		8.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now			
अनुमान:		required:			
	स्वीकृत:	Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	900.30	130.07	1030.37
	भारित:	Charged:	22.24	5.00	27.24
	स्वीकृत:	Voted:	878.06	125.07	1003.13
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत र्1	देखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under th	e following Ma	ajor Head:	
			आयोजना	आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: लोकपाल संबधी व्यय को पूरा करना (₹ 0.50 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for: meeting expenditure on Lok Pal (₹ 0.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the

Grant, a token supplementary is sought.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये) (See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 57 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Revenue Capital Total I. मूल अन्दान: I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 65187.41 1.00 65188.41 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत: Voted: 10336.00 10336.00 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 10042.72 10042.72 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 85566 13 85567 13 1.00 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: जोड़ आयोजना आयोजना-भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION म् ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2802 - पेट्रोलियम 10042.72 स्वीकृत: 2802 -Petroleum Voted: 10042.72

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

तेल विपणन कंपनियों को भुगतान जारी करना (i) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण अनुमानित कम वसूली की क्षितिपूर्ति के रूप में (₹ 10000 करोड़) तथा (ii) एलपीजी स्कीम के सीधे अंतरण के कार्यान्वयन हेतु परियोजना प्रबंधन व्यय के कारण भुगतान (₹ 109 करोड़)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में (₹ 66.28 करोड़) रूपए की बचत उपलब्ध है, अनुदान के पूंजी भाग के तहत (₹ 1 करोड़) की बचत के उपयोग के कारण (₹ 10041.72 करोड़) का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

releasing payments to Oil Marketing Companies (i) as compensation towards estimated under-recoveries on account of sale of petroleum products (₹ 10000 crore) and (ii) payment on account of Project Management Expenditure (₹ 109 crore) for implementation of Direct Transfer of LPG Scheme. As savings of ₹ 66.28 crore are available within the same Section of the Grant, utilising saving of ₹ 1 crore under Capital Section of the Grant, this will entail net cash outgo of ₹ 10041.72 crore.

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					es in Crore)				
				राजस्व		पूंजी	जोड़		
				Revenue		Capital	Total		
I. मू <i>ल अनुदान</i> :		I. ORIGINAL GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	7181.51		900.00	8081.51		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now							
अनुमान:		required:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		•••	0.02		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		7181.53		900.00	8081.53		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	।. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
		II. This Supplementary Grant will be accounte	d for unde	r the followi	ng Majo	r Heads:			
				आयोजना		आयोजना-	जोड़		
				Plan		भिन्न	Total		
						Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक	स्वीकृत:	3475 -Other General Economic Services	Voted:	0.01	(कa)	•••	0.01		
सेवाएं									
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(खb)		0.01		
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02		

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

अपेक्षित है।

- The supplementary grants are required for:
- (क) (i) अनुसंधान अध्ययनों,आंकड़ा आधारित प्रबंधन विकास तथा भवन संरक्षण आदि के लिए राष्ट्रीय श्रम आर्थिकी तथा कौशल विकास के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.75 करोड़)।
 - (ii) अनुसंधान अध्ययनों,आंकड़ा आधारित प्रबंधन विकास तथा भवन संरक्षण आदि के लिए राष्ट्रीय श्रम आर्थिकी तथा कौशल विकास के लिए सामान्य अनुदान सहायता पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान(₹ 0.25 करोड़)।
 - (iii) यूएनडीपी समर्थित पिरयोजना विकेन्द्रीकृत आयोजना हेतु क्षमता सुदृढ़ीकरण स्कीम के अन्तर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 1.42 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) जिलों के क्षमता विकास के लिए यूएनडीपी सहायता हेतु व्यय को पूरा करना (₹ 3.12 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक

- (i) Grants-in-aid General for National Labour Economics and skill Development Institute to undertake research studies andto develop data based management and maintenance of building etc. (₹ 0.75 crore)
 - (ii) Grants for Creation of Capital Assets for National Labour Economics and skill Development Institute to undertake research studies andto develop data based management and maintenance of building etc. (₹ 0.25 crore)
 - (iii) Grants-in-aid General under the scheme for UNDP assisted Project -Strengthening Capacities for Decentralized Planning"(₹ 1.42 crore) Taking into account the savings available in the same
 - laking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting the expenditure for UNDP Assistance for Capacity
 Development for Districts (₹ 3.12 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये) (See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 58 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					ees in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	8045.85	2778.05	10823.90
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	125.00	125.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount no	ow.			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:		15.00	15.00
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		8045.87	2918.05	10963.92
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर		दिखाया जायेगा	Γ:	
		II. This Supplementary Grant will be accou	unted for under t	the following N	⁄/ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
6801 - विद्युत परियोजनाओं के लिए	स्वीकृत:	6801 - Loans for Power Projects	Voted:	15.00		15.00
ऋण						

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

गैर अनुस्चित जाति उपयोजना तथा गैर पूर्वीतर क्षेत्र घटक के अन्तर्गत पुनर्गठित त्विरत विद्युत विकास सुधार (आर-एपीडीआरपी) के लिए ₹ 15.00 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराना। अनुदान के राजस्व अनूभाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए तकनीकी पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

providing loan of ₹ 15.00 crore for Restructured Accelerated Power Development Reforms (R-APDRP)under Non Scheduled Castes Sub Plan and Non North Eastern Region Component. Taking into account surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, there will be no cash outgo.

राज्य सभा

RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 देखिये)

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:	Chai	rged:	0.97		0.97	
	स्वीकृत:	V	oted:	300.37		300.37	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:	V	oted:	0.01		0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		301.35		301.35	
	भारित:	Chai	rged:	0.97		0.97	
	स्वीकृत:	V	oted:	300.38		300.38	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	अंतर्गत '	दिखाया जायेगाः			
		II. This Supplementary Grant will be accounted for un	Il be accounted for under the following Major Head:				
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
_					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के	स्वीकृत:	2011 -Parliament/State/Union Territory Volume	oted:		0.01	0.01	
विधान मंडल		Legislatures					

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राज्य सभा सिचवालय द्वारा किराए पर लिए गए कार्यालय स्थान हेतु किराये के भुगतान सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए सिचवालय उप-शीर्ष के अन्तर्गत नए किराया, दर व कर, शीर्ष के लिए (₹ 5.00 करोड़)।

उनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting to make new head 'Rent, Rates and Taxes' under the Secretariat sub-head operative for meeting expenditure on payment of rent for office space hired by Rajya Sabha Secretariat (₹ 5.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

संख्या NO. 80 (विनियोग)(APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

				(करोड़ रुपये Rupees in C			
				राजस्व	प्ंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
।.विनियोग:		I. ORIGINAL APPROPRIATION:					
	भारित:		Charged:	157.92		157.92	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	भारित:		Charged:	8.72	•••	8.72	
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		166.64		166.64	
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	षि के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Appropriation will be acc	ounted for un	der the follow	ing Major Head:		
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2051 - लोक सेवा आयोग	भारित:	2051 - Public Service Commission	Charged:		8.72	8.72	

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं और इसके द्वारा किए गए चयन का अतिरिक्त व्यय (₹ 8.72 करोड़) उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for:

additional expenditure of examinations conducted by UPSC and Selections made by it ($\stackrel{?}{\stackrel{}{\sim}}$ 8.72 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये) (See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 11 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: भारित: Charged: 10.00 10.00 स्वीकृत: Voted: 16592.08 32264.15 48856.23 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the पूरक अनुमान: amount now required: भारित: 20.00 20.00 Charged: स्वीकृत: Voted: 611.51 611.51 17203.60 49497.75 जोड़ (मूल और प्रक) Total (Original plus Supplementary) 32294.15 भारित: 30.00 30.00 Charged: स्वीकृत: Voted: 17203.60 32264.15 49467.75 II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 3054 - सड़क और पुल स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges Voted: 0.01 (कa) 0.01 3601 - राज्य सरकारों को स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State 300.00 (खb) 300.00 Voted: सहायता Governments 3602 - संघ राज्य क्षेत्र की स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Voted: 311.50 (गc) 311.50 सरकारों को सहायता अनुदान **Territory Governments** जोड़ (राजस्व भाग) **Total (Revenue Section)** स्वीकृत: Voted: 611.50 0.01 611.51 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 20.00 5054 - सड़क और प्लों पर भारित: 5054 - Capital Outlay on Roads and (घd) Charged: 20.00 पूंजी परिव्यय **Bridges** जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 611.50 20.01 631.51 भारित: 20.00 20.00 Charged: स्वीकृत: Voted: 611.50 0.01 611.51 टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्लियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. राजस्व भाग REVENUE SECTION 3601 - राज्य सरकारों को 3601 - Grants-in-aid to State (-) 300.00 (-) 300.00 सहायता Governments (-) 311.50 3602 - संघ राज्य क्षेत्र की 3602 - Grants-in-aid to Union (-) 311.50 सरकारों को सहायता अनुदान **Territory Governments** जोड़ Total (-)611.50(-)611.50 यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा भूटान के अंदर सड़कों के रख-रखाव के लिए सामानय सहायता अनुदान (₹ 8.19 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) राज्य के लिए अनुदान हेतु केन्द्रीय सड़क निधि से पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 300 करोड़)। चूंकि यह राशि केन्द्रीय सड़क निधि से पूरी की जाएगी, इससे नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) दिल्ली की सड़कों (₹ 300 करोड़) और पांडिचेरी में सड़कों (₹ 11.50 करोड़)के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान। चूंकि यह राशि केन्द्रीय सड़क निधि से पूरी की जाएगी, इसमें निवल नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) न्यायालय के आदेशानुसार, गैर-डिप्लोमा धारक सिविल इंजीनियरों को बकाया के भुगतान के लिए सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रमुख कार्यों के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 20.00 करोड़)। अनुदान के राजस्व/पूंजी स्वीकृत भाग में अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपलब्ध बचत (₹ 20.00 करोड़) को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) Grants-in-aid General for maintenance of roads inside Bhutan by Border Roads Development Board (₹ 8.19 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants for creation of capital assets from Central Road Fund for Grant for State Road (₹ 300 crore). Since the amount will be met from the Central Road Fund, this will not entail net cash outgo.
- (c) Grants for creation of capital assets from Central Road Fund for Roads in Delhi (₹ 300 crore) and Roads in Puducherry (₹ 11.50 crore). Since the amount will be met from the Central Road Fund, this will not entail net cash outgo.
- (d) meeting additional expenditure for payment of arrears to Non-Diploma Civil Engineers as per Court Order under Major Works by Border Roads Development Board (₹ 20.00 crore). Taking into account the surrender of savings(₹ 20.00 crore) available in the Revenue/Capital Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये) (See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 60 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Revenue Capital Total I. मूल अन्दान: I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 113304.85 113304.85 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत: Voted: 0.02 0.02 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 113304.88 113304.88 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2505 - ग्रामीण रोजगार स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 2505 -Rural Employment

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

नैशनल रूरल इम्प्लायमेंट गांरटी स्कीम के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, जिला कार्यक्रम समन्वयको को सहायता हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों (₹ 280 करोड़) के सृजन हेत् अनुदान के रूप में निधि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बजत को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting the additional requirement of fund as Grants for Creation of Capital Assets (₹ 280 crore) towards Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Coordinators and Others under National Rural Employment Guarantee Scheme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	3561.30	9.70	3571.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		3561.31	9.70	3571.01
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा	:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for under t	he following M	lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Research	Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'प्रशासन स्कीम के अन्तर्गत विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए

सामान्य अनुदान सहायता पर अतिरिक्त व्यय (₹ 0.50करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

additional expenditure (₹ 0.50 crore) towards Grants-in-Aid General for Council of Scientific and Industrial Research under the Scheme 'Administration'.

Taking into account the savings available in the same section of the

Grant, a token supplementary is sought.

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड रुपये Rupees in Crore)

					(4) KIŞ KIYY KUPE	es ili Cibie)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1502.06	•••	1502.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount no	ow			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1502.07	•••	1502.07
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा	:	
		II. This Supplementary Grant will be account	unted for under t	he following M	lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

नेशनल सेंटर फार सेल साइंसेज, पुणे को वेतन हेतु अनुदान सहायता (₹ 3 करोड़) (ख) अनुसंधान एवं विकास-मेडिकल बायोटेक्नालाजी के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 11.75 करोड़) (ग) निम्न हेतु पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान : (i) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइन्स एण्ड टेक्नालाजी इंस्टीटयूट, फरीदाबाद (₹ 12 करोड़), (ii) ग्रांड चैलेज प्रोग्राम (₹ 6 करोड़), (iii) इंटर-इंस्टीटयूटशनल एण्ड डीबीटी पार्टनरिशप सेन्टर्स (₹ 3.60 करोड़), (iv) बायोटेक सुविधाएं (₹ 5 करोड़) तथा अंतर राष्ट्रीय सहयोग (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

(a) Grants-in-aid Salaries (₹ 3 crore) to National Centre for Cell Sciences, Pune, (b) Grants-in-aid General (₹ 11.75 crore) for Research and Development - Medical Biotechnology, (c) Grants for creation of Capital Assets towards (i) Translational Health Science & Technology Institute, Faridabad (₹ 12 crore), (ii) Grand Challenge Programme (₹ 6 crore), (iii) Inter-Institutional and DBT Partnerships Centres (₹ 3.60 crore), (iv) Biotech Facilities (₹ 5 crore), and (v) International Cooperation (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये) (See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 62 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

						Rupees	upees in Crore)	
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1392.28		658.39		2050.67
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:			0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	299.36		0.02		299.38
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		1691.64		658.42		2350.06
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर						
		II. This Supplementary Grant will be account	inted for ur	nder the fol आयोजना	lowing Ma	ajor Heads: आयोजना-		जोड
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:			153.03	(क a)	153.03
3056 - अंतर्देशीय जल परिवहन	स्वीकृत:	3056 -Inland Water Transport	Voted:			146.33	(खb)	146.33
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:			299.36		299.36
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर	स्वीकृत:	5051 - Capital Outlay on Ports and Light	Voted:	0.01	(गc)			0.01
पूंजी परिव्यय		Houses						
6858 - अभियात्रिक उद्योगों के लिए	स्वीकृत:	6858 - Loans for Engineering Industries	Voted:			0.01	(घd)	0.01
ऋण								
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.01		0.01		0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		299.37		299.38

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) हु गली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स (एचडीपीई)िल. की हानि को बट्टे खाते में डालने के कारण आयकर देयता पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 250.63 करोड़)।
 - (ii) एचडीपीई लि. के वीआरएस के तहत भुगतान हेतु सामान्य सहायता अनुदान .(₹ 1.00 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध (Rs. 153.03 करोड़) की बचत के अभ्यर्पण और अनुदान के उसी भाग में (Rs. 98.60 करोड़) का उपयोग करने के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

- (ख) केंद्रीय द्वीप जल परिवहन निगम लि. के संबंध में को बट्टे खाते में डालने की एमएटी की देयता के नकदीकरण व वर्तमान मूल्यांकन वर्ष तक इश पर ब्याज सहित सामान्य लहायता अनुदान (₹ 146.33 करोड़)।
 - अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध Rs. 104.98 करोड़ की बचत के अभ्यर्पन के मद्देनजर उपरोक्त व्यय में Rs. 41.35 करोड़ देने होंगे।

The supplementary grants are required for:

- (i) Grants-in-aid General towards income tax liability on account of write off of losses of Hooghly Dock and Port Engineers (HDPE) Ltd.(₹ 250.63 crore).
 - (ii) Grants-in-aid-General for payment under VRS of HDPE Ltd.(₹ 1.00 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 153.03 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 98.60 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- Grants-in-aid General to liquidate MAT liability on loan written-off including interest thereon till current assessment year in respect of Central Inland Water Transport Corporation Ltd. (₹ 146.33 crore).
 - Taking into account the surrender of savings of ₹ 104.98 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will entail cash outgo ₹ 41.35 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (ग) महानिदेशालय (लाइटहाउसेस और हाईटशिप्स) द्वारा जहाजों की खरीद व बदली हेतु प्रमुख कार्य (₹ 3.91 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (घ) वेतन और सांविधिक देनदारियों के निर्वहन हेतु एचडीपीई लि. (पूरक व (d) अग्रिम) को अतिरिक्त अर्थोपाय ऋण पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- Major Works for purchase and replacement of vessels (₹ 3.91 crore) by Directorate General (Lighthouses and Lightships). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting additional ways and means loans to HDPE Ltd. (Loans and Advances ₹ 0.95 crore) for discharging salary and statutory liabilities. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिये) (See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 63 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					Rupees	in Crore)		
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	6420.32		305.00		6725.32
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		6420.37		305.00		6725.37
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्	य शीर्षों के 3	ांतर्गत दिखार	ग जायेगाः			
		II. This Supplementary Grant will be accour	nted for un	der the follo	owing Ma	ajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और		Scheduled Tribes, Other Backward						
अल्पसंख्यकों का कल्याण		Classes and Minorities						
2235 - सामाजिक सुरक्षा और	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01	(गc)	•••		0.01
कल्याण								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित के लिए प्ंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करना (i) अनुस्चित जातियों के लिए छात्रा हॉस्टल स्कीम में विभिन्न केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालय (₹ 7.00 करोड़) और (ii) अनुस्चित जातियों हेतु छात्र हास्टल (₹ 4.50 करोड़), निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान (i) अनु. जातियों हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम में चंडीगढ़ संघ क्षेत्र (₹ 0.27 करोड़) और (ii) अनुस्चित जातियों हेतु शीर्ष श्रेणी की शिक्षा स्कीम में विभिन्न संस्थान (₹ 2.00 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के (₹ 0.30 करोड़) की वेतन सहायता अनुदान जारी करना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ग) विभिन्न राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 21.70 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) releasing Grants for creation of Capital Assets to (i) various Central and State Universities in the scheme of Girls Hostel for Scheduled Castes (₹ 7.00 crore) and (ii)Boys Hostel for Scheduled Castes (₹ 4.50 crore), Grants-in-aid General to (i) Union Territory of Chandigarh in the scheme of pre matric scholarship for Scheduled Castes (₹ 0.27 crore) and (ii)various Institutions in the scheme of Top Class Education for Scheduled Castes (₹ 2.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) releasing Grants-in-aid Salaries of ₹ 0.30 crore to the National Commission for Backward Classes. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) releasing Grants-in-aid General to various National Institutes for Disabled Persons (₹ 21.70 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(See	page 90 of the Dem	ands for G	rants of Central Government fo	r the year 2013-20	14)				
							(करोड़ रुपये	Rupees	
					राजस्व		पूंजी		जोड़
,	·		L ODIOWAL ODANIT		Revenue		Capital		Total
ા. મૂલ	अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:	21	2.52		2.42		2.22
		भारित:		Charged:	0.50		0.40		0.90
		स्वीकृत:		Voted:	3052.19		3738.95		6791.14
•	मय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the ar	mount					
पूरक 3	भनुमान:		now required:						
		स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.01		0.03
जोड़ (म्	्ल और पूरक)	0	Total (Original plus Supplementary)		3052.71		3739.36		6792.07
		भारित:		Charged:	0.50		0.40		0.90
		स्वीकृत:		Voted:	3052.21		3738.96		6791.17
			II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्ना						
			II. This Supplementary Grant will	be accounted for unc	ler the follow	ving Maj	or Heads:		
					आयोजना		आयोजना-		जोड़
					Plan		भिन्न		Total
	- 4		DEVENUE OFOTION				Non-Plan		
राजस्व			REVENUE SECTION						
मुख्यः		•	MAJOR HEAD						
	- अंतरिक्ष अनुसंधान	स्वीकृत:	3402 -Space Research	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
पूंजी भ			CAPITAL SECTION						
मुख्यः			MAJOR HEAD						
	- अंतरिक्ष अनुसंधान पर	स्वीकृत:	5402 - Capital Outlay on Space	Voted:	0.01	(गc)			0.01
••	रिव्यय		Research						
जोड़ (प्	रक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03
यह पूर	क अनुदान निम्नलिखित हे	द्व अपेक्षित है	:	The supplementary of	grants are re	equired f	or:		
(क)	नार्थ इस्टर्न स्पेस अप्ली	े केशन सेंटर (ए	नई-एसएसी), विभाग का एक स्वायत	(a) additional exp	enditure (₹	6.52 cro	ore) towards (Grants fo	or creation
	निकाय के आवासीय परि	रेसर को पूरा	करने के लिए पूंजीगत परिसंपतियों के	of Capital As	sets for cor	npletion	of residential	comple	x of North
	सृजन हेतु अनुदान के नि	मित अतिरिक्त	[;] व्यय (₹ 6.52 करोड़)	Eastern Space	ce Applicati	on Cen	tre (NE-SAC)	, an au	tonomous
	5 5			body of the D			,		
	अनुदान के उसी भाग	में उपलब्ध व	बचतों के देखते हुए सांकेतिक पूरक	Taking into a	count the	savinas a	available in th	e same	section of

- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- वेतन अनुदान सहायता पर अतिरिक्त व्यय ()एनई-एसएसी (₹ 0.71 करोड़) (ख) तथा () नेशनल एटंमास्फरिकं रिसर्च लैबोरेटरी (₹ 0.48 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- भारतीय अतंरिक्ष अन्संधान संगठन के विस्तार संबधी कार्यकलापों के लिए (ग) कर्नाटकं सरकार से भूमि अधिग्रहण पर व्यय (₹ 45.32 करोड़).
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries to (i) NE-SAC (₹ 0.71 crore), and (ii) National Atmospheric Research Laboratory (₹ 0.48 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - expenditure (₹ 45.32 crore) towards acquisition of land from Government of Karnataka, for expansion activities of Indian Space Research Organisation.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

सांख्यिकी और कायर्क्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 64 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

			(करोड़ रुपये Rup				Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	4935.53		16.15		4951.68
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	13.80				13.80
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4949.36		16.15		4965.51
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्र	। शीर्षों के अं	तर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accoun	ted for und	der the follo	wing Maj	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2052 - सचिवालय-सामान्य	स्वीकृत:	2052 -Secretariat-General Services	Voted:			0.01	(कa)	0.01
सेवाएं								
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और	स्वीकृत:	3454 -Census Surveys and Statistics	Voted:	0.01	(खb)	13.77	(गc)	13.78
सांख्यिकी								
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(घd)			0.01
सहायता								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		13.78		13.80

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) स्थापना संबंधी खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 5.40 करोड़)। इस बात को ध्यान में ऱखते हुए िक अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) योजना स्कीम आर्थिक जनगणना के तहत राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में निधि जारी करने हेतु खर्च को पूरा करने के लिए (₹ करोड़)। इस बात को ध्यान में ऱखते हुए कि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) (i)भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता को वेतन अनुदान (₹ 23.97 करोड़) और (ii) नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन के लिए वेतन पर खर्च (₹ 45.04 करोड़) हेतु। अनुदान के पूंजी भाग के तहत उपलब्ध 7.80 करोड़ रुपए के बचत के परित्याग, जिसका परित्याग किया जाएगा, को ध्यान में रखते हुएइस पर 5.97 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।
- (घ) योजना स्कीम आर्थिक जनगणना के तहत राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में निधि जारी करने हेतु खर्च को पूरा करने के लिए (₹ 18.00 करोड़)। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध हैं, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए एक प्रतीकात्मक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting establishment related expenditure (₹ 5.40 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting the expenditure for releasing fund as Grants-in-aid to States, under the Plan scheme Economic Census (₹ 0.05 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) For (I) Grants-in-Aid Salary (₹ 23.97 crore) to Indian Statistical Institute, Kolkata and (ii) expenditure on Salary (₹ 45.04 crore) for National Sample Survey Orgainsation. Taking into account surrender of savings of ₹ 7.80 crore available under Capital Section of the grant, which would be surrendered, this will entail a net cash outgo of ₹ 5.97 crore.
- (d) meeting the expenditure for releasing fund as Grant-in-aid to States, under the Plan Scheme Economic Census (₹ 18.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 65 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

				(करोड़ रुपये Rupees in Cr			
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	5423.92	7.67	5431.59	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	96.06	0.50	96.56	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	भारित:		Charged:		55.00	55.00	
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		5519.98	63.17	5583.15	
	भारित:		Charged:		55.00	55.00	
	स्वीकृत:		Voted:	5519.98	8.17	5528.15	
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	शीर्ष के अंतर्गत '	दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Appropriation will be acc	counted for u	nder the follow	ving Major Head:		
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए	भारित:	6860 - Loans for Consumer Industries	Charged:	•••	55.00	55.00	
ऋण							

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को वेतन एवं पारिश्रमिक सम्बन्धी बकायों के भुगतान से जुड़ा व्यय।

अनुदान के राजस्व-स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को हिसाब में लेते हु ए उपरोक्त व्यय से कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary appropriation is required for:

expenditure towards payment of the arrears of salary and wages to the employees of British India Corporation in compliance of Hon'ble Supreme Court order.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue-Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

जनजाति कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 70 देखिये) (See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 70 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये	ये Rupees in Crore)	
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	3782.23				<i>3782.23</i>
	स्वीकृत:		Voted:	443.71		70.00		513.71
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	भारित:		Charged:	74.35				74.35
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4300.32		70.00		4370.32
	भारित:		Charged:	3856.58				3856.58
	स्वीकृत:		Voted:	443.74		70.00		513.74
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अंत	नर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be according	unted for und	er the follow	wing Maj	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2013 - मंत्री परिषद	स्वीकृत:	2013 -Council of Ministers	Voted:			0.01	(कa)	0.01
2225 - अनुसूचित जाति,	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:	0.01	(खb)			0.01
अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े		Scheduled Tribes, Other Backward						
वर्गों और अल्पसंख़्यकों का कल्याण		Classes and Minorities						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.01		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) मंत्रालयों द्वारा विवेकाधीन अनुदान के तहत अन्य प्रभार (₹ 0.05 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एमएफपी मूल्य शृंखला बनाने के माध्यम से "मैकेनिज्म फोर मार्केटिंग ऑफ माइनर फोरेस्ट प्रोइयूस (एमएफपी)" स्कीम के तहत प्ंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.50 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 2.45 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Other Charges under Discretionary Grant by Ministers (₹ 0.05 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants for creation of capital assets (₹ 0.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 2.45 crore) under the scheme "Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce(MFP) through Minimum Support Price (MSP) and Development of Value Chain for MFP. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 72 देखिये) (See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 72 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Revenue Capital Total I. मूल अन्दान: I. ORIGINAL GRANT: भारित: Charged: 0.01 0.01 स्वीकृत: Voted: 2631.69 671.72 3303.41 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत: Voted: 122.27 122.27 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount अनुमान: now required: स्वीकृत: Voted: 31.30 0.10 31.40 जोड़ (मूल और पूरक) 2785.27 3457.09 Total (Original plus Supplementary) 671.82 भारित: Charged: 0.01 0.01 स्वीकृत: Voted: 2785.26 671.82 3457.08 ॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** विद्युत मंत्रालय Ministry of Power 2801 - विद्युत स्वीकृत: 2801 -Power Voted: 26.21 (कa) 26.21 नौवहन मंत्रालय Ministry of Shipping 3052 - नौवहन स्वीकृत: 3052 -Shipping Voted: 5.09 (खb) 5.09 जोड़ (राजस्व भाग) स्वीकृत: **Total (Revenue Section)** Voted: 5.09 26.21 31.30 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** पर्यावरण और वन मंत्रालय Ministry of Environment and Forests 6406 - वानिकी और वन्य जीवन स्वीकृत: 6406 - Loans for Forestry and Wild Life Voted: 0.01 (गc) 0.01 के लिए ऋण गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs 4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय स्वीकृत: 4055 - Capital Outlay on Police Voted: 0.01 (घd) 0.01 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर स्वीकृत: 4250 - Capital Outlay on other Social Voted: 0.01 0.01 (ਤ_e) पूंजी परिव्यय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय Ministry of Road Transport and Highways 5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी स्वीकृत: 5054 - Capital Outlay on Roads and Voted: 0.01 (चf) 0.01 परिव्यय Bridges नौवहन मंत्रालय Ministry of Shipping 5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों स्वीकृत: 5051 - Capital Outlay on Ports and Light Voted: 0.01 (छg) 0.01 पर पूंजी परिव्यय Houses शहरी विकास मंत्रालय Ministry of Urban Development 4059 - लोक निर्माण कार्यो पर स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works Voted: 0.01 (जh) 0.01 पूंजी परिव्यय 4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय स्वीकृत: 4216 - Capital Outlay on Housing Voted: 0.01 (झi) 0.01 4217 - शहरी विकास पर पूंजी स्वीकृत: 4217 - Capital Outlay on Urban 0.01 Voted: 0.01 (퍼j) परिव्यय Development

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

4225 - अनुसूचित जाति,	स्वीकृत:	4225 - Capital Outlay on Welfare of	Voted:	0.01	(ਟk)		0.01
अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े		Scheduled Castes, Scheduled Tribes,					
वर्गों और अल्पसंख़्यकों के कल्याण		Other Backward Classes and Minorities					
पर पूंजी परिव्यय							
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर	स्वीकृत:	4801 - Capital Outlay on Power Projects	Voted:	0.01	(정)		0.01
पूंजी परिव्यय							
जोड़ (प्ंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.09		0.01	0.10
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	5.18		26.22	31.40

(f)

(l)

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) बिजलीघरों के लिए एचएसडी तेल की खरीद के लिए खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 72.78 करोड़)।
- (ख) नौवहन क्षेत्र के लिए एचएसडी तेल की खरीद के लिए खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 77.22 करोड़)।
 अनुदान के पूंजी खंड के तहत उपलब्ध बचत के परित्याग को ध्यान में रखते हुए, और बचत को अनुदान के उसी भाग में उपयोग करने के बाद, उपर्युक्त दोनों मामलों में खर्च पर कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) अंडमान एवं निकोबार आइलैंड फॉरेस्ट प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निधि प्रदान किए जाने हेतु (एएनआईएपपीडीसीएल) (₹ 1.01 करोड़)।
- (घ) पुलिस नावों के लिए यंत्रों की खरीद पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 0.19 करोड़)।
- (ङ) आपदा प्रबंधन के लिए यंत्रों की खरीद पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 0.15 करोड़)।
- (च) ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 2.45 करोड़)।
- (छ) विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में छज्जों के चालू निर्माण कार्य पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 2.45 करोड़)।
- (ज) विभिन्न सिविल कार्यों पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 2.28 करोड़)।
- (झ) सरकारी क्वार्टरों के निर्माण पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 2.45 करोड़)।
- (ञ) चालू सिविल कार्यों पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 0.73 करोड़)।
- (ट) विभिन्न अदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 0.94 करोड़)।
- (ठ) ग्रामीण वियुतीकरण स्कीम के तहत चालू कार्यों पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 1.48 करोड़)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए एक प्रतीकात्मक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting the expenditure for procurement of HSD oil for Power Houses (₹ 72.78 crore)
- (b) meeting the expenditure for procurement of HSD oil for Shipping Sector (₹ 77.22 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the expenditure in the above two cases will not entail any additional cash outgo.

- (c) providing funds to Andaman and Nicobar Islands Forest Plantation and Development Corporation Limited (ANIFPDCL) (₹ 0.01 crore).
- (d) meeting additional expenditure on procurement of machineries for Police Boats (₹ 0.19 crore).
- (e) meeting additional expenditure on procurement of machineries for Disaster Management (₹ 0.15 crore).
 - meeting additional expenditure on construction of Rural roads (₹ 2.45 crore).
- (g) meeting additional expenditure on ongoing construction works of Jetties at various tribal areas (₹ 2.45 crore).
- (h) meeting additional expenditure on various civil works (₹ 2.28 crore).
- (i) meeting additional expenditure on construction of Government Quarter (₹ 2.45 crore).
- (j) meeting additional expenditure on ongoing civil works ($\stackrel{\blacktriangleleft}{\mathbf{C}}$ 0.73 crore).
- (k) meeting additional expenditure on developmental works at various Tribal areas (₹ 0.94 crore).
 - meeting additional expenditure on ongoing works under the scheme Rural Electrification (₹ 1.48 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementaries are sought in the above ten cases.

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिये) (See page 104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 74 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					(3	करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	19.93		0.05	19.98
	स्वीकृत:		Voted:	2922.51		549.12	3471.63
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:			0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:			0.06	0.06
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		2942.44		549.24	3491.68
	भारित:		Charged:	19.93		0.05	19.98
	स्वीकृत:		Voted:	2922.51		549.19	3471.70
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख				Loodor	
		II. This Supplementary Grant will be accour	ited for under	ाार Millowii आयोजना	ig iviajoi	neaus. आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
पूंजी भाग		CARITAL OFOTION				Non-Plan	
<i>पूजा माग</i> मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION					
नु ७५ रतान कृषि मंत्रालय		MAJOR HEAD Ministry of Agriculture					
•			\/-4- d.	0.04	(-)		0.04
4403 - पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4403 - Capital Outlay on Animal	Voted:	0.01	(कa)		0.01
संस्कृति मंत्रालय		Husbandry					
		Ministry of Culture			<i>(</i>		
4202 - शिक्षा, खेल, कला और	स्वीकृत:	4202 - Capital Outlay on Education,	Voted:	0.01	(खb)		0.01
संस्कृति पर पूंजी परिव्यय		Sports, Art and Culture					
उच्चतर शिक्षा विभाग	•	Department of Higher Education					
4202 - शिक्षा, खेल, कला और	स्वीकृत:	4202 - Capital Outlay on Education,	Voted:	0.01	(गc)		0.01
संस्कृति पर पूंजी परिव्यय श्रम और रोजगार मंत्रालय		Sports, Art and Culture					
	•	Ministry of Labour and Employment					
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर	स्वीकृत:	4250 - Capital Outlay on other Social	Voted:	0.01	(घd)		0.01
पूंजी परिव्यय		Services					
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	•	Ministry of Road Transport and Highways					
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी	स्वीकृत:	5054 - Capital Outlay on Roads and	Voted:	0.01	(ङe)		0.01
परिव्यय		Bridges					
शहरी विकास मंत्रालय	•	Ministry of Urban Development					
4217 - शहरी विकास पर पूंजी	स्वीकृत:	4217 - Capital Outlay on Urban	Voted:	0.01	(चf)		0.01
परिव्यय		Development					
जोड़ (प्रक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.06			0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पशुपालन विभाग के कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय का प्रावधान करने हेत् (₹ 0.05 करोड़)।

(ख) सरकारी कला महाविद्यालय (₹ 0.05 करोड़) और गवर्मेन्ट म्युजियम एण्ड आर्ट गैलरी (₹ 0.04 करोड़) के चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ट्यय का प्रावधान करने हेतु। The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure to complete the works of Animal Husbandry Department (₹ 0.05 crore).
- (b) Meeting the additional expenditure to complete the ongoing works of Government College of Arts (₹ 0.05 crore) and Government Museum and Art Gallery (₹ 0.04 Crore)

(d)

(f)

- (ग) प्राथमिक शिक्षा (₹ 0.18 करोड़) से संबंधित चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्।
- (घ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चण्डीगढ़ (₹ 0.20 करोड़) के चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय का प्रावधान करने हेतु।
- (ङ) चण्डीगढ़ में सम्पर्क सङ्कों निर्माण के व्यय को पूरा करने हेतु अतिरिक्त प्रावधान करने हेतु (₹ 1.01 करोड़)।
- (च) चण्डीगढ़ में विभिन्न बागवानी निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए (₹ 2.29 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु प्रावधान करने के लिए। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक अनुपूरकों की मांग की जाती है।
- meeting additional expenditure to complete the ongoing works relating to Elementary Education (₹ 0.18 crore).
- meeting the additional expenditure to complete the ongoing construction works of Industrial Training Institute, Chandigarh (₹ 0.20 crore).
- (e) meeting the additional expenditure for construction of Link Roads in Chandigarh (₹ 1.01 crore).
 - meeting additional expenditure to complete the various Horticulture works in Chandigarh (₹ 2.29 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, token supplementaries are sought in each case.

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 123 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 75 देखिये) (See page 123 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 75 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

							(करोड़ रुपये Rupees ir		
					राजस्व		पूंजी	जोड़	
					Revenue		Capital	Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
	स्वीकृत:			Voted:	778.43		246.30	1024.73	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRA	N <i>T:</i>						
	स्वीकृत:			Voted:	0.04			0.04	
इस समय आवश्यक रकम का पूर	रक	Supplementary Estimate	of the amount						
अनुमान:		now required:							
	स्वीकृत:			Voted:	0.01		0.01	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplem	entary)		778.48		246.31	1024.79	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसा	ब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाय	ग जायेगा:			
		II. This Supplementary G	rant will be acco	unted for und	der the follo	owing Ma	ajor Heads:		
					आयोजना		आयोजना-	जोड़	
					Plan		भिन्न	Total	
							Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष 		MAJOR HEAD							
गृह मंत्रालय	•	Ministry of Home Affairs							
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और	स्वीकृत:	3454 -Census Surveys a	nd Statistics	Voted:	0.01	(कa)		0.01	
सांख्यिकी									
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Developme	ent						
4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाः	ओं पर स्वीकृत:	4711 - Capital Outlay on	Flood Control	Voted:	0.01	(खb)		0.01	
पूंजी परिव्यय		Projects							
जोड़ (प्रक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)		Voted:	0.02			0.02	
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित	हेन भपेक्षिन है [.]		The suppleme	entary grants	are requir	ed for:			
(क) स्थापना और अन्य संब	•	चा/₹ ೧ ६६ स्त्रोट\।					lated expenditu	ro <i>(</i> ₹ 0.55	
(क) स्वायना जार जन्य सवा	ायत च्यय का पूरा कर	जा(६ ०.५५ कराइ)।	crore).	_	nent and	other re	iateu experiultu	ie (* 0.55	
(ख) लक्षद्वीप प्रायद्वीप के तट	वर्ती क्षेत्रों में समुद्र क	टाव-रोधी निर्माण कार्यों को पूरा	(b) meetin	ng additional	expenditu	re to con	nplete the anti-s	ea erosion	
करने के लिए अतिरिक्त	•	•		in the coas	stal areas	of Laks	hadweep islan	ds (₹ 5.41	
	••	<i>,</i>	crore).				•	•	
अनुदान के उसी भाग	में उपलब्ध बचतों	को देखते हुए सांकेतिक पूरक	,		nt the savin	gs availa	able in the same	section of	
उ अपेक्षित है।		,	_			_	sought in each o		
-				.,			. 5		

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 129 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 76 देखिये) (See page 129 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 76 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

				(करोड़ रुपये Rupe	ees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित:		Charged:	44.42	26.00	70.42
स्वीकृत:		Voted:	1281.29	6945.07	8226.36
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
भारित:		Charged:	11.87	21.70	33.57
स्वीकृत:		Voted:	0.02	0.01	0.03
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:	now required:				
भारित:		Charged:		1.00	1.00
स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1337.61	6993.78	8331.39
भारित:		Charged:	56.29	48.70	104.99
स्वीकृत:		Voted:	1281.32	6945.08	8226.40

॥. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		The Supplementary States (ppropriate						
				आयोजना		आयोजना-	जोड़	
				Plan		भिन्न	Total	
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)		0.01	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	भारित:	4216 - Capital Outlay on Housing	Charged:	1.00	(खb)	•••	1.00	
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		1.01			1.01	
	भारित:		Charged:	1.00			1.00	
	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए पूंजीगत परिसंपतियों (₹ 13.82 करोड़) के सृजन हेतु अनुदान। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) पंचाट अवार्ड/न्यायालयी मामलों के लिए (₹ 1.00 करोड़)। अनुदान के राजस्व/प्रंजी भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचतों को देखते हु ए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) Grants for creation of capital assets (₹ 13.82 crore) for Augmentation of Water Supply in North Eastern Areas. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Payments of arbitration awards/court cases under Major Works (₹ 1.00 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

लोक निर्माण कार्य

PUBLIC WORKS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 130 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 130 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 78 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	1.03		1.00		2.03
	स्वीकृत:		Voted:	1469.49		558.25		2027.74
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		25.01		25.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.02		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1470.54		584.28		2054.82
	भारित:		Charged:	1.03		1.00		2.03
	स्वीकृत:		Voted:	1469.51		583.28		2052.79
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखायाः	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for unde	er the follow	ing Majo	r Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2059 - लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत:	2059 -Public Works	Voted:			0.01	(क a)	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	0.01	(खb)	0.01	(गc)	0.02
पूंजी परिव्यय								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.02		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- The supplementary grants are required for:
- (क) निरीक्षण बंगलों गेस्ट हाउसों, हाली-डे होम के अनुरक्षण/साज सज्जा के लघु निर्माण कार्यों के लिए (₹ 1.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुएसांकेतिक पूरक अपेक्षित हैं।
- (ख) राष्ट्रीय स्मृति, समाधि/मेमोरियल्स के उन्नयन हेतु प्रमुख कार्यों के लिए (₹ 1.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित हैं।
- (ग) कार्मीकों, लोक शिकायत तथा पेंशन के प्रमुख कार्यों के लिए (₹ 2.50 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित हैं।
- (a) Minor Works for Maintenance/Upkeep of Inspection Bungalows, Guest Houses & Holiday Homes (₹ 1.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Major Works for creation of Rashtriya Smiriti, Up-gradation of Samadhi/Memorials (₹ 1.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Major Works of Personnel, Public Grievances & Pensions (₹ 2.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 133 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 133 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 80 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Ru	pees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	20440.00		20440.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	200.01		200.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount no	w			
पूरक अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		20640.02		20640.02
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु		र्गत दिखाया जा	येगा:	
		II. This Supplementary Grant will be account	unted for unde	er the followin	ıg Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मु ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01	(कа)	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम के अन्तर्गत दादर व नगर हवेली के लिए अतिरिक्त आवश्यकता हेतु सामान्य अनुदान सहायता (₹ 14.40 करोड़)।
 - (ii) उज्ज्वल स्कीम के अन्तर्गत व्यावसायिक यौन शोषण का मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 3.00 करोड़)।
 - (iii) जेंडर बजिटिंग संबंधी कार्याशालाओं आदि के आयोजन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.12 करोड़)।
 - (iv) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.50 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General for the additional requirement for Dadar and Nagar Haveli under the scheme Integrated Child Development Services (₹ 14.40 crore).
 - (ii) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement for combating trafficking for commercial sexual exploitation under the scheme 'Ujjawala' (₹ 3.00 crore)
 - (iii) Grants-in-aid General for meeting additional requirement for organising workshops etc. on Gender Budgeting (₹ 0.12 crore).
 - (iv) Grants-in-aid General to Central Social Welfare Board for meeting the additional requirement (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 134 देखिये)

(See page 134 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1218.10		0.90	1219.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1218.11		0.90	1219.01
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	शीर्ष के अंतर्ग	ति दिखाया ज	गयेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for unde	r the follow	ing Maj	or Head:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2204 - खेल और युवा मामले	स्वीकृत:	2204 -Sports and Youth Services	Voted:	0.01	(कa)		0.01

(a)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नांकित स्वायत निकायों को सामान्य अनुदान सहायताः (1) नेहरू केन्द्र संगठन (₹ 2.00 करोड़) तथा (2) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 25.00 करोड़)।
 - (ii) नेहरू केन्द्र संगठन को वेतन अनुदान सहायता (₹ 14.32 करोड़)।
 - (iii) कोचिंग कैम्पों के आयोजन और खिलाइियों की तैयारी हेतु विदेश भैजने के तथा आगामी खेल कार्यक्रमों अर्थात् सोची विंटर ओलम्पिक 2014, एशियाई खेल 2014 तथा राष्ट्रमंडल खेल 2014, जो "राष्ट्रीय खेल संघ को सहायता" (₹ 21.61 करोड़) स्कीम के अतंर्गत आयोजित किए जा रहे हैं, अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य अनुदान सहायता।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक प्रक्तमांगा गया है। The supplementary grant is required for:

- (i) Grants-in-aid General to the following Autonomous Bodies for meeting the additional requirement:- (1) Nehru Kendra Sangathan (₹ 2.00 crore) and (2) Sports Authority of India (₹ 25.00 crore).
- (ii) Grants-in-aid Salaries to the Nehru Kendra Sangathan(₹ 14.32 crore).
- (iii) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement towards organizing coaching camps and exposure abroad for preparation of sportspersons and forthcoming sports events viz. Sochi Winter Olympics 2014, Asian Games 2014 and Commonwealth Games 2014 under the scheme of "Assistance to National Sports Federations" (₹ 21.61 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2013-14 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है। Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2013-14.

			(करोड़ रुपए R1	upees in Crore	2)
क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2013-2014 Budget Estimates 2013-2014	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appro- priation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय डाक विभाग	3201.03.101.01.01.01 - वेतन			वेतन की पूर्ति हेतु
	Department of Posts	3201.03.101.01.01.01-Salaries	108.50	8.50	To meet salaries
		3201.02.101.04.01.28- पीपीएस			स्वचालित डाक प्रसंस्करण केन्द्रों की गतिविधियां पर व्यवसायिक सेवाओं के मदों पर होने वाले व्ययों की अदायगी हेतु
		3201.02.101.04.01.28-PPS	3.50	4.90	To meet committed expenses of professional charges on AMPC Activities.
		3201.02.101.09.99.28- पीपीएस			व्यवसायिक सेवाओं के व्ययों की अदायगी हेतु
		3201.02.101.09.99.28-PPS	5.00	4.98	To meet committed expenses of professional charges
		5201.00.103.02.00.53- भवन			प्रशिक्षण संस्थानो हेतु भूमि खरीद के प्रतिबद्ध व्ययों की अदायगी
		5201.00.103.02.00.53-Building	3.50	3.00	To meet committed expenses of Land acquisition for Training Institutions.
2.	संस्कृति मंत्रालय Ministry of Culture	एमएच 2205 वर्ल्ड हैरिटेज फंड को अंशदान 2205.00.798.01.00.32 MH 2205 Contribution to World Health Fund 2205.00.798.01.00.32	0.08	0.025	वर्ल्ड हैरिटेज फंड में भारत का अंशदान करने हेतु To make India's contribution towards World Heritage Fund.
		एमएच 2205 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 2205.00.104.01.03.20 MH 2205 National Archives of India 2205.00.104.01.03.20	0.16	0.25	खरीद परिवार, इजराइल के दौरे का व्यय पूरा करने हेतु जहां से गांधी काले बेंच के पेपर खरीदे गए थे। To meet expenses towards visit of Sarid family, Israel from which Gandhi Kallenbench papers were purchased.
		एमएच 2205 राष्ट्रीय'आधुनिक कला दीर्घा 2205.00.102.06.02.02 MH 2205 National Gallery of Modern Art 2205.00.102.06.02.02	0.06	0.15	परिश्रमिकों के भुगतान हेतु। For payment of wages.

	-	्क	रोड़ रुपए Rup	ees in Crore	e)
1	. 2	3	4	5	6
		एमएच 2205 टैगोर सांस्कृतिक कांप्लैक्स (अभी तक-बच्चों के लिए सहित बहुप्रयोजनीय सांस्कृतिक कांप्लैक्सों की स्थापना 2205.00.102.04.30.11 2205.00.102.04.30.13 2205.00.102.04.30.20			स्कीम के तहत बैठक, सम्मेलनों के आयोजन, विशेषज्ञों के भाग व्यय संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु।
		MH 2205 Tagore Cultural Complexes (Erestwhile-Setting up of Multipurpose Cultural Complexed including those for children) 2205.00.102.04.30.11 2205.00.102.04.30.13 2205.00.102.04.30.20		0.45 0.005 0.01	To meet the expenses on convening of meetings conferences travel expenses of experts under the Scheme.
		एमएच 2205 राष्ट्रीय म्यूजियम 2205.00.107.02.03.01			वेतन के भुगतान हेतु।
		MH 2205 National Museum 2205.00.107.02.03.01	0.28	0.15	For payment of salaries.
3.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2406.01.003.03 आईएफएस अधिकारियों को प्रशिक्षण			आईएफएस अधिकारियों के लिए देश के प्रमुख संस्थानों द्वारा आयोजित एवं वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित साप्ताहित पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यशालाओं के लिए पाठयक्रम शुल्क और रहने-ठहरने के प्रभारों के भुगतान के लिए ।
	Ministry of Environment & Forests	2406.01.003.03 Training to IFS Officers	2.10	1.00	For payment of course fee and boarding and loading charges for one week refresher training courses and two-day training workshops organized by various premier institutinons of the country and sponsored by the MoEF for the IFS officers.
4.	प्रत्यक्ष कर Direct Taxes	राजस्व अनुभागः एमएच 2020 आय और व्यय संबंधी कर संग्रहण (प्रमुख शीर्ष) 00.001-निर्देशन और प्रशासन (गौण शीर्ष) 01 अन्वेषण Revenue Section:			

MH 2020 Collection of Taxes on Income & Expenditure (Major Head) 00.001-Direction and Administration (Minor Head) 01-Investigation

	(a	मरोड़ रुपए Ruj	pees in Crore	OR GRANTS			
1 2	3	4	5	6			
	01.00.41- गुप्त सेवा और व्यय अस्पतालों की स्थापना 01.00.41 Secret Service			सूचना उपकरण और कल्टिवेंटिंग आसूचन व सूचना प्रदाता आधार की खरीद और सूचना प्रदाता को पुरस्कार देने के लिए भुगतान हेतु आयकर विभाग के अन्वेषण विंग द्वारा अतिरिक्त निधि की आवश्यकत है। Additional funds are required by			
	Expenditure	1.20	0.50	the investigation wing of the Income Tax Department to make payment for purchase of information, equipment and cultivating intelligence and informer base and payment of reward to informers.			
	03 संगठन और प्रबंधन सेवाएं 03.00.03 समयोपरि भत्ता 03 Organization & Management			बढ़ोत्तरी लंबित समयोपरि भत्तों का निपटान करने के लिए है।			
	Services 03.00.03 Overtime Allowance	0.0010	0.0010	The increase is to clear pending overtime bills.			
	00.101- आयकर संग्रहण प्रभार (गौण शीर्ष) 01 आयुक्त और उनके कार्यालय 01.01 स्थापना 00.101-Collection of Income Tax (Minor Head) 01 Commissioner and their offices 01.01 Establishment	3					
	01.99- सूचना तकनीकी 01.99.13 कार्यालयी व्यय 01.99 Information Technology 01.99.13 Office Expenditure	40.00	7.16	नए कंप्यूटरों की खरीद, एएमसी संबंधी व्यय के साथ ही रिटर्न की प्रोसेसिंग के लिए डाटा एन्ट्री आपरेटरों की आउटसोर्सिंग के भुगतान के लिए व्यय को पूरा करने हेत् अधिक निधियों की आवश्यकता है। More funds are required to meet the expenditure for purchase of new computers, AMC related expenses and also for payment of outsourcing			
	02 आयकर, संपत्ति कर के मामलों			of Data Entry Operators for processing of returns.			
	के लिए 02.00.06 व्यवस्थापन आयोग 02 Settlement Commission for Income Tax Wealth Tax cases			बढ़ोत्तरी मेडीकल के लंबित बिलों को निपटा के लिए है। The increase is to clear pending			
	02.00.06 Medical Treatment 04 प्रधान प्रमुख लेखा नियंत्रक का	0.18	0.06	medical bills. यह बढ़ोत्तरी वर्ष के दौरान सृजित नए जोनल			
	जोनल लेखा कार्यालय 04.00.01 वेतन			वह बज़ातरा वर्ष के दारान सृजित नेए जानत कार्यालय और मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी वे कारण भुगतान को पूरा करने के लिए है			

	अनुदा	नों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPL	EMENTARY DE (करोड़ रुपए Rupe					
 1	2	3	4	5	6			
		04- Zonal Accounts Offices of Chief Controller of Accou 04.00.01 Salaries	•	10.96	The increase is to meet the payment on account of creation of new Zonal Account Offices during the year and increase in dearness allowances.			
		04.00.12 विदेशी यात्रा			यह बढ़ोत्तरी स्वीकृत विदेशी दौरों के व्यय को पूरा करने के लिए है। श्री संदीप ताराचंद, यूकेई, आईसीएएस को सीजीए का कार्यालय, भारत सरकार द्वारा कार्यकारी विकास कार्यक्रम के लिए नामांकित किया गया है।			
		04.00.12 Foreign Travel Exper	nses 0.00	0.03	The increase is to meet the expenditure on sanctioned foreign tours.			
		04.00.28- पेशेवर सेवाएं			परामर्श शुल्क व अन्य कानूनी मामलों संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की जरूरत होती है।			
		04.00.28-Professional Service	s 0.11	0.003	The additional funds are require to meet the expenses related consultancy fees and other leg matters.			
		04.99- सूचना तकनीकी 04.99.13-कार्यालयी व्यय			नए कंप्यूटरों की खरीद और अन्य एएमसी संबंधी व्यय के साथ ही पीसीसीए, सीबीडीटी द्वारा विकसित किए जा रहे नये कार्यक्रम के लिए नया सर्वर खरीदने के व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की अपेक्षा है।			
		04.99-Information Technolog 04.99.13- Office Expenditure	y 2.50	1.50	Additional funds are required to meet the expenditure for purchase of new computers and other AMC related expenses and also for purchase of new server for the new programme being developed by Pr.CCA, CBDT.			
		00.800- अन्य व्यय (गौण शीर्ष) 02- आथोरिटी फोर एडवांस्ड रूलिग्स 02.00.02- पारिश्रमिक 00.800-Other Expenditure			बढ़ी हुई निधियां माननीय न्यायालय के आदेश के कारण अपेक्षित हैं। The enhanced Rinds are required			
		(Minor Head) 02- Authority for Advance Rul 02.00.02-Wages	ings 0.00	0.03	on account of Hon'ble Court's Order.			
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2013.00.105.01 (इ स्वास्थ्य मंत्री	आयोजना-भिन्न)		गरीबों को वित्तीय सहायता की दरों में परिवर्तित बढ़ोत्तरी			
	Department of Health & Family Welfare	2013.00.105.01 Ministry of Health	1.50 (Non-Plan)	1.00	Upward revision of rates of financial assistance to the Poor.			

(करोड़ रुपए Rupee			2)
3	4	5	6
2071 01 118 01- केंदीय सरकार			सीजीएचएस पेंशनधारकों के हॉस्पीटल
	गर्गोजना-भिन्न)		उपचार पर व्यय में बढ़ोत्तरी
,	119191111111111111111111111111111111111		
	725.00	1.42.40	<u>*</u>
Government Pensioners		142.46	hospitalization of the CGHS
	(Non-Plan)		pensioners.
	(आयोजना)		चिकित्सा पत्रिकाओं पर बढ़ा व्यय।
<u> </u>	eal 21.50	11 72	Increased expenditure on medica
		11.72	Journals
2.01.11	(1 1411)		00411415
2210.01.103.24- डिस्पेंसरी/	(आयोजना)		कार्यालयी खर्च और आपूर्तियों व सामग्रियं
अस्पतालों की स्थापना (अ	गयोजना-भिन्न)		की खरीद व पेशेवर सेवाएं किराए पर लेने
· ·	,		पर बढ़ा व्यय
2210.01.103.24-Setting up of	62.47	11.48	Increased expenditure on Office
Dispensaries/Hosp.	(Plan)		Expenses and procurement of
•	694.00	57.97	Supplies & Materials and hiring of
	(Non-Plan)		professional services.
	,		1
2210.01.110.19 - सफदरजंग (आ	ायोजना)		कार्यालयी खर्च आरआरएण्डटी, आपूर्तिय
अस्पताल, नई दिल्ली (अ	गयोजना-भिन्न)		व सामग्रियों, गौण कार्यों और पेशेवर सेवाए
			लेने पर बढ़ा व्यय
2210.01.110.19 -Safdariang	180.00	46.80	Increased expenditure on Office
			Expenses RR&T, Supplies and
Trospital, 1 te w Bellin	, ,	7 11	Materials, Minor Works and hiring
		7.11	-
	(Non-Plan)		of professional services.
2210.01.110.20 - डा. आर.एम.एल.	(आयोजना)		कार्यालयी खर्च आरआरएण्डटी, आपूर्तियं
	,		व सामग्रियों, गौण कार्यों और पेशेवर सेवाए
(**************************************			लेने पर बढा व्यय
2210.01.110.20 Dr. P.M.I	97.55	22.05	Increased expenditure on Salaries
		22.93	=
Hospital, New Deini		44.40	Office Expenses, Supplies and
		11.10	Materials, Minor Works and hiring
	(Non-Plan)		of professional services.
			सीजीएचएस औषद्यालयों/पैरा मिलिर्ट्र
में सामग्रियों की खरीद	(आयोजना)		इकाइयों जैसे सीमा सुरक्षा बल/केंद्रीय रिजव
			पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस
			के.ओ.सु.ब. और अनय के प्रोप्राइटरी व
			जेनेटिक दवाइयों के आपूर्ति आदेशों वे
			व्यवस्थापन हेतु।
2210.01.800.29 -Purchase of			For settlement of supply orders of
	115.00	120.00	proprietary and generic drugs to
112000110110111111111111111111111111111		120.00	CGHS dispensaries/Para Military
	(1 1411)		
			units like BSF, CRPF, ITBP, CISF and others.
			und outers.
2210.80.798.04 - अंतर्राष्ट्रीय	(आयोजना)		अंतराष्ट्रीय स्वास्थ्य शब्दावली की मानव
संगठन की सदस्यता			विकास संगठन (आईएचटीएसडीओ) र्क
			सदस्यता और भारत वेर लिए
			एसएनओएमईडी-सीटी का लाइसेंस हासिल
			करने के लिए अंशदान के भुगतान हेतु।
2210 00 700 04 75 1 1 1	<i>C</i> 00	(10	
		6.19	For payment of contribution to
Wing at Headquarter	(Plan)		obtain membership of Ínternationa
			Health Terminology Standard
			Development Organization
			(IHTSDO), and license fo
			SNOMED-CT for India.
			DINDIVIDIZECT DE HIUIA.
	2071.01.118.01- केंद्रीय सरकार पेंशनधारक (3 2071.01.118.01-Central Government Pensioners	3 4 2071.01.118.01- केंद्रीय सरकार पेंशनधारक (आयोजना-भिन्न) 2071.01.118.01-Central Government Pensioners 725.00 (Non-Plan) 2210.01.001.04 - राष्ट्रीय चिकित्सा (आयोजना) पुस्तकालय 2210.01.001.04-National Medical 21.50 Library (Plan) 2210.01.103.24- डिस्पेंसरी/ (आयोजना-भिन्न) अरपतालों की स्थापना (आयोजना-भिन्न) 2210.01.103.24-Setting up of 62.47 Dispensaries/Hosp. (Plan) 694.00 (Non-Plan) 2210.01.110.19 - सफदरजंग (आयोजना) अरपताल, नई दिल्ली (आयोजना-भिन्न) 2210.01.110.19 - Safdarjang 180.00 Hospital, New Delhi (Plan) 235.64 (Non-Plan) 2210.01.110.20 - डा. आर.एम.एल. (आयोजना-भिन्न) अरपताल, नई दिल्ली (आयोजना-भिन्न) 2210.01.110.20 - Dr. R.M.L. 87.55 Hospital, New Delhi (Plan) 162.50 (Non-Plan) 2210.01.800.29 - मारत व विदेश में सामग्रियों की खरीद (आयोजना) अरपताल की सदस्यता (आयोजना) सामग्रियों की स्वरीद (आयोजना) 2210.80.798.04 - अंतर्राष्ट्रीय (आयोजना) संगठन की सदस्यता (आयोजना) संगठन की सदस्यता	2071.01.118.01- केंद्रीय सरकार पेशनधारक (आयोजना-भिन्न) 2071.01.118.01-Central Government Pensioners 725.00 (Non-Plan) 2210.01.001.04 - राष्ट्रीय चिकित्सा (आयोजना) पुस्तकालय 2210.01.001.04-National Medical 21.50 Library (Plan) 2210.01.103.24- डिस्पेंसरी/ (आयोजना-भिन्न) 2210.01.103.24- डिस्पेंसरी/ (आयोजना-भिन्न) 2210.01.103.24- Setting up of 62.47 (Non-Plan) 2210.01.103.24-Setting up of 694.00 (Non-Plan) 2210.01.110.19 - सफदरजंग (आयोजना-भिन्न) 2210.01.110.19 - सफदरजंग (आयोजना-भिन्न) 2210.01.110.19 - अर्वाचवाबा 180.00 (Non-Plan) 2210.01.110.20 - जा. आर.एम.एल. (आयोजना-भिन्न) 2210.01.110.20 - जा. आर.एम.एल. (आयोजना-भिन्न) 2210.01.110.20 - जा. आर.एम.एल. (आयोजना-भिन्न) 2210.01.110.20 - पा. स.м. स. 87.55 (Non-Plan) 2210.01.800.29 - भारत व विदेश में सामग्रियों की खरीद (आयोजना) 2210.01.800.29 - Purchase of Materials in India and abroad (Plan) 2210.80.798.04 - अंतर्राष्ट्रीय (आयोजना) पंगठन की सदस्यता 2210.80.798.04 - अंतर्राष्ट्रीय (आयोजना) 2210.80.798.04 - अंतर्राष्ट्रीय (आयोजना) 2210.80.798.04 - अंतर्राष्ट्रीय (आयोजना) 2210.80.798.04 - अंतर्राष्ट्रीय (आयोजना)

	जनुदाना पर्रा पूरपर नान	अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR (करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
1 2		3	4	5	6	
			् (आयोजना-भिन्न)		अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	
	2210.80.79	8.07 - Internationa s on Medical and th.	l 1.00 (Non-Plan)	1.55	For meeting additional expenditure on holding international conferences.	
	संगठन व अन्य	8.09- विश्व स्वास्थ्य (य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां 8.09-WHO and Ot Il Agencies		6.84	विश्व स्वास्थ्य संगठन को वार्षिक अँशदान के प्रतिबद्ध भुगतान के पूरा करने के लिए। For meeting the obligatory payments towards annual contribution to WHO.	
	2552.00.28 अस्पतालों की	5.01- डिस्पेंसरी/ स्थापना	(आयोजना)		सीजीएचएस, गुवाहाटी के साथ पीएण्डटी डिस्पेंसरियों के अभिलन द्वारा आवश्यक वेतनों का अतिरिक्त व्यय।	
		5.01-Setting up of s and Hospitals	11.28 (Plan)	4.77	Additional expenditure on salaries necessitated by merger of P&T Dispensaries with CGHS, Guwahati.	
		3.72.01 - परिचारिका रम/जीएनएम) की करण	(आयोजना)		ए.एन.एम/जीएमएम विद्यालयों/महाविद्यालयों के उन्नयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकारको वित्तीय सहायता।	
		3.72.01 -Upgradating of Nursing Serving)		7.00	Financial assistance to State Govt. of U.P. for upgrading ANM/GNM Schools/Colleges.	
	रोग नियंत्रण व (जीसी) न्यू	01.09.02 - राष्ट्रीय कार्यक्रम निदेशालय	(आयोजना)		अधिक स्थापना व्यय और अनुसंधान कार्य के लिए वित्तीय सहायता में बढ़ोत्तरी के कारण।	
	of National	01.09.02 -Direct Vector Borne Dise gramme (GC) New	ases 5.50	13.85	Due to excess establishment expenditure and increase in financial assistance for research work.	
	रोग नियंत्रण व (जीसी) न्यू	01.09.02 - राष्ट्रीय कार्यक्रम निदेशालय	(आयोजना- भिन्न)		अधिक स्थापना व्यय के कारण	
	of National	01.09.02 -Direct Vector Borne Dise gramme (GC) New	ases 184.09	1.50	Due to excess establishment expenditure	
		6.10 - सूचना, शिक्षा भारसीएच परियोजना	(आयोजना)		स्वसथ भारत कार्यक्रम और अन्य आईईसी कार्यकलापों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियां	
		6.10 -Information, nd Communication et		72.00	Additional funds required for Swasth Bharat Programme and Other IEC activites.	
	की आपूर्ति	0.21 - एफपी सामग्री	(आयोजना- भिन्न)		राज्य से गर्भनिरोधक सामग्रियों की अधिक मांग	
	2211.00.20 of FP Mater	0.21 -Free Supply ial	112.40 (Non-Plan)	50.27	More demand from the States for Contraceptive Materials.	

				IENTARY DEMANDS FOR GRANTS (करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
1	2	3	4	5	6		
		3601.04.246.04.03 - पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम -नया	(आयोजना)		अधिक संख्या में पल्स पोलियो राउंड के कारण।		
		3601.04.246.04.03 - Pulse Polio	244.77	37.69	Due to more number of Pulse Police		
		Immunisation Programme - New	(Plan)		rounds.		
		3601.04.263.74.01 - राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय (जीसी) न्यू 3601.04.263.74.01 -	(आयोजना)		डीडीटी की दरों में परिवर्तन		
		National Vector Borne Diseases	11.90	7.64	Due to revision in the rates of DDT.		
		Control Programme -Commodity Grants - GC New	(Plan)				
		3601.04.789.07.09 - एनआरएचएग् आरसीएच फलेक्सी पूल -पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम - नया	न (आयोजना)		अधिक संख्या में पल्स पोलियो राउंड के कारण।		
		3601.04.789.07.09 - NRHM-		0.5			
		RCH Flexible Pool - Pulse Polio Immunisation Programme New	76.64 (Plan)	9.65	Due to more number of Pulse Polio rounds.		
		3601.04.789.08.07 - संक्रमणीय रोगों हेतु फलेक्सीबल पूल - राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रय कार्यक्रम - उत्पाद अनुदान - जीसी नया 3601.04.789.08.07 - Flexible Pool for Communicable Diseases -	(आयोजना)		डीडीटी की दरों में परिवर्तन		
		National Vector Borne Disease Control Programme - Commodity Grants - GC New	5.90 (Plan)	7.32	Due to revision in the rates of DDT.		
		3601.04.796.07.07 - संक्रमणीय रोगों हेतु फलेक्सीबल पूल - राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रय कार्यक्रम - उत्पाद अनुदान - जीसी नया 3601.04.796.07.07 - Flexible Pool for Communicable Diseases - National Vector Borne Diseases	- (आयोजना)		डीडीटी की दरों में परिवर्तन		
		Control Programme - Commodity Grants - GC New	2.40 (Plan)	3.95	Due to revision in the rates of DDT.		
	एड्स नियंत्रण विभाग	2210-मेडिकल और जनस्वास्थ्य 06101-रोग रोकथाम और नियंत्रण 3317 वैश्विक सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईसीबी) को अनुदान 331731-आपूर्ति और सामग्री			पुनःविनियोग एआरवी ड्रग्स खरीदने पर व्यय को पूरा करने हेतु किया गया। 2013-14 के बजट अनुमानों में, सामान्य घटक के तहत समान राशि के प्रावधान से वैश्विक निधि, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दानदाता साझेदार के साथ करार पर प्रत्याशित हस्ताक्षर के कारण रुपये 0.01 करोड़ किया गया था। करार पर हस्ताक्षर होने पर, सांकेतिक प्रावधान सामान्य घटक और उपलब्ध बचत के तहत उपलब्ध धन से वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से निफिसा		
	Department of AIDS Control	2210-Medical and Public Health 06101 Prevention and Control of Diseases 3317 Grants to Global Fund Assisted Projects (FAC)			पुनः विनियोग किया गया। Re-appropriation carried out to meet expenditure on procurement of ARV Drugs. In the Budget Estimates of 2013-14 a token provision of Rs. 01 crores was		

provision of Rs. 01 crores was

Assisted Projects (EAC)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6		
		331731 Supply and Material	0.01	412.83	provided due to anticipated signing of the agreement with the Globa Fund, Donor Partner of Nationa AIDS Control Programme, with corresponding provisioning of amount under General Component With the signing of the agreement Re-appropriation of the funds has been carried out with approval of Ministry of Finance from the funds available under General Component and Savings available.		
•	भारी उद्योग विभाग	6858.60.190.09.00.55 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) को ऋण			बकाया वेतन/मानदेय, संवधि बकाया वे भुगतान के लिए व्यय को बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम और हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) के कर्मचारियों वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा का क्रियान्वयन		
	Department of Heavy Industry	6858.60.190.09.00.55 Loans to Hindustan Cables Ltd. (HCL)	0.00	52.89	Loans & advances to augment the expenditure towards payment o outstanding salaries/wages statutory dues and implementation of VRS to the employees of HCL.		
		6858.60.190.19.00.55 हिन्दुस्तान टूल्स लिमिटेड (एचएमटी) को ऋण			बकाया वेतन/मानदेय, संवधि बकाया वे भुगतान के लिए व्यय को बढ़ाने के लि ऋण और अग्रिम और हिन्दुस्तान मशी दूल्स लिमिटेड (एचएमटी) के कर्मचारिय के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा का क्रियान्वयन		
		6858.60.190.19.00.55 Loans to Hindustan Machine Tools Ltd. (HMT)	0.00	43.13	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages statutory dues and implementation of VRS to the employees of HMT		
		6858.60.190.24.00.55 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड (टीएसएल) को ऋण			बकाया वेतन/मानदेय, संवधि बकाया वे भुगतान के लिए व्यय को बढ़ाने के लि ऋण और अग्रिम और त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड (टीएसएल) के कर्मचारियों वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा का क्रियान्वयन		
		6858.60.190.24.00.55 Loans to Triveni Structurals Ltd. (TSL)	0.00	1.68	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages statutory dues and implementation of VRS to the employees of TSL.		
		6858.60.190.25.00.55 तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड (टीएसपीएल) को ऋण			बकाया वेतन/मानदेय, संवधि बकाया वे भुगतान के लिए व्यय को बढ़ाने के लि ऋण और अग्रिम और टीएसपीएल वे कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेव का क्रियान्वयन।		
		6858.60.190.25.00.55 Loans to Thungbhadra Steel Products Ltd. (TSPL)	0.00	1.26	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages statutory dues and implementation of VRS to the employees of TSPI		

-		<u> </u>	करोड़ रुपए Rup		<u>'</u>	
1	2	3	4	5	6	
		6858.05.190.01.00.55 एनईपीए लिमिटेड को ऋण 6858.05.190.01.00.55 Loans to NEPA Ltd.	0.00	21.32	बकाया वेतन/मानदेय, संवधि बकाया के भुगतान के लिए व्यय को बढ़ाने के कर्मचारिये के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा का क्रियान्वयन Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues and implementation of VRS to the employees of NEPA Ltd.	
		6858.05.190.02.00.55 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एनपीपीसी) को ऋण 6858.05.190.02.00.55 Loans to Hindustan Paper Corporation Ltd. (NPPC)	0.00	79.78	बकाया वेतन/मानदेय, संवधि बकाया के भुगतान के लिए व्यय को बढ़ाने के लिए व्यय को बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम और एचपीसी लिमिटेड के एनपीपीसी लि. सब्सिडीयों के कर्मचारिय के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा का क्रियान्वयन Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues and implementation of VRS to the employees of NPPC Ltd. subsidiary of HPC Ltd.	
		6858.60.190.09.00.55 हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस लिमिटेड को ऋण 6858.60.190.09.00.55 Loans to Hindustan Photo Flims Ltd.	0.00	19.01	बकाया वेतन/मानदेय, संवधि बकाया के भुगतान के लिए व्यय को बढ़ाने के लिए व्यय को कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा का क्रियान्वयन। Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues and implementation of VRS to the employees of HPF Ltd.	
3.	गृह मंत्रालय	2070.00.108.05.00.28 व्यावसायिक सेवाएं			अग्रिम जोखिम और जोखिम विश्लेषण के अध्ययन को पूरा करने के लिए मैसर्स आरएमएसआई को भुगतान के कारण।	
	Ministry of Home Affairs	2070.00.108.05.00.28 Professional Services	3000	11250	Due to payment towards M/s RMSI for completion of study of Fire hazards and Risk Analysis.	
) .	पुलिस	राजस्व/आयोजना/स्वीकृत 2055.00.106.01.02.24 (एनएसजी) पी.ओ.एल.			पेट्रोलियम उत्पादों के भारी दर मूल्य में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी के कारण।	
	Police	Revenue/Non-Plan/Voted 2055.00.106.01.02.24 (NSG) P.O.L.	500000	40000	Due to unforeseen increase in bulk rate price of petroleum products.	
		2055.00.101.03.03.27 (सीएफएसएल) गौण कार्य 2055.00.101.03.03.27 (CFSL)			कार्यालय की बिल्डिंग की वार्षिक मरम्मत व रखरखाव के कारण	
		Minor Works	100000	6100	Due to Annual Repair & Maintenance of the Office Building	

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
1	2	3	4	5	6	
		2055.00.101.09.01.27 (डीएफएस) गौण कार्य			डीएफएस, मुख्यालय, नई दिल्ली की लिफ के पास दो कमरों के नवीकरण के कारण	
		2055.00.101.09.01.27 (DFS) Minor Works	500	800	Due to renovation of two rooms adjoing to the lifts at DFSS Hqrs New Delhi.	
		2055.00.105.01.03.02 (बीएसएफ) पारिश्रमिक			मुख्यालय, महानिदेशालय, बीएसएफ, नः दिल्ली में कार्यरत अनियमित कार्मिकों क मासिक वेतन बनाने हेतु, तत्काल जरूरत के कारण	
		2055.00.105.01.03.02 (BSF) Wages	4800	2000	To meet urgently required fo making monthly salary of casua labourers working in Hqrs. DG BSF, New Delhi	
		पूंजीगत/आयोजना/स्वीकृत 4055.00.202.02.00.53 (एआर) प्रमुख कार्य			विद्यमान आसंरचना के रखरखाव के कारण	
		Capital/Non-Plan/Voted 4055.00.202.02.00.53 (AR) Major Works	4861000	3619100	Due to Maintenance of the existing infrastructure.	
		4055.00.202.01.00.53 (एआर) प्रमुख कार्य			विद्यमान आसंरचना के रखरखाव के कारण	
		4055.00.202.01.00.53 (AR) Major Works	3154000	1466900	Due to Maintenance of the existing infrastructure.	
		4055.00.212.01.00.53 (डीपी) मशीनरी व उपकरण			पीटीसी में ऑडिटोरियम हॉल के रखरखाव के कारण	
		4055.00.212.01.00.53 (DP) Machinery & Equipment	10000	24900	Due to upgradation of Auditorun Hall in PTC.	
		4055.00.204.03.00.52 (एनएसजी) मशीनरी व उपकरण			वायरलेस बाडी वार्न वीडियो सिस्टम् (क्यूटीवाई-2) स्टिलथंरिकं रोप (क्यूटीवाइ 66) की खरीद के कारण	
		4055.00.204.03.00.52 (NSG) Machinery & Equipment	2500	2500	Due to Procurement of Wireless Body Worn Video System (Qty-2 Slithering Rope (Qty-66)	
0.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2245.80.102.14.01.06 चिकित्सा उपचार			खतरों व जिखम विश्लेषण के अध्ययन के पूरा करने हेतु मैसर्स आरएमएसआई की भुगतान के कारण।	
	Other Expenditure of MHA	2245.80.102.14.01.06 Medical Treatment	20000	16700	Due to payment towards M/s RMS for completion of study of Fire hazards and Risk Analysis.	
		2245.80.102.14.01.26 विज्ञापन व प्रचार			एनडीआरएफ के कार्मिकों व उनके आश्रित के विगत वर्ष के लंबित चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के कारण	
		2245.80.102.14.01.26 Advertising & Publicity	2500	1000	For reimbursement of last year pending medical claims of NDRI personnel as well as their dependents.	
		2245.80.102.04.01.28 व्यावसायिक सेवाएं			परामर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण	
		2245.80.102.04.01.28 Professional Services	11000	10100	Due to increase in number o consultants.	

	ં નુવા 11	की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMEN (करो	गेंड रुपए Rupees in Crore)			
1	2	3	4	5	6	
11.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय विद्यालयी शिभा व साक्षरता विभाग Ministry of Human	2202- सामान्य शिक्षा (मु.शीर्ष) 01-बुनियादी शिक्षा (उप शीर्ष) 800- अन्य व्यय (लघु शीर्ष) 36- मदरसा में गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु योजना (एसपीक्यूईएस) 36.00.50- अन्य प्रभार 2202-General Education (Major Head)	0.01	0.30	एनआईओएस, एडसिल को फण्ड जारी करना और सीजीआईएसी ओर अधिवक्ताओं के सदस्य को यात्रा भत्ता देना। Release of funds to NIOS, EdCIL	
	Resource Development Department of School Education & Literacy	01- Elementary Education (Sub Major Head) 800-Other Expenditure (Minor Head) 36- The Scheme for Providing Quality Education in Madrassas (SPQEM) 36.00.50- Other Charges		0.30	and TA/DA to member of CGIAC and advocates.	
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मु.शीर्ष) 04- केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 24- माध्यमिक शिक्षा अन्य अनुदान (मु.शीर्ष) 24.01- शिक्षा का व्यावसायिकरण (विस्तृत शीर्ष) 24.01.31 - सामान्य सहायता अनुदान			कुछ राज्य सरकारों को आवर्ती अनुदान की देयता जारी किए गए हैं।	
		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head) 796-Tribal Area Sub Plan 24- Secondary Education- Other Grants (Sub Head) 24.01- Vocationalisation of Education(Detailed Head) 24.01.31 – Grants-in-aid General	1.31	1.67	The liability of recurring grants to be released to some of the State Governments.	
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मु.शीर्ष) 04- केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 24- माध्यमिक शिक्षा अन्य अनुदान (मु.शीर्ष) 24.01- शिक्षा का व्यावसायिकरण (विस्तृत शीर्ष) 24.01.31 - सामान्य सहायता अनुदान			कुछ राज्य सरकारों को आवर्ती अनुदान की देयता जारी किए गए हैं।	
		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head) 180-Secondary Education- Other Grants (Minor Head) 01- Vocationalisation of Education (Sub Head) 01.01.31 – Grants-in-aid General	10.30	18.52	The liability of recurring grants to be released to some of the State Governments.	

	(करो	इ रुपए Rup	ees in Crore	2)	
2	3	4	5	6	
	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 04- केन्द्रीय प्रोयोजित योजना स्कीमों हेतु हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक योज 34- माध्यमिक शिक्षा- अन्य अनुदान (उप शीर्ष) 34.01 शिक्षा का व्यवसायिकरण (विस्तृत शीर्ष			कुछ राज्य सरकारों को आवर्ती अनुदान की देयता जारी किए गए हैं।	
	34.01.31-सामान्य सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes 34- Secondary Education-Other Grants (Sub Head) 34.01-Vucationalisation of Education (Detailed Head) 34.01.31- Grants-in-aid General	6.00	6.37	The liability of recurring grants to be released to some of the State Governments.	
	3602-संघ क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 04-केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष) 180-माध्यमिक शिक्षण - अन्य अनुदान 01-शिक्षा का व्यवसायिकरण (उप शीर्ष) 01.00.31-सामान्य सहायता अनुदान 3602- Grants-in-aid to Union TerritoryGovernments (Major Head) 04- Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub-Major Head) 180- Secondary Education- Other Grants 01- Vocationalisation of Education (Sub Head), 01.00.31- Grants-in-aid General	0.70	0.46	अप्रयोप्तता के कारण किन्तु अधिक प्रस्ता प्राप्त हुए हैं। Due to non-availability but more proposals are received.	
	3602-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 04- केन्द्रीय प्रोयोजित योजना स्कीमों हेतु हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक योजना 17- माध्यमिक शिक्षा- अन्य अनुदान (उप शीर्ष) 17.01 शिक्षा का व्यावसायिकरण (विस्तृत शीर्ष) 17.00.35-संघ, क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)			अप्रयाप्तता के कारण किन्तु अधिक प्रस्ता प्राप्त हुए हैं।	
	3602- Grants-in-aid to Union Territory Governments (Major Head) 04- Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub-Major Head) 789- Special Component Plan for Scheduled Castes 17- Secondary Education- Other Grants 17.01- Vocationalisation of Education 17.00.31- Grants-in-aid to Union	0.26	0.03	Due to non-availability but mor proposals are received.	

TerritoryGovernments (Major Head)

	(करोड़ रुपए Rupees in Crore) 2 3 4 5					
l	2	3	4	5	6	
		3602-संघ क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 04-केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष) 180-माध्यमिक शिक्षण - अन्य अनुदान 01-शिक्षा का व्यावसायिकरण (उप शीर्ष) 01.00.35-सामान्य सहायता अनुदान			अप्रर्याप्तता के कारण किन्तु अधिक प्रस्त प्राप्त हुए हैं।	
		3602- Grants-in-aid to Union Territory Governments (Major Head) 04- Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub-Major Head) 180- Secondary Education- Other Gran 01- Vocationalisation of Education (Sul 01.00.35- Grants for creation of capitals	bHead)	0.79	Due to non-availability but mo proposals are received.	
		3602-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 04- केन्द्रीय प्रोयोजित योजना स्कीमों हेतु हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक यो 17- माध्यमिक शिक्षा- अन्य अनुदान (उप र्श 17.01 शिक्षा का व्यावसायिकरण (विस्तृत शीर्ष) 17.00.35-पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान			अप्रयाप्तता के कारण किन्तु अधिक प्रस्त प्राप्त हुए हैं।	
		3602- Grants-in-aid to Union Territory Governments (Major Head) 04- Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub-Major Head) 789- Special Component Plan for Scheduled Castes 17- Secondary Education- Other Grants 17.01- Vocationalisation of Education 17.00.35- Grants for creation of capitalassets	0.01	0.25	Due to non-availability but mo proposals are received.	
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मु.शीर्ष) 04- केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 26- बुनियादी शिक्षा-शिक्षक प्रशिक्षण (विस्तृत शीर्ष) 26.01- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण (विस्तृत शीर्ष) 26.01.35 - पूंजी आस्तियों का सृजन हेतु अनुदान			कुछ राज्य सरकारों को आवर्ती अनुर की देयता जारी किए गए हैं।	
		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head) 796-Tribal Area Sub-Plan 26-Elementary Education- Teachers Training 26.01- Strengthening of Teachers TrainingInstitutions (Detailed Head) 26.01.35- Grants for creation of	7.21	3.42	The liability of recurring grants be released to some of the Sta Governments.	

capital assets

	(करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
2	3	4	5	6		
	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मु.शीर्ष) 04- केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान 188- बुनियादी शिक्षा-शिक्षक प्रशिक्षण (विस्तृत शीर्ष) 01- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण (उप शीर्ष)			गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु अँ उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को फण्ड जा करने हेतु।		
	हेतु अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head) 188-Elementary Education- Teachers Training 01-Strenthening of Teachers Training Institutions (Sub Head) 01.00.35- Grants for creation of capitalassets	23.26	25.80	For release of funds to the Sta Governments of Goa, MP, Gujara T.N & U.P.		
	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 04- केन्द्रीय प्रोयोजित योजना स्कीमों हेतु हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक ये 26- बुनियादी शिक्षा-शिक्षक प्रशिक्षण (विस्तृत शीर्ष) 36.01- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण (विस्तृत शीर्ष) 01.00.35 - पूंजी आस्तियों का सृजन	ोजना		गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु अ उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को फण्ड ज करने हेतु।		
	हेतु अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes 36- Elementary Education- Teachers Training Institutions 36.01- Strengthening of Teachers Training Institutions 01.00.35- Grants for creation of capitalassets	7.60	7.06	For release of funds to the Sta Governments of Goa, MP, Gujar T.N & U.P.		
	3601-संघ क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 04-केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष) 180-माध्यमिक शिक्षण - अन्य अनुदान 10-शिक्षा का व्यावसायिकरण (उप शीर्ष) 10.00.35-सामान्य सहायता अनुदान 3601 Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored	3.51	7.00	शिक्षकों का वेतन देने हेतु फण्ड जारी कर For release of funds to meet t Salary of Teachers		
	Plan Schemes (Sub Major Head) 180-Secondary Education- Other Grants (Minor Head) 10-Appointment of Language Teachers 10.00.31- Grants-in-aid General					

		गेड़ रुपए Rup	ees in Crore	2)	
2	3	4	5	6	
	3601-संघ क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 04-केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अन् 796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 24-माध्यमिक शिक्षण - अन्य अनुदान (उप शीर्ष) 24.07-भाषा शिक्षणों का नियुक्ति	नुदान		शिक्षकों का वेतन देने हेतु फण्ड जारी करन	
	24.07.31-सामान्य सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head) 796- Tribal Area Sub Plan 24- Secondary Education- Other Grants (Sub Head) 24.07 Appointment of Language Teacher 24.07.31- Grants-in-aid General	0.55	63.67	For release of funds to meet the Salary of Teachers	
	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मु.शीर्ष) 04- केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान 165- बुनियादी शिक्षा-अन्य अनुदान 10- मदरसा में गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु योजना (एसपीक्यूईएस) 10.00.31-सामान्य सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head) 165-Elementary Education- Other Grants 10-The Scheme for Providing Quality Education in Madrassas (SPQEM) 10.00.31-Grants-in-aid General	156.50	25.69	राज्य सरकारों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हु हैं। More Number of proposa received from State Government	
	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मु.शीर्ष) 04- केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान 172-माध्यमिक शिक्षा- अनुसंधान और प्रशिक्षण (लघु शीर्ष) 02-विद्यालय में सूचना व संचार तकनीकी 02.00.31-सामान्य सहायता अनुदान			हरियाणा, केरल, ओडिशा, हिमाचल प्रदे राजस्थान, पश्चिम बंगा, तमिलनाडु, उ और कर्नाटक से अर्हक प्रस्ताव प्राप्त हैं।	
	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored PlanSchemes (Sub Major Head) 172-Secondary Education- Research and Training (Minor Head) 02-Information & Communication Technologies in School (Sub Head) 02.00.31- Grants-in-aid General	200.00	12.64	Eligible proposals received from the State of Haryana, Keral Odisha, H.P. Rajasthan, We Bengal, Tamil Nadu, U.P a Karnataka	
	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 04- केन्द्रीय प्रोयोजित योजना स्कीमों हेतु हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक यो 33- माध्यमिक शिक्षा- अनुसंधान और प्रशिक्ष			हरियाणा, केरल, ओडिशा, हिमाचल प्रवे राजस्थान, पश्चिम बंगा, तमिलनाडु, उ और कर्नाटक से अर्हक प्रस्ताव प्राप्त हैं।	

		(ক	(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
1	2	3	4	5	6	
		33.01-विद्यालय में सूचना व संचार तकनीव	नी			
		01.00.31-सामान्य सहायता अनुदान			Eligible proposals received from	
		3601-Grants-in-aid to State Govt.	62.00	2.80	the State of Haryana, Kerala	
		(Major head)	02.00	2.00	Odisha, H.P. Rajasthan, Wes	
		04-Grants for Centrally			Bengal, Tamil Nadu, U.P an	
		Sponsored PlanSchemes			Karnataka	
		(Sub Major Head)				
		789-Special Component Plan for				
		Scheduled Castes				
		33- Secondary Education- Researchand	Training			
		33.01- Information & Communication				
		Technologies in School				
		01.00.31- Grants-in-aid General				
					हरियाणा, केरल, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश	
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान			राजस्थान, पश्चिम बंगा, तमिलनाडु, उ.	
		(मुख्य शीर्ष)			और कर्नाटक से अईंक प्रस्ताव प्राप्त ह	
		04- केन्द्रीय प्रोयोजित योजना स्कीमों हेतु			हैं।	
		हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष)			ę i	
		796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना				
		23- माध्यमिक शिक्षा- अनुसंधान और				
		प्रशिक्षण (उप शीर्ष)				
		24.01-विद्यालय में सूचना व संचार				
		तकनीकी (विस्तृत शीर्ष)				
		23.00.31-सामान्य सहायता अनुदान			E1: :1:1	
		3601-Grants-in-aid to State Govt.	29.35	1.45	Eligible proposals received fro	
		(Major head)			the State of Haryana, Keral	
		04-Grants for Centrally Sponsored			Odisha, H.P. Rajasthan, We	
		Plan Schemes (Sub Major Head)			Bengal, Tamil Nadu, U.P an	
		796- Tribal Area Sub Plan			Karnataka	
		23- Secondary Education- Research				
		and Training (Sub Head)				
		24.01- Information & Communication				
		Technologies in School (Detailed Head)				
		23.01.31- Grants-in-aid General				
		3601-राज्य सरकार को सहायता			झारखंड, गुजरात, बिहार और कर्नाटक	
		अनुदान (मु.शीर्ष)			नए बालिका छात्रावास के निर्माण	
		04- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			अपेक्षित फण्ड।	
		स्कीमों हेतु अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष				
		180-माध्यमिक शिक्षा- अन्य				
		अनुदान (लघु शीर्ष)				
		जनुपान (रायु साय) ०९-माध्यमिक और उच्च माध्यमिक				
		विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए				
		विद्यालया के विद्यालया के लिए बालिका छात्रावासों का निर्माण और				
		चलाने की योजना (उप शीर्ष)				
		09.00.35- पूंजी आस्तियों का सृजन				
		हेतु अनुदान			Funds required for construction	
		3601-Grants-in-aid to State Govt.	198.02	47.43	Funds required for construction new girls hostel in Jharkhan	
		(Major head)				
		04-Grants for Centrally Sponsored			Gujarat, Bhiar & Karnataka.	
		Plan Schemes (Sub Major Head)				
		180- Secondary Education- Other				
		Grants (Minor Head)				
		09- Scheme for Construction and				
		Running of Girls Hostels for Students				
		of Secondary & Higher Secondary				
		Schools				
		09.00.35- Grants for creation of				
		capital assets				

capital assets

	अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEME <i>(क</i>		pees in Crore	
1 2	3	4	5	6
	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 04- केन्द्रीय प्रोयोजित योजना स्कीमों हेतु हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष) 796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 24- माध्यमिक शिक्षा- अन्य अनुदान		-	झारखंड, गुजरात, बिहार और कर्नाटक में नए बालिका छात्रावास के निर्माण हेत् अपेक्षित फण्ड।
	24.06-माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्य के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों व निर्माण और चलाने की योजना (उप शीर्ष) 24.06.31-सामान्य सहायता अनुदान	का		
	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head) 796-Tribal Area Sub Plan 24- Secondary Education-Other Gran	13.33	0.02	Funds required for construction of new girls hostel in Jharkhand. Gujarat, Bihar & Karnataka.
	24- Secondary Education- Other Grants 24.06- Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for Students of Secondary & Higher Secondary Schools (Sub Head) 24.06.31- Grants-in-aid General			
12. खान मंत्रालय	एमएच 2552 से एमएच 2853 1. भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण राजस्व भाग			
Ministry of Min	क. निर्देश व प्रशासन प्रशासनिक सहायता es From MH 2552 to MH 2853			पूर्वोत्तर प्रदेश सिक्किम के लाभार्थ व्यय को पूरा करने के लिए।
·	I. Geological Survey of India Revenue Section A. Direction & Administration Administrative Support	11.88	11.88	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region & Sikkim.
		11.00	11.00	
	ख. प्रशिक्षण	0.15	0.15	- तदैव -
	B. Training	0.15	0.15	- do -
	ग. अनुसंधान एवं विकास C. Research & Development	0.30	0.30	- तदैव - - do -
	घ. अन्वेषण			- तदैव -
	D. Investigation	0.25	0.25	- do -
	ड. सर्वेक्षण व मानचित्रण E. Survey & Mapping	0.50	0.50	- तदैव - - do -
	च. खनिज व खुदाई F. Mineral & Exploration	0.50	0.50	- तदैव - - do -
	छ. अन्य व्यय विभिन्न प्रचालनों पर विविध मुख्य व्यय G. Other Expenditure Miscellaneous Major Expenditure			- तदैव -
	on different operations	0.52	0.52	- do -
	सूचना व तकनीक Information & Technology	0.20	0.20	- तदैव - - do -
	कुल राजस्व-जीएसआई Total Revenue-GSI	14.30	14.30	

-		<u> </u>		ees in Crore	<u></u>
1	2	3	4	5	6
		पूंजी भाग - जीएसआई			
		अन्य व्यय पूंजीगत आस्तियों का अर्जन			- तदैव -
		Capital Section - GSI			
		Other Expenditure Acquisition of			
		Capital Assets	3.60	3.60	- do -
		कुल पूंजी भाग - जीएसआई	3.60	3.60	
		Total Capital Section - GSI	3.00	3.00	
		II. भारतीय खान ब्यूरो			
		राजस्व भाग			
		क. स्थापना			- तदैव -
		II. Indian Bureau of Mines			
		Revenue Section			
		A. Establishment	0.62	0.62	- do -
		71. Establishment	0.02	0.02	uo
		ख. प्रशिक्षण			- तदैव -
		B. Training	0.10	0.10	- do -
		ग. सूचना व तकनीक			- तदैव -
		C. Information & Technology	0.40	0.40	- do -
		कुल राजस्व भाग - आईबीएम			
		Total Revenu Section - IBM	1.12	1.12	
		पूंजी भाग - आईबीएम			
		अन्य व्यय पूंजीगत आस्तियों का अर्जन			- तदैव -
					- (IQU -
		Capital Section - IBM			
		Other Expenditure Acquisition of	2 00	2.00	
		Capital Assets	3.88	3.88	- do -
		कुल पूंजी भाग - आईबीएम			
		Total Capital Section - IBM	3.88	3.88	
		3451.00.090.13.04.28-पेशेवर सेवाएं			न्यायलयी मामले के संबंध में कानूनी परामर्श दाताओं के फीस का भुगतान
		3451.00.090.13.04.28-Professional			To pay fee to the legal counsel
			0.02	0.05	
		Services	0.03	0.05	regarding court case.
3.	कार्मिक, लोक शिकायत और	आईएसटीएम			आईएसटीएम को 1-8-2014 से माच
	पेंशन मंत्रालय	2070.00.003.04.03.20			2014 तक वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान शे
					सीएसएस/सीएसएसएस सीटीपी को जार्र
					पूरा करने हेतु निधि की जरूरत होती है
	Ministry of Dorsonnal	ISTM			ISTM requires funds for th
		191141	2.50	2 (0.5	continuation/completion
	Ministry of Personnel,	2070 00 002 04 02 20		7 605	
	Public Grievances and	2070.00.003.04.03.20	3.50	2.685	
		2070.00.003.04.03.20	3.50	2.685	remaining CSS/CSSS CTP cours
	Public Grievances and	2070.00.003.04.03.20	3.30	2.685	remaining CSS/CSSS CTP courduring the current financial ye
	Public Grievances and	2070.00.003.04.03.20	3.50	2.685	remaining CSS/CSSS CTP cours during the current financial yea from 1st October, 2013 to March
	Public Grievances and	2070.00.003.04.03.20	3.50	2.685	remaining CSS/CSSS CTP cours during the current financial year
	Public Grievances and		3.30	2.685	remaining CSS/CSSS CTP cour during the current financial ye from 1st October, 2013 to Marc 2014.
	Public Grievances and	सीआईसी	3.30	2.685	remaining CSS/CSSS CTP courduring the current financial ye from 1st October, 2013 to Marc 2014. जुलाई, 2013 से सरकार द्वारा पारिश्रमि
	Public Grievances and		3.30	2.685	remaining CSS/CSSS CTP cour during the current financial ye from 1st October, 2013 to Marc 2014. जुलाई, 2013 से सरकार द्वारा पारिश्रमि दरों में बढ़ोत्तरी के कारण/पारिश्रमिक
	Public Grievances and	सीआईसी	3.30	2.685	remaining CSS/CSSS CTP cour during the current financial ye from 1st October, 2013 to Marc 2014. जुलाई, 2013 से सरकार द्वारा पारिश्रमि दरों में बढ़ोत्तरी के कारण/पारिश्रमिक भुगतान हेतु शीर्ष के तहत शेष राशि पर्या
	Public Grievances and	सीआईसी 2070.00.800.32.01.02	3.30	2.685	remaining CSS/CSSS CTP cour during the current financial ye from 1st October, 2013 to Marc 2014. जुलाई, 2013 से सरकार द्वारा पारिश्रमि दरों में बढ़ोत्तरी के कारण/पारिश्रमिक भुगतान हेतु शीर्ष के तहत शेष राशि पर्या नहीं है।
	Public Grievances and	सीआईसी 2070.00.800.32.01.02 CIC			remaining CSS/CSSS CTP courduring the current financial year from 1st October, 2013 to Marc 2014. जुलाई, 2013 से सरकार द्वारा पारिश्रमि दरों में बढ़ोत्तरी के कारण/पारिश्रमिक भुगतान हेतु शीर्ष के तहत शेष राशि पर्या नहीं है। Due to increase of wages rate by the
	Public Grievances and	सीआईसी 2070.00.800.32.01.02	1.50	0.35	remaining CSS/CSSS CTP course during the current financial year from 1st October, 2013 to Marci 2014. जुलाई, 2013 से सरकार द्वारा पारिश्रमि दरों में बढ़ोत्तरी के कारण/पारिश्रमिक भुगतान हेतु शीर्ष के तहत शेष राशि पर्या नहीं है। Due to increase of wages rate by the Govt. w.e.f. July 2013. Balance
	Public Grievances and	सीआईसी 2070.00.800.32.01.02 CIC			remaining CSS/CSSS CTP cour during the current financial ye from 1st October, 2013 to Marc 2014. जुलाई, 2013 से सरकार द्वारा पारिश्रमि दरों में बढ़ोत्तरी के कारण/पारिश्रमिक भुगतान हेतु शीर्ष के तहत शेष राशि पर्या नहीं है। Due to increase of wages rate by the Govt. w.e.f. July 2013. Balancamount under the head is n
	Public Grievances and	सीआईसी 2070.00.800.32.01.02 CIC			remaining CSS/CSSS CTP cour during the current financial ye from 1st October, 2013 to Marc 2014. जुलाई, 2013 से सरकार द्वारा पारिश्रमि दरों में बढ़ोत्तरी के कारण/पारिश्रमिक भुगतान हेतु शीर्ष के तहत शेष राशि पर्या नहीं है। Due to increase of wages rate by the Govt. w.e.f. July 2013. Balance

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
1	2	3	4	5	6	
		2070.00.800.32.01.06 2070.00.800.32.01.06	0.05	0.15	इस विशेष उप-शीर्ष के तहत 3 व्यय हैं। यह अधिशेष स्टाफ के उपचार हेतु उत्पन्न बिलों की प्रतिपूर्ति हेतु है। There is an unforeseen expenditure under this particular sub-head. The excess is due to reimbursement of bills raised for treatment of staff.	
		2070.00.800.32.01.13 2070.00.800.32.01.13	2	1.20	अधिशेष पेट्रोल व बिजली प्रभारों में काफी बढ़ोत्तरी के कारण है। इसका अलावा अक्तूबर, 13 में 5 आयुक्तों के कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है तथा उनके उपयोग हेतु फर्नीचर खरीदा जाना है। Excess is on account of steep rise in prices of petrol and electricity charges. Also 5 Commissioners are expected to join the Commission in Oct, 2013 and furniture items are to be procured for their use.	
		2070.00.800.32.01.14 2070.00.800.32.01.14	3.50	0.95	भवन किराए के बढ़े दरों पर भुगतान के कारण बढ़ोत्तरी हुई The excess is due to payment of rent of the building at enhanced rates.	
		2070.00.800.32.01.28 2070.00.800.32.01.28	0.37	0.50	काउंसेल के कानूनी शुल्क के भुगतान के कारण नवनियुक्त, कानूनी परामर्शदाताओं आदि के कारण बढ़ोत्तरी हुई। Excess is due to payment of Legal Fees to Counsels and also joining of newly appointed Legal Consultants etc.	
		2070.00.800.32.99.50 2070.00.800.32.99.50	0.10	0.10	कम्प्यूटर तथा 5 आयुक्तों जिनके शीध्र कार्यभार ग्रहण करने की सम्भावना है, और उनके स्टाफ को सहायक सामग्री, उपलब्ध कराने के लिए। For providing Computers and accessories to 5 Commissioners who are likely to join soon and also to the corresponding staff.	
		एसएससी 2051.00.103.01.01.02 SSC 2051.00.103.01.01.02	0.86	0.43	एसएससी की भूमिका और कार्यों को प्रभावी ढंग से अदा करने के कारण दिहाड़ी कामगारों के रोजागर के कारण Because of the employment of casual Workers in effectively discharging the role & functions of SSC.	
14.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय Ministry of Social Justice & Empowerment	2251-सचिवालय - वेतन 2251-Secretariat - Wages	0.24	0.16	दैनिक मजदूरों को वेतन भुगतान हेतु। For payment of salary to the Daily Wagers.	
		2251-सचिवालय अन्य प्रशासनिव व्यय (योजना)	क		विकलांग व्यक्तियों के लिए पुरस्कार समारोह आयोजित करने हेतु अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए।	

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
1	2	3	4	5	6	
		2251-Secretariat Other Administrative Expenses (Plan)	0.60	0.50	For meeting the expenses required for holding of awards function of	
		2251-सचिवालय - सूचना प्रौद्योगिक			Disabled Persons. सूचना प्रौद्योगिकी में अपेक्षित व्यय को पूरा करने हेतु।	
		2251-Secretariat - Information Technology	0.70	0.30	For meeting the expenditure required in Information Technology	
		3601-मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति			पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित राज्यों एवं सिक्किम को अनुदान सहायता जारी करने हेतु।	
		3601-Post Matric Scholarship for SCs	1468.00	12.22	For releasing Grants-in-aid to the States located in NE Region & Sikkim.	
		3601-पीसीआर अधिनियम 1955 की मशीनरी अत्याचार अधिनियम 1989 का प्रवेशन			अधिनियम कार्यान्वयन, हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को अनुदान सहायता जारी करने हेतु।	
		3601-Machinary for PCR Act 1955 and prevention of atrocity Act 1989.	86.00	39.75	For releasing Grants-in-aid to various State Governments for Implementation the Acts.	
	···	- a : ·				
	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	जी- खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय एमएच-2408 खाद्य, भाण्डारण और वेयर हाउसिंग 05 चीनी की खरीद			खुले बाजार से चीनी क्रय संबंधी व्यय को समायोजित करने के लिए	
	Andaman and Nicobar	G-Ministry of Food Processing			रामाबावित कर । के लिए	
	Islands	Industries MH-2408 Food, Storage and Warehousing			To meet the expenditure on purchase of Sugar from open	
		05 Purchase of Sugar	15.81	5.17	market.	
		डी-विद्युत मंत्रालय एमएच-4801 विद्युत संबंधी पूंजीगत परिव्यय				
		01 विद्युत प्लांट और सहायक कार्य (आपूर्ति एवं सामग्री) D-Ministry of Power MH-4801 Capital Outlay on Power			पीओएल क्रय संबंधी व्यय को समायोजित करने के लिए	
		01 Power Plant and Anciliary Works (Supplies and Materials)	49.77	24.65	To meet the expenditure on purchase of POL.	
		एस-पोत परिवहन मंत्रालय एमएच-3052 पोत परिवहन 04 अन्तर्राष्ट्रीय पोत के संचालन प्रभार S-Ministry of Shipping MH-3052 Shipping			पीओएल क्रय संबंधी व्यय को समायोजित करने के लिए	
		04 Operational Charges of Inter- Island vessels	163.80	10.22	To meet the expenditure on purchase of POL.	
		यू-नागर विमानन मंत्रालय एमएच-3053 नागर विमानन			समुद्री जहाज व हेलीकोप्टर के किराए पर लेने के व्यय को समायोजित करने के लिए।	
		U-Ministry of Civil Aviation MH-3053 Civil Aviation	34.57	8.01	To meet the expenditure on hiring charges of Helicopter and Sea plane.	